खण्ड–476, अंक–1
शुक्रवार, 14 श्रावण, शक संवत् 1933
(05 अगस्त, 2011 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(पन्द्रहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2011)

(खण्ड 476 में 05 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2011

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
पन्द्रहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची महामहिम श्री राज्यपाल, मंत्रि-परिषद्, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारियों तथा अधिष्ठाता मण्डल की सूची	झ-ण
उपस्थित सदस्य	1-8
राष्ट्रीय गीत	9
एन0आर0एच0एम0 में हुई धांधलियों आदि नियम-311 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग (जारी)	9-10
प्रश्नोत्तर	10-94
एन0आर0एच0एम0 में हुई धांधलियों आदि नियम-311 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग	95-96
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	96-98
उत्तर प्रदेश पी0सी0डी0एफ0 द्वारा संचालित पराग डेरी को शासन द्वारा निजीकरण करने की संभावना के कारण करोड़ों उपभोक्ताओं एवं पशुपालकों पर व्याप्त संकट के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	98
रेशम विभाग में तैनात उप निदेशक द्वारा अवैध रूप से शासकीय धन का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	99
फैजाबाद में जल निकासी हेतु कोई नाला न होने से जल भराव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	99
जनपद सीतापुर के अन्तर्गत तहसील महमूदाबाद में महमूदाबाद, पैतेपुर, बेलहरा, पत्तेपुर चांदपुर मार्ग तथा अन्य मार्गों के खराब होने से व्याप्त स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	100
जनपद प्रतापगढ़ में वित्तीय वर्ष 2009-2010 में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी हैण्डपम्पों की अधिष्ठापन नीति न लागू किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	100-101
कानपुर महानगर में जे0एन0एन0आर0यू0एम0 योजना अन्तर्गत सीवर लाइन पड़ने के कारण खराब हुई सड़कों को शीघ्र ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	101
जनपद लखनऊ में प्राधिकरण की 243 कालोनियों में रहने वाले लोगों द्वारा हाउस टैक्स, वाटर टैक्स देने के बावजूद अवैध कालोनी घोषित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	101-102
उ0 प्र0 की समग्र युवा नीति निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	102

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद एटा में भीषण पेयजल का संकट देखते हुए पांच पानी की टंकियों के निर्माण का कार्य तत्काल प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	102
जनपद झांसी विधान सभा क्षेत्र गरौठा के अन्तर्गत गुरसराय नगर की मुख्य सड़क पर कार्य रोके जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	102-103
विधान सभा क्षेत्र छिबरामऊ, जनपद कन्नौज अन्तर्गत छूटी सड़क का निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	103
जनपद लखीमपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड फूलबेहड़ प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत 3 वर्षों से अपूर्ण मार्गों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	103
जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में स्थित भाखड़ा नदी पर ग्राम खंडिया पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	104
जनपद बांदा में तिन्दवारी, बिछवाही बगिया मार्ग भिडौरा गांव के परशुराम नाले पर बने रपटे को ऊंचा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	104
बदायूं नगर के बाईपास के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	104
हापुड़ से लेकर ब्रजघाट तक नेशनल हाई-वे से सटे सर्विस रोड के ध्वस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	105
प्रदेश के राष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	105
जनपद लखीमपुर खीरी से तिकोनिया तक परमिट बसों को उसके आगे नेपाल बार्डर तक अवैध रूप से ले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	105-106
प्रदेश के वित्त पोषित महाविद्यालयों में चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी के पद खाली रहने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	106
प्रदेश के माण्टेसरी विद्यालयों द्वारा छात्रों के किये जा रहे आर्थिक एवं मानसिक शोषण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	106-107
जनपद बस्ती के तहसील सदर के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का डामरीकृत एवं अर्द्धनिर्मित मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	107
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	107-108
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2011 ..... (सदन के पटल पर रखा गया)	108

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ के वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 के लेखा परिशिष्ट ..... (सदन के पटल पर रखे गये)... ...	108
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मुक्त उपगम हेतु निबन्धन व शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2009 ..... (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	108
उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-331/84-1-2011-23 बाया0-2010, दिनांक 01 अप्रैल, 2011 ..... (सदन के पटल पर रखी गयी)	108-109
उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के वर्ष 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन ..... (सदन के पटल पर रखे गये)	109
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य सरकार के वित्त पर प्रतिवेदन (संख्या-1) 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ..... (सदन के पटल पर रखा गया)	109
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिये राज्य आबकारी विभाग की निष्पादन लेखा परीक्षा संख्या-5 (राजस्व प्राप्तियां) उत्तर प्रदेश सरकार ..... (सदन के पटल पर रखा गया)	109
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संख्या-4 वाणिज्यिक 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ..... (सदन के पटल पर रखा गया)	109
वन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-312/14-2-2011-343 (एल)-2001, दिनांक 04 जून, 2011 ..... (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	110
यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के 2008-09 के वार्षिक प्रतिवेदन .. .. (सदन के पटल पर रखे गये)	110
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-391/ग्यारह-9 (386) 94-ऐक्ट-74-56-नियम-1957-2011-आदेश-(67), दिनांक 31 मार्च, 2011 ..... (सदन के पटल पर रखी गयी)	110
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-389/ग्यारह-9(295)-7-उ0प्र0अधि0-5-2008-वैट नियमावली-8-आदेश- (66) 2011, दिनांक 31 मार्च, 2011 ..... (सदन के पटल पर रखी गयी)...	110

विषय	पृष्ठ-संख्या
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-421/ग्यारह-9(1)-08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(71) 2011, दिनांक 31 मार्च, 2011 ..... (सदन के पटल पर रखी गयी)...	110-111
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-422/ग्यारह-9(1)-08-उ0प्र0अधि0-30-7-आदेश-(72)- 2011, दिनांक 31 मार्च, 2011 ..... (सदन के पटल पर रखी गयी)..	111
दिनांक 4 फरवरी, 2011 को विधान मण्डल के समक्ष श्री राज्यपाल द्वारा दिये गये अभिभाषण के प्रति स्वीकृत धन्यवाद प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल का आभार-पत्र	111
उत्तर प्रदेश जनहित गारन्टी विधेयक, 2011 ..... (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	111
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 .....(विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	111
उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2011..... (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	112
उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2011 ..... (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	112
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2011 ..... (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	112
उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2011 ..... (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	112
उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड विधेयक, 2011 ..... (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	112
शिवनादर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 ..... (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	113
एक्सिस यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 ..... (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	113
गलगोटियाज विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 ..... (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	113
दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 ..... (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	113
उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 ..... (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	113

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था प्राधिकरण विधेयक, 2011..... (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	114
उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2011 ..... (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ...	114
उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2011..... (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	114
उत्तर प्रदेश जनहित गारन्टी विधेयक, 2011 ..... (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	114
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2011 ..... (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	115
उ0 प्र0 राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2011 ..... (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	115
उ0 प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 ..... (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	115
उ0 प्र0 नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 ..... (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	115
उ0 प्र0 नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2011 ..... (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	116
उ0 प्र0 सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2011 ..... (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	116
उ0 प्र0 अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2011 ..... (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	116
उ0 प्र0 नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड विधेयक, 2011 ..... (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	116
शिवनादर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 ..... (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	117
एक्सिस यूनिवर्सिटी उ0 प्र0 विधेयक, 2011 ..... (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	117
गलगोटियाज विश्वविद्यालय उ0 प्र0 विधेयक, 2011 ..... (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	117
दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011 ..... (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)...	117

विषय	पृष्ठ-संख्या
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	118-120
डा0 आर0 ए0 उस्मानी की दिनांक 21 फरवरी, 2011 को सदन की कार्य सूची में सूचीबद्ध याचिकाओं पर श्री अध्यक्ष द्वारा दी गई सूचना	120
सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ की प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने हेतु विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव .... (स्वीकृत)	121
आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद की प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने हेतु विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव .... (स्वीकृत)	121
मा0 श्री कांशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा की प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने हेतु विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव .... (स्वीकृत)	121-122
उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2011 ..... (पुरःस्थापित)	122
उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 ..... (पुरःस्थापित)	122
उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011 ..... (पुरःस्थापित) ...	123
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2011 ..... (पुरःस्थापित)	123
नियम-56 के अन्तर्गत नियम-311 की परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	123-126
प्रदेश के गुर्जरों के आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने हेतु राजस्थान राज्य की भांति उन्हें 5 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किये जाने विषयक श्री मदन भैया के संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन	126
जनपद आगरा में आलू के प्रसंस्करण हेतु आलू प्रसंस्करण पार्क विकसित किये जाने विषयक डा0 राजेन्द्र सिंह के संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन ...	126
प्रदेश में बढ़ रहे कुपोषण के निराकरण हेतु एक प्रभावी नीति बनाये जाने विषयक श्री उदयभान करवरिया के संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन ...	126
उत्तर प्रदेश की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश को चार भागों यथा इन्द्रप्रस्थ, बुन्देलखण्ड, अवध प्रान्त एवं पूर्वांचल का गठन किये जाने विषयक श्री मदन चौहान के संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन	126

विषय	पृष्ठ-संख्या
गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों और गम्भीर रोगियों का इलाज सरकारी खर्च पर कराये जाने विषयक डा0 पी0के0 राय के संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन	126
प्रदेश में लगातार घटते भू-गर्भ जल स्तर को दृष्टिगत रखते हुए जल (पानी) को मौलिक अधिकार में शामिल किये जाने हेतु संविधान में यथावश्यक संशोधन किये जाने विषयक श्री उदयभान करवरिया के संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन	126-127
डीजल, पेट्रोल तथा रसोई गैस पर प्रदेश सरकार द्वारा लगाये गये करों को समाप्त किये जाने सम्बन्धी श्री सतीश महाना द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (स्थगित)	127
प्रदेश में काली नदी को उद्योगों के प्रदूषण से मुक्त किये जाने हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (स्थगित)	127
पूर्वी उत्तर प्रदेश के दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में डा0 राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (स्थगित) ...	127
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	127-129
नत्थियां	130-137

उत्तर प्रदेश विधान सभा
पन्द्रहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची

1. अंगद यादव, श्री — आजमगढ़
2. अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
3. अकीलुर्रहमान खाँ, श्री — मुरादाबाद
4. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
5. अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
6. अजय तोमर, डा0 — बागपत
7. अजय पाल सिंह, कुंवर — रायबरेली
8. अजय यादव, श्री — एटा
9. अजय राय, श्री — वाराणसी
10. अजय सिंह, श्री — जालौन
11. अनन्त कुमार मिश्रा, श्री — फर्रुखाबाद
12. अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
13. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
14. अनिल कुमार अहिरवार, श्री — महोबा
15. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
16. अनिल कुमार मौर्य, श्री — मिर्जापुर
17. अनिल चौधरी, डा0हाथरस (महामायानगर)
18. अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री — पीलीभीत
19. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
20. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
21. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
22. अब्दुल कलाम, श्री — सन्तकबीरनगर
23. अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
24. अब्दुल वारिस खाँ, श्री — मुजफ्फरनगर
25. अब्दुल समद अंसारी, हाजी — वाराणसी
26. अब्बास अली जैदी उर्फ रूश्दी मियां, श्री — फैजाबाद
27. अमरमणि त्रिपाठी, श्री — महराजगंज
28. अमरेश कुमार शुक्ल, श्री — बाराबंकी
29. अमित गौरव, श्री — एटा
30. अमीता सिंह, श्रीमती — सुल्तानपुर
31. अमेरिका प्रधान, श्री — गाजीपुर
32. अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
33. अम्बिका सिंह, श्री — गोरखपुर
34. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
35. अरविन्द गिरि, श्री — लखीमपुर खीरी
36. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
37. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
38. अरशद खान, श्री — पीलीभीत
39. अरूण कुमार यादव, श्री — आजमगढ़
40. अरुणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
41. अलाउद्दीन, श्री — बलरामपुर
42. अलीम हाजी, श्री — बुलन्दशहर
43. अवध पाल सिंह यादव, श्री — एटा
44. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
45. अवधेश वर्मा, श्री — शाहजहाँपुर
46. अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री — महराजगंज
47. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
48. अशोक कंसल, श्री — मुजफ्फरनगर
49. अशोक कुमार दोहरे, श्री — औरैया
50. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
51. अशोक कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
52. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
53. अशोक यादव, श्री — फिरोजाबाद
54. अशोक सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
55. आदित्य पाण्डेय, श्री — फतेहपुर
56. आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री — इलाहाबाद
57. आनन्द सेन, श्री — फैजाबाद
58. आर0 ए0 उस्मानी, — लखीमपुर खीरी
59. आर0 के0 चौधरी, श्री — लखनऊ
60. आर0 के0 शर्मा, पंडित — बरेली
61. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — गोण्डा
62. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
63. आसिफ, श्री — हरदोई
64. इकबाल महमूद, श्री — मुरादाबाद
65. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
66. इमरान महसूद, श्री — सहारनपुर
67. इरफान सोलंकी, श्री — कानपुर नगर
68. ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री — सिद्धार्थनगर

69. उत्कर्ष वर्मा 'मधुर', श्री लखीमपुर खीरी
70. उदयभान करवरिया, श्री इलाहाबाद
71. उदयराज, श्री उन्नाव
72. उदयलाल मौर्य, श्री वाराणसी
73. उमलेश यादव, श्रीमती बदायूँ
74. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
75. उस्मानुल हक, श्री मुरादाबाद
76. ओम प्रकाश सिंह, श्री मिर्जापुर
77. ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री सुल्तानपुर
78. ओमवती देवी, श्रीमती बिजनौर
79. कमलेश चन्द दिवाकर, श्री कानपुर देहात
80. काजिम अली खाँ उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
81. कामेश्वर उपाध्याय, श्री देवरिया
82. कालीचरन राजभर, श्री गाजीपुर
83. काशीराम, श्री रामपुर
84. कुवेर सिंह, श्री एटा
85. कुलदीप सिंह गंगवार, श्री फर्रूखाबाद
86. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
87. कृपा शंकर सिंह, श्री उन्नाव
88. कृष्ण कुमार, श्री बहराइच
89. कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री हरदोई
90. कृष्ण गोपाल पटेल, श्री लखीमपुर खीरी
91. कृष्णाराज, श्रीमती लखीमपुर खीरी
92. के0 के0 सचान, डा0 जौनपुर
93. केदारनाथ वर्मा, श्री बलिया
94. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
95. कैलाश साहू, श्री झांसी
96. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
97. कौकब हमीद खाँ, श्री बागपत
98. कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत बलरामपुर
99. खातून तौफीक, श्रीमती सिद्धार्थनगर
100. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
101. गिरीश चन्द्र, श्री मुरादाबाद
102. गुटियारी लाल दुबेश, श्री आगरा
103. गुरू प्रसाद मौर्य, श्री इलाहाबाद
104. गुलाम मोहम्मद खान, श्री बहराइच
105. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस (महामायानगर)
106. घूराराम, श्री बलिया
107. चन्द्रदेव, श्री आजमगढ़
108. चन्द्र प्रकाश मिश्र ''मटियारी'', श्री सुल्तानपुर
109. चन्द्रभद्र सिंह, श्री सुल्तानपुर
110. चन्द्रवीर सिंह, श्री मेरठ
111. चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री सिद्धार्थनगर
112. छत्रपाल सिंह, श्री बरेली
113. छोटे सिंह, श्री जालौन
114. जगदीश नारायण राय, श्री जौनपुर
115. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
116. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
117. जगपाल, श्री सहारनपुर
118. जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री महराजगंज
119. जमीरउल्ला, श्री अलीगढ़
120. जयवीर सिंह, श्री मैनपुरी
121. जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
122. जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह, श्री कुशीनगर
123. जावेद अंसारी एडवोकेट, श्री जौनपुर
124. जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री चन्दौली
125. जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
126. जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री फैजाबाद
127. जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री आगरा
128. जोखू लाल यादव, श्री इलाहाबाद
129. ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0 वाराणसी

130. ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री फर्रूखाबाद
131. त्रिभुवन दत्त, श्री अम्बेडकरनगर
132. दद्दन मिश्रा, श्री श्रावस्ती
133. दद्दू प्रसाद, श्री चित्रकूट
134. दयाराम, श्री कौशाम्बी
135. दशरथ प्रसाद चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
136. दाउद अहमद, श्री हरदोई
137. दिनेश प्रसाद, श्री चित्रकूट
138. दीनानाथ कुशवाहा, श्री देवरिया
139. दीनानाथ पाण्डेय, श्री वाराणसी
140. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
141. दीप नारायण सिंह
दीपक यादव, श्री झाँसी
142. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
143. दूधराम, श्री बस्ती
144. धर्मपाल, श्री गाजियाबाद
145. धर्मपाल यादव
डी0पी0 यादव, श्री बदायूँ
146. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
147. धर्मराज निषाद, श्री अम्बेडकरनगर
148. धर्म सिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
149. धर्मी रावत, श्रीमती बाराबंकी
150. धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री बरेली
151. धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री बलरामपुर
152. धीरेन्द्र प्रसाद, श्री शाहजहांपुर
153. धू राम लोधी चौधरी, श्री हमीरपुर
154. नकुल दूबे, श्री लखनऊ
155. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री इलाहाबाद
156. नन्दिता शुक्ला, श्रीमती गोण्डा
157. नरेन्द्र सिंह, श्री फर्रूखाबाद
158. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
159. नारायण सिंह, श्री आगरा
160. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
161. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
162. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहाँपुर
163. पंकज कुमार मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
164. पशुपति, श्री गाजीपुर
165. पी0 के0 राय, डा0 कुशीनगर
166. पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री बाँदा
167. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
168. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
169. प्रजापालन, श्री एटा
170. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
171. प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री बदायूं
172. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
173. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
174. प्रमोद सिंह, श्री देवरिया
175. प्रवीण पटेल, श्री इलाहाबाद
176. प्रेमलता कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
177. प्रेमलता देवी, श्रीमती अलीगढ़
178. फतेह बहादुर, श्री महराजगंज
179. फरहत हसन, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
180. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
181. फसीहा बशीर चौधरी
(गजाला लारी),श्रीमती देवरिया
182. फागू चौहान, श्री मऊ
183. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
184. बलबीर, श्री मुजफ्फरनगर
185. बलराम सिंह सैनी, श्री मुरादाबाद
186. बादशाह सिंह, श्री हमीरपुर
187. बासुदेव सिंह ''बाबा'', श्री बुलन्दशहर
188. बिमलेश सिंह, श्रीमती अलीगढ़
189. बिरजू राम, श्री जौनपुर
190. बृजेश सौरभ, श्री प्रतापगढ़
191. बैजनाथ दूबे, श्री गोण्डा
192. ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री देवरिया

193. भगवत शरण गंगवार, श्री बरेली
194. भगवती प्रसाद सागर, श्री झाँसी
195. भगवान दास, श्री सन्तकबीरनगर
196. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
197. भगेलू राम, श्री सुल्तानपुर
198. भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री इटावा
199. भोला पासवान, श्री आजमगढ़
200. मंजू, श्रीमती बलिया
201. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
202. मदन भैया उर्फ मदन गोपाल, श्री बागपत
203. मधुबाला, श्रीमतीसंत रविदासनगर (भदोही)
204. मधुसूदन शर्मा, श्री आगरा
205. मनोज चौधरी, श्री सहारनपुर
206. ममतेश शाक्य, श्री एटा
207. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
208. महबूब अली, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
209. महिपाल सिंह, श्री सहारनपुर
210. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
211. महेन्द्र सिंह, श्री अलीगढ़
212. महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री इटावा
213. महेश चन्द्र वर्मा, डा0 औरैया
214. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूँ
215. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर देहात
216. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
217. माधव पासवान, श्री गोरखपुर
218. मिथलेश कटियार, श्रीमती कानपुर देहात
219. मिथिलेश पाल, श्रीमती मुजफ्फरनगर
220. मीता गौतम, कु0 बाराबंकी
221. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
222. मुरलीधर, श्री फतेहपुर
223. मुस्लिम खाँ, श्री बदायूँ
224. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
225. मोहम्मद इकबाल, श्री बिजनौर
226. मोहम्मद इरशाद खान, श्री लखनऊ
227. मोहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
228. मोहम्मद जलील खान, श्री गोण्डा
229. मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
230. मोहम्मद ताबिश खां, श्री सन्तकबीरनगर
231. मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
232. यशपाल सिंह, श्री बिजनौर
233. यशपाल सिंह चौहान, श्री अलीगढ़
234. यशवन्त सिंह, डा0 मुजफ्फरनगर
235. यसपाल सिंह रावत, श्री गोरखपुर
236. याकूब हाजी, श्री मेरठ
237. योगराज सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
238. योगेन्द्र सागर, श्री बदायूँ
239. योगेश वर्मा, श्री मेरठ
240. रंगनाथ मिश्र, श्री सन्त रविदासनगर(भदोही)
241. रघुनाथ प्रसाद संखवार, डा0कानपुर देहात
242. रघुराज प्रताप सिंह ''राजा भइया'', कुं0 प्रतापगढ़
243. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
244. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
245. रतनलाल अहिरवार, श्री झाँसी
246. रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री कुशीनगर
247. रमेश गौतम, श्री गोण्डा
248. रमेश चन्द्र विन्द, डा0 मिर्जापुर
249. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
250. रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री सहारनपुर
251. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
252. राकेश धर त्रिपाठी, डा0 इलाहाबाद
253. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
254. राघव लखन पाल शर्मा, श्री सहारनपुर
255. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती

256. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
257. राजकुमार सिंह गौतम, डा0 गाजीपुर
258. राजदेव सिंह, श्री जौनपुर
259. राजपाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
260. राजपाल सिंह, श्री गाजियाबाद
261. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
262. राजमती निषाद, श्रीमती गोरखपुर
263. राजाराम कोरी उर्फ त्यागी, श्री रायबरेली
264. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
265. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
266. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री प्रतापगढ़
267. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
268. राजेन्द्र सिंह, डा0 आगरा
269. राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री गोरखपुर
270. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
271. राजेश कुमार, श्री लखीमपुर खीरी
272. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
273. राजेश यादव, श्री शाहजहाँपुर
274. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
275. राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
276. राधे लाल रावत, श्री उन्नाव
277. राधे श्याम गुप्ता, श्री फतेहपुर
278. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
279. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
280. राम कुमार तिवारी, पण्डित ललितपुर
281. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
282. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
283. राम प्रकाश कुशवाहा, पी0एच0डी0, डा0 कानपुर नगर
284. राम प्रकाश यादव, श्री फिरोजाबाद
285. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
286. राम प्रसाद जायसवाल, श्री देवरिया
287. राम बिशुन आजाद, श्री गोण्डा
288. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
289. राम शिरोमणि शुक्ल, श्री प्रतापगढ़
290. राम सागर अकेला, श्री श्रावस्ती
291. राम सिंह, डा0 अलीगढ़
292. रामसेवक, श्री सुल्तानपुर
293. राम सेवक सिंह पटेल, श्री बदायूँ
294. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
295. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
296. रिजवान अहमद खाँ, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
297. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
298. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहाँपुर
299. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
300. लखीराम नागर, श्री मेरठ
301. लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
302. लाल जी यादव, श्री सिद्धार्थनगर
303. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
304. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
305. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
306. वारिस अली, श्री बहराइच
307. विजय कुमार, श्री गाजीपुर
308. विजय कुमार उर्फ विजय यादव, श्री मुरादाबाद
309. विजय कुमार मिश्र, श्री सन्त रविदासनगर (भदोही)
310. विजय पाल सिंह, श्री बरेली
311. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
312. विद्या चौधरी, श्रीमती आजमगढ़
313. विद्यासागर गुप्त, श्री लखनऊ
314. विनोद कुमार, श्री प्रतापगढ़
315. विनोद कुमार हरित, श्री मेरठ
316. विनोद चतुर्वेदी, श्री जालौन

317. विनोद सिंह, श्री सुल्तानपुर
318. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
319. विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री बांदा
320. विशम्भर सिंह यादव, श्री बांदा
321. विश्वनाथ, श्री कुशीनगर
322. वीरेन्द्र कुमार, श्री हरदोई
323. वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
324. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
325. बृज सिंह उर्फ बृज कुंवरि, श्रीमती गोण्डा
326. वेदराम भाटी, श्री बुलन्दशहर
327. शब्बीर अहमद, श्री बहराइच
328. शम्भू चौधरी, श्री कुशीनगर
329. शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री बरेली
330. शहनवाज, श्री बिजनौर
331. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
332. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
333. शिव गणेश ''लोधी'', श्री रायबरेली
334. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
335. शिव प्रसाद यादव, श्री इटावा
336. शिवबालक पासी, श्री रायबरेली
337. शिवशंकर, श्री बलिया
338. शीशराम, श्री बिजनौर
339. शेख नसीरुद्दीन सिद्दीकी, श्री फिरोजाबाद
340. शेखर तिवारी, श्री औरैया
341. शेरबहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
342. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
343. श्याम किशोर शुक्ला, श्री लखनऊ
344. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
345. श्याम नरायण यादव, श्री आजमगढ़
346. श्याम लाल, श्री बलरामपुर
347. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
348. श्रीपति आजाद, श्री महराजगंज
349. श्रीभगवान पाठक, श्री बलिया
350. श्रीभगवान शर्मा, श्री बुलन्दशहर
351. संग्राम सिंह, श्री बाराबंकी
352. संजय कपूर, श्री रामपुर
353. संजय कुमार त्रिपाठी, श्री प्रतापगढ़
354. संजीव दरियाबादी, ''बन्टी'' श्री कानपुर नगर
355. संदीप अग्रवाल, श्री मुरादाबाद
356. संध्या, कुमारी मैनपुरी
357. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
358. सत्य नारायण जैसल, श्री सोनभद्र
359. सत्यपाल सिंह, चौ0 अलीगढ़
360. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
361. सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्धनगर
362. सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0 बागपत
363. सदल प्रसाद, श्री गोरखपुर
364. सनातन पाण्डेय, श्री बलिया
365. सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री आजमगढ़
366. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
367. सिद्धार्थ शंकर, डा0 लखनऊ
368. सिनोद कुमार शाक्य, श्री बदायूँ
369. सिवगतुल्लाह अंसारी, श्री गाजीपुर
370. सी0 एम0 प्रसाद, श्री सोनभद्र
371. सीमा द्विवेदी, श्रीमती जौनपुर
372. सी0 वी0 इन्निस, श्री नाम-निर्देशित
373. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
374. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
375. सुखलाल, श्री पीलीभीत
376. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
377. सुनील शर्मा, श्री गाजियाबाद
378. सुन्दर लाल लोधी, श्री उन्नाव
379. सुन्दर सिंह, श्री बुलन्दशहर
380. सुभाष, श्री बलिया

381.	सुमन देवी कुशवाहा, श्रीमती	ललितपुर
382.	सुभाष पाण्डेय, श्री	जौनपुर
383.	सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	आजमगढ़
384.	सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
385.	सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
386.	सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
387.	सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
388.	सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया
389.	सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच
390.	सुल्तान बेग, श्री	बरेली
391.	सुशील कुमार, श्री	चन्दौली
392.	सूरजपाल सिंह ठाकुर, श्री	आगरा
393.	सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
394.	सूर्यभान, श्री	मिर्जापुर
395.	सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
396.	सोबरन सिंह, श्री	मैनपुरी
397.	स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	कुशीनगर
398.	हरगोविन्द भार्गव, डा0	सीतापुर
399.	हरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
400.	हरिओम, श्री	जालौन
401.	हसरत उल्ला, श्री	एटा
402.	हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
403.	होराम सिंह, श्री	गौतमबुद्धनगर
*404.	रिक्त	चन्दौली

* निर्वाचन क्षेत्र संख्या-224, मुगलसराय, जिला-चन्दौली से निर्वाचित सदस्य श्री राम किशुन द्वारा दिनांक 26 मई, 2009 के पूर्वाह्न से त्याग-पत्र दिये जाने के फलस्वरूप।

महामहिम राज्यपाल

श्री बी0 एल0 जोशी

मंत्री परिषद्

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	कुमारी मायावती मुख्य मंत्री	सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गृह, गोपन, सतर्कता, नियुक्ति, कार्मिक, न्याय, विधायी, नियोजन, प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन, राज्य सम्पत्ति, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय, राजनैतिक पेंशन, भाषा, सूचना, वाह्य सहायतित परियोजना, नागरिक सुरक्षा, औद्योगिक विकास, प्रशासनिक सुधार, कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रीय एकीकरण, खाद्य प्रसंस्करण, विकलांग कल्याण, धर्मार्थ कार्य, मुस्लिम वक्फ, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, समन्वय, सार्वजनिक उद्यम, महिला कल्याण, कारागार प्रशासन एवं सुधार, सैनिक कल्याण, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा अवस्थापना विकास विभाग।
2	श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी	आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई [सिंचाई (यांत्रिक) को छोड़कर], आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सहकारिता।
3	श्री रामवीर उपाध्याय	ऊर्जा
4	श्री लालजी वर्मा	संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष (होम्योपैथिक चिकित्सा को छोड़कर), संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन।
5	श्री इन्द्रजीत सरोज	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार, कृषि विपणन तथा भू-तत्व एवं खनिकर्म।
6	श्री ठाकुर जयवीर सिंह	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात।
7	श्री वेद राम भाटी	होमगार्ड्स एवं प्रान्तीय रक्षा दल।

1	2	3
8	श्री लक्ष्मी नारायण	कृषि (कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात तथा कृषि विपणन को छोड़कर)।
9	डा0 राकेश धर त्रिपाठी	उच्च शिक्षा
10	श्री जगदीश नारायण राय	वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग तथा व्यावसायिक शिक्षा
11	श्री फागू चौहान	राजस्व
12	श्री नकुल दुबे	नगर विकास (नगरीय विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को छोड़कर), पर्यावरण, शहरी समग्र विकास, कर एवं निबन्धन (संस्थागत वित्त, स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क को छोड़कर) तथा मनोरंजन कर।
13	श्री दद्दू प्रसाद	ग्राम्य विकास
14	श्री नरायन सिंह	उद्यान
15	श्री राम प्रसाद चौधरी	खाद्य एवं रसद (उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप को छोड़कर)।
16	डा0 धर्म सिंह सैनी	बेसिक शिक्षा
17	श्री राम अचल राजभर	परिवहन
18	श्री बादशाह सिंह	श्रम
19	श्री रंगनाथ मिश्र	माध्यमिक शिक्षा
20	श्री अब्दुल मन्नान	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
21	श्री नन्द गोपाल गुप्ता ''नन्दी''	होम्योपैथिक चिकित्सा
22	श्री चन्द्रदेव राम यादव	लघु उद्योग
23	श्री फतेह बहादुर	वन, जन्तु उद्यान
24	श्री रामहेत भारती	निर्वाचन, उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप
25	श्री राजपाल त्यागी	कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान
26	श्री सुभाष पाण्डेय	संस्कृति
27	श्री धर्मराज निषाद	मत्स्य
28	श्री स्वामी प्रसाद मौर्य	पंचायती राज तथा भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास।

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

1	2	3
1	श्री अनीस अहमद खाँ	अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज
2	श्री अयोध्या प्रसाद पाल	खेलकूद एवं युवा कल्याण
3	श्रीमती ओमवती	खादी एवं ग्रामोद्योग
4	श्री विनोद सिंह	पर्यटन
5	श्री लखीराम नागर	लघु सिंचाई
6	श्री अवधेश कुमार वर्मा	पिछड़ा वर्ग कल्याण
7	श्री रामपाल वर्मा	परती भूमि विकास
8	श्री अवधपाल सिंह यादव	पशुधन एवं दुग्ध विकास
9	श्री अकबर हुसैन	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत
10	श्री सदल प्रसाद	प्राविधिक शिक्षा
11	डा0 यशवंत सिंह	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
12	श्री रतन लाल अहिरवार	डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास
13	श्री भगवती प्रसाद सागर	सेवायोजन (व्यावसायिक शिक्षा के अधीन विभागों को छोड़कर)।
14	श्री जयवीर सिंह	सिंचाई (यांत्रिक)

राज्य मंत्री

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	श्री संग्राम सिंह	वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग
2	श्री योगराज सिंह	कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान
3	श्री शहजिल इस्लाम अंसारी	मुस्लिम वक्फ
4	श्री दद्दन मिश्रा	आयुर्वेदिक चिकित्सा
5	श्री हरिओम	होमगार्ड्स एवं प्रान्तीय रक्षा दल
6	श्री यशपाल सिंह	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

नेता, विरोधी दल

श्री शिव पाल सिंह यादव

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी

तथा

अधिष्ठाता मण्डल

अध्यक्ष

श्री सुखदेव राजभर

उपाध्यक्ष

रिक्त

प्रमुख सचिव

श्री प्रदीप कुमार दुबे

अधिष्ठाता मण्डल

1-श्री भगेलू राम, सदस्य, विधान सभा (सुल्तानपुर),

2-श्री मोहम्मद इरशाद खान, सदस्य, विधान सभा (लखनऊ),

3-श्री ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0 सिंह), सदस्य, विधान सभा (सुल्तानपुर),

4-श्री बृजेश सौरभ, सदस्य, विधान सभा (प्रतापगढ़),

5-श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा (अम्बेडकरनगर),

6-श्री अवधेश प्रसाद, सदस्य, विधान सभा (फैजाबाद),

7-डा0 पी0 के0 राय, सदस्य, विधान सभा (कुशीनगर),

8-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा (गोरखपुर),

9-श्री प्रदीप माथुर, सदस्य, विधान सभा (मथुरा),

10-रिक्त।

उत्तर प्रदेश विधान सभा
पन्द्रहवीं विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 5 अगस्त, 2011

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-363

1. अंगद यादव, श्री आजमगढ़
2. अकबर हुसैन, श्री मुरादाबाद
3. अकीलुर्रहमान खाँ, श्री मुरादाबाद
4. अखिलेश कुमार सिंह, श्री रायबरेली
5. अजय कपूर, श्री कानपुर नगर
6. अजय तोमर, डा0 बागपत
7. अजय पाल सिंह, कुंवर रायबरेली
8. अजय यादव, श्री एटा
9. अजय सिंह, श्री जालौन
10. अनन्त कुमार मिश्रा, श्री फर्रुखाबाद
11. अनिल कुमार, श्री बुलन्दशहर
12. अनिल कुमार, श्री मुजफ्फरनगर
13. अनिल कुमार अहिरवार, श्री महोबा
14. अनिल कुमार दोहरे, श्री कन्नौज
15. अनिल कुमार मौर्य, श्री मिर्जापुर
16. अनिल चौधरी, डा0हाथरस (महामायानगर)
17. अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री पीलीभीत
18. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
19. अनूप कुमार गुप्ता, श्री सीतापुर
20. अनूप सण्डा, श्री सुल्तानपुर
21. अब्दुल मन्नान, श्री हरदोई
22. अब्दुल समद अंसारी, हाजी वाराणसी
23. अब्बास अली जैदी उर्फ रूश्दी मियां, श्री फैजाबाद
24. अमरेश कुमार शुक्ल, श्री बाराबंकी
25. अमित गौरव, श्री एटा
26. अमेरिका प्रधान, श्री गाजीपुर
27. अम्बिका चौधरी, श्री बलिया
28. अम्बिका सिंह, श्री गोरखपुर
29. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री फतेहपुर
30. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री बाराबंकी
31. अरविन्द सिंह यादव, श्री कन्नौज
32. अरशद खान, श्री पीलीभीत
33. अरुणा तोमर, श्रीमती कानपुर नगर
34. अलाउद्दीन, श्री बलरामपुर
35. अलीम हाजी, श्री बुलन्दशहर
36. अवध पाल सिंह यादव, श्री एटा
37. अवधेश प्रसाद, श्री फैजाबाद
38. अवधेश वर्मा, श्री शाहजहाँपुर
39. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री लखीमपुर खीरी
40. अशोक कंसल, श्री मुजफ्फरनगर
41. अशोक कुमार राणा, श्री बिजनौर
42. अशोक कुमार सिंह, श्री रायबरेली
43. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री हमीरपुर
44. अशोक सिंह चौहान, श्री मैनपुरी
45. आदित्य पाण्डेय, श्री फतेहपुर
46. आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
47. आर0ए0उस्मानी, (डा0) लखीमपुरखीरी

48. आर0 के0 चौधरी, श्री लखनऊ
49. आर0 के0 शर्मा, पंडित बरेली
50. आरिफ अनवर हाशमी, श्री गोण्डा
51. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
52. आसिफ, श्री हरदोई
53. इकबाल महमूद, श्री मुरादाबाद
54. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
55. इरफान सोलंकी, श्री कानपुर नगर
56. ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री सिद्धार्थनगर
57. उत्कर्ष वर्मा 'मधुर', श्री लखीमपुर खीरी
58. उदयभान करवरिया, श्री इलाहाबाद
59. उदयराज, श्री उन्नाव
60. उदयलाल मौर्य, श्री वाराणसी
61. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
62. ओम प्रकाश सिंह, श्री मिर्जापुर
63. ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री सुल्तानपुर
64. ओमवती देवी, श्रीमती बिजनौर
65. कमलेश चन्द दिवाकर, श्री कानपुर देहात
66. कामेश्वर उपाध्याय, श्री देवरिया
67. कालीचरन राजभर, श्री गाजीपुर
68. काशीराम, श्री रामपुर
69. कुवेर सिंह, श्री एटा
70. कुलदीप सिंह गंगवार, श्री फर्रूखाबाद
71. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
72. कृपा शंकर सिंह, श्री उन्नाव
73. कृष्ण कुमार, श्री बहराइच
74. कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री हरदोई
75. कृष्ण गोपाल पटेल, श्री लखीमपुर खीरी
76. कृष्णाराज, श्रीमती लखीमपुर खीरी
77. के0 के0 सचान, डा0 जौनपुर
78. केदारनाथ वर्मा, श्री बलिया
79. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
80. कैलाश साहू, श्री झांसी
81. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
82. कौकब हमीद खाँ, श्री बागपत
83. खातून तौफीक, श्रीमती सिद्धार्थनगर
84. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
85. गिरीश चन्द्र, श्री मुरादाबाद
86. गुटियारी लाल दुबेश, श्री आगरा
87. गुरू प्रसाद मौर्य, श्री इलाहाबाद
88. गुलाम मोहम्मद खान, श्री बहराइच
89. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस (महामायानगर)
90. घूराराम, श्री बलिया
91. चन्द्रदेव, श्री आजमगढ़
92. चन्द्र प्रकाश मिश्र ''मटियारी'', श्री सुल्तानपुर
93. चन्द्रभद्र सिंह, श्री सुल्तानपुर
94. चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री सिद्धार्थनगर
95. छत्रपाल सिंह, श्री बरेली
96. छोटे सिंह, श्री जालौन
97. जगदीश नारायण राय, श्री जौनपुर
98. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
99. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
100. जगपाल, श्री सहारनपुर
101. जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री महराजगंज
102. जमीरउल्ला, श्री अलीगढ़
103. जयवीर सिंह, श्री मैनपुरी
104. जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
105. जावेद अंसारी एडवोकेट, श्री जौनपुर
106. जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री चन्दौली
107. जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
108. जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री फैजाबाद
109. जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री आगरा
110. जोखू लाल यादव, श्री इलाहाबाद

111. ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0 वाराणसी
112. ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री फर्रूखाबाद
113. त्रिभुवन दत्त, श्री अम्बेडकरनगर
114. दद्दन मिश्रा, श्री श्रावस्ती
115. दद्दू प्रसाद, श्री चित्रकूट
116. दयाराम, श्री कौशाम्बी
117. दशरथ प्रसाद चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
118. दाउद अहमद, श्री हरदोई
119. दिनेश प्रसाद, श्री चित्रकूट
120. दीनानाथ कुशवाहा, श्री देवरिया
121. दीनानाथ पाण्डेय, श्री वाराणसी
122. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
123. दीप नारायण सिंह दीपक यादव, श्री झाँसी
124. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
125. दूधराम, श्री बस्ती
126. धर्मपाल, श्री गाजियाबाद
127. धर्मपाल यादव डी0पी0 यादव, श्री बदायूँ
128. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
129. धर्मराज निषाद, श्री अम्बेडकरनगर
130. धर्म सिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
131. धर्मी रावत, श्रीमती बाराबंकी
132. धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री बरेली
133. धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री बलरामपुर
134. धीरेन्द्र प्रसाद, श्री शाहजहांपुर
135. धू राम लोधी चौधरी, श्री हमीरपुर
136. नकुल दूबे, श्री लखनऊ
137. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री इलाहाबाद
138. नन्दिता शुक्ला, श्रीमती गोण्डा
139. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
140. नारायण सिंह, श्री आगरा
141. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
142. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
143. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहाँपुर
144. पशुपति, श्री गाजीपुर
145. पी0 के0 राय, डा0 कुशीनगर
146. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
147. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
148. प्रजापालन, श्री एटा
149. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
150. प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री बदायूं
151. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
152. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
153. प्रमोद सिंह, श्री देवरिया
154. प्रवीण पटेल, श्री इलाहाबाद
155. प्रेमलता कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
156. फतेह बहादुर, श्री महराजगंज
157. फरहत हसन, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
158. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
159. फसीहा बशीर चौधरी (गजाला लारी),श्रीमती देवरिया
160. फागू चौहान, श्री मऊ
161. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
162. बलबीर, श्री मुजफ्फरनगर
163. बलराम सिंह सैनी, श्री मुरादाबाद
164. बासुदेव सिंह ''बाबा'', श्री बुलन्दशहर
165. बिरजू राम, श्री जौनपुर
166. बृजेश सौरभ, श्री प्रतापगढ़
167. बैजनाथ दूबे, श्री गोण्डा
168. ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री देवरिया
169. भगवत शरण गंगवार, श्री बरेली
170. भगवती प्रसाद सागर, श्री झाँसी
171. भगवान दास, श्री सन्तकबीरनगर
172. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
173. भगेलू राम, श्री सुल्तानपुर

174. भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री इटावा
175. भोला पासवान, श्री आजमगढ़
176. मंजू, श्रीमती बलिया
177. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
178. मदन भैया उर्फ
मदन गोपाल, श्री बागपत
179. मधुबाला, श्रीमती संत रविदासनगर (भदोही)
180. मधुसूदन शर्मा, श्री आगरा
181. मनोज चौधरी, श्री सहारनपुर
182. ममतेश शाक्य, श्री एटा
183. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
184. महिपाल सिंह, श्री सहारनपुर
185. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ
झीन बाबू, श्री सीतापुर
186. महेन्द्र सिंह, श्री अलीगढ़
187. महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री इटावा
188. महेश चन्द्र वर्मा, डा0 औरैया
189. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूँ
190. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर देहात
191. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
192. माधव पासवान, श्री गोरखपुर
193. मिथलेश कटियार, श्रीमती कानपुर देहात
194. मिथिलेश पाल, श्रीमती मुजफ्फरनगर
195. मीता गौतम, कु0 बाराबंकी
196. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
197. मुरलीधर, श्री फतेहपुर
198. मुस्लिम खाँ, श्री बदायूँ
199. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
200. मोहम्मद इकबाल, श्री बिजनौर
201. मोहम्मद इरशाद खान, श्री लखनऊ
202. मोहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
203. मोहम्मद जलील खान, श्री गोण्डा
204. मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
205. मोहम्मद ताबिश खां, श्री सन्तकबीरनगर
206. मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
207. यशपाल सिंह, श्री बिजनौर
208. यशपाल सिंह चौहान, श्री अलीगढ़
209. यशवन्त सिंह, डा0 मुजफ्फरनगर
210. यसपाल सिंह रावत, श्री गोरखपुर
211. योगेन्द्र सागर, श्री बदायूँ
212. योगेश वर्मा, श्री मेरठ
213. रंगनाथ मिश्र, श्री सन्त रविदासनगर (भदोही)
214. रघुनाथ प्रसाद संखवार, डा0 कानपुर देहात
215. रघुराज प्रताप सिंह
''राजा भइया'', कुं0 प्रतापगढ़
216. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
217. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी
भइया, श्री फतेहपुर
218. रतनलाल अहिरवार, श्री झाँसी
219. रमेश गौतम, श्री गोण्डा
220. रमेश चन्द्र विन्द, डा0 मिर्जापुर
221. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
222. रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री सहारनपुर
223. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
224. राकेश धर त्रिपाठी, डा0 इलाहाबाद
225. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
226. राघव लखन पाल शर्मा, श्री सहारनपुर
227. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
228. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
229. राजकुमार सिंह गौतम, डा0 गाजीपुर
230. राजदेव सिंह, श्री जौनपुर
231. राजपाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
232. राजपाल सिंह, श्री गाजियाबाद

233. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
234. राजमती निषाद, श्रीमती गोरखपुर
235. राजाराम कोरी उर्फ त्यागी, श्री रायबरेली
236. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
237. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
238. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री प्रतापगढ़
239. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
240. राजेन्द्र सिंह, डा0 आगरा
241. राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री गोरखपुर
242. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
243. राजेश कुमार, श्री लखीमपुर खीरी
244. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
245. राजेश यादव, श्री शाहजहाँपुर
246. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
247. राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
248. राधे लाल रावत, श्री उन्नाव
249. राधे श्याम गुप्ता, श्री फतेहपुर
250. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
251. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
252. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
253. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
254. राम प्रकाश कुशवाहा, पी0एच0डी0, डा0 कानपुर नगर
255. राम प्रकाश यादव, श्री फिरोजाबाद
256. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
257. राम प्रसाद जायसवाल, श्री देवरिया
258. राम बिशुन आजाद, श्री गोण्डा
259. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
260. राम शिरोमणि शुक्ल, श्री प्रतापगढ़
261. राम सागर अकेला, श्री श्रावस्ती
262. रामसेवक, श्री सुल्तानपुर
263. राम सेवक सिंह पटेल, श्री बदायूँ
264. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
265. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
266. रिजवान अहमद खाँ, श्री ज्योतिबा फूलेनगर
267. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
268. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहाँपुर
269. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
270. लखीराम नागर, श्री मेरठ
271. लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
272. लाल जी यादव, श्री सिद्धार्थनगर
273. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
274. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
275. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
276. वारिस अली, श्री बहराइच
277. विजय कुमार, श्री गाजीपुर
278. विजय कुमार उर्फ विजय यादव, श्री मुरादाबाद
279. विजय पाल सिंह, श्री बरेली
280. विद्या चौधरी, श्रीमती आजमगढ़
281. विद्यासागर गुप्त, श्री लखनऊ
282. विनोद कुमार, श्री प्रतापगढ़
283. विनोद कुमार हरित, श्री मेरठ
284. विनोद सिंह, श्री सुल्तानपुर
285. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
286. विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री बांदा
287. विशम्भर सिंह यादव, श्री बांदा
288. विश्वनाथ, श्री कुशीनगर
289. वीरेन्द्र कुमार, श्री हरदोई
290. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
291. बृज सिंह उर्फ बृज कुंवरि, श्रीमती गोण्डा
292. वेदराम भाटी, श्री बुलन्दशहर
293. शब्बीर अहमद, श्री बहराइच

294. शम्भू चौधरी, श्री कुशीनगर
295. शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री बरेली
296. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
297. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
298. शिव गणेश ''लोधी'', श्री रायबरेली
299. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
300. शिव प्रसाद यादव, श्री इटावा
301. शिवबालक पासी, श्री रायबरेली
302. शिवशंकर, श्री बलिया
303. शीशराम, श्री बिजनौर
304. शेख नसीरुद्दीन सिद्दीकी, श्री फिरोजाबाद
305. शेरबहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
306. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
307. श्याम किशोर शुक्ला, श्री लखनऊ
308. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
309. श्याम नरायण यादव, श्री आजमगढ़
310. श्याम लाल, श्री बलरामपुर
311. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
312. श्रीपति आजाद, श्री महराजगंज
313. श्रीभगवान पाठक, श्री बलिया
314. श्रीभगवान शर्मा, श्री बुलन्दशहर
315. संग्राम सिंह, श्री बाराबंकी
316. संजय कपूर, श्री रामपुर
317. संजय कुमार त्रिपाठी, श्री प्रतापगढ़
318. संजीव दरियाबादी, ''बन्टी'' श्री कानपुर नगर
319. संदीप अग्रवाल, श्री मुरादाबाद
320. संध्या, कुमारी मैनपुरी
321. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
322. सत्य नारायण जैसल, श्री सोनभद्र
323. सत्यपाल सिंह, चौ0 अलीगढ़
324. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
325. सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्धनगर
326. सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0 बागपत
327. सदल प्रसाद, श्री गोरखपुर
328. सनातन पाण्डेय, श्री बलिया
329. सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री आजमगढ़
330. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
331. सिद्धार्थ शंकर, डा0 लखनऊ
332. सिनोद कुमार शाक्य, श्री बदायूँ
333. सी0 एम0 प्रसाद, श्री सोनभद्र
334. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
335. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
336. सुखलाल, श्री पीलीभीत
337. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
338. सुन्दर लाल लोधी, श्री उन्नाव
339. सुन्दर सिंह, श्री बुलन्दशहर
340. सुभाष, श्री बलिया
341. सुमन देवी कुशवाहा, श्रीमती ललितपुर
342. सुभाष पाण्डेय, श्री जौनपुर
343. सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री आजमगढ़
344. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
345. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
346. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
347. सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री लखनऊ
348. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
349. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
350. सुल्तान बेग, श्री बरेली
351. सुशील कुमार, श्री चन्दौली
352. सूरजपाल सिंह ठाकुर, श्री आगरा
353. सूरज सिंह शाक्य, श्री एटा
354. सूर्यभान, श्री मिर्जापुर
355. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
356. सोबरन सिंह, श्री मैनपुरी
357. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर

358.	हरगोविन्द भार्गव, डा0	सीतापुर	362.	हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
359.	हरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद	363.	होराम सिंह, श्री	गौतमबुद्धनगर
360.	हरिओम, श्री	जालौन			
361.	हसरत उल्ला, श्री	एटा			

नोट :- मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती) एवं आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सहकारिता मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी) भी सदन में उपस्थित थे।

(श्री राधेश्याम जायसवाल सरकार विरोधी नारे लगाने लगे।)

श्री अध्यक्ष-

पहले वन्दे मातरम् हो जाय।

राष्ट्रीय-गीत

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।।

सुजलाम्।

सुफलाम्।

मलयज शीतलाम्।

शस्य श्यामलाम्।

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

शुभ्र-ज्योत्सना-पुलकित-यामिनीम्

फुल्ल-कुसुमित-द्रुमदल-शोभिनीम्

सुहासिनीम्

सुमधुर भाषिणीम्

सुखदाम्

वरदाम्

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग कृपया आसन ग्रहण करें।

एन0आर0एच0एम0 में हुई धांधलियों विषयक नियम-311 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैंने नियम-311 में नोटिस दी है।

(इसी मध्य भारतीय जनता पार्टी के श्री सतीश महाना आदि अनेक सदस्य वेल में आ गये जिस कारण घोर व्यवधान)

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

इस प्रदेश में एन0आर0एच0एम0 में घोटाला हुआ है। कानून-व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गयी है। सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है। अधिकारियों की हत्याएं की जा रही हैं।

श्री अध्यक्ष-

महाना साहब, अग्रवाल साहब आप वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया अपने आसन पर जाकर अपनी बात रखें। आप ही लोगों ने निर्णय लिया है कि वेल में नहीं आयेंगे अपनी सीट से अपनी बात कहेंगे आप विषय पर गम्भीर हों तो अपनी सीट पर जाकर अपनी बात रखें। नहीं गम्भीर हैं तो यहीं से हल्ला करिए। अगर विषयों पर गम्भीर हैं तो अपनी सीट पर जाइए मैं सुनने के लिए तैयार हूं।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

इनके पास सुनाने के लिए कुछ नहीं है। हो हल्ला के अलावा कुछ नहीं है। यह दिवालिया हो गये हैं। प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार ने जनता के हितों के लिए जो कार्य किया है उसके सामने इनके पास सुनाने के लिए कुछ है ही नहीं। यह बातों से दिवालिया हो चुके हैं।

श्री सतीश महाना-

प्रदेश में बलात्कार हो रहे हैं। इस पर नियम-311 के अन्तर्गत नोटिस दी गई है उसको पहले सुना जाय।

श्री अध्यक्ष-

मैंने उस सूचना को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया है।

श्री सतीश महाना-

प्रदेश में चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है।

श्री लालजी वर्मा-

अध्यक्ष जी, आप सुनने के लिए तैयार हैं लेकिन यह सुनाने के लिए तैयार नहीं हैं। लोक सभा में इनकी और समाजवादी पार्टी की किरकिरी हुई है। उसके बाद इनके पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

कैसे आप जान गए कि इनके पास कुछ नहीं है ?

(व्यवधान जारी)

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं। 12.20 बजे तक के लिए।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 05 मिनट पर सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में राजकीय विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के निजी चिकित्सालयों में चिकित्सा कराने की प्रतिपूर्ति कराये जाने की जानकारी

**1-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के निजी चिकित्सालयों में चिकित्सा कराने की प्रतिपूर्ति किये जाने पर प्रदेश सरकार द्वारा रोक लगा दी गयी है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति को पुनः बहाल किये जाने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग तथा कृषि मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर रोक नहीं लगायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में इन्सेफलाइटिस पर नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा बनायी गयी कार्य योजना

**2-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में महामारी का रूप धारण कर चुकी मस्तिष्क ज्वर (इन्सेफलाइटिस) पर नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

कार्य योजना की प्रति संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के कतिपय जिलों में निर्मित श्रम कालोनियों में काबिज अध्यासियों को स्वामित्व प्रदान करने की कार्य योजना

*1-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रमुख जिलों-इलाहाबाद (नैनी), कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर में निर्मित श्रम कालोनियों में अध्यासित श्रमिकों/कमजोर आय वर्ग के लोगों को भारत सरकार के शासनादेश संख्या-14024/17/77 एच-1 नयी दिल्ली, दिनांकित 09 फरवरी, 1978 के अनुपालन में स्वामित्व प्रदान करने की क्या कोई योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम मंत्री (श्री बादशाह सिंह)-

जी हां।

भारत सरकार के पत्र संख्या-14024/17/77-एच0आई0, दिनांक 09-02-1978 के तारतम्य में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में स्थित औद्योगिक श्रमिक बस्तियों के गृहों की बिक्री के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2788/36-4-94-16/1992, दिनांक 24-9-1994, संख्या-515/36-4-95-16/1992, दिनांक 21-2-1995 एवं संख्या-41सी0एम0/36-4-95-16/1992, दिनांक 6-12-1995 द्वारा औद्योगिक श्रमिक बस्तियों के गृहों को उनके काबिज अध्यासियों को विक्रय के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया था, किन्तु विक्रय की योजना को सामान्यतः श्रमिक बस्तियों के अध्यासियों द्वारा स्वीकार नहीं किये जाने के फलस्वरूप विक्रय योजना में अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी।

प्रश्न नहीं उठता।

नोट :-उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

---

* छापी नहीं गयीं।

प्रदेश में विद्युतीकरण से वंचित गांवों का विद्युतीकरण कराये जाने की कार्य योजना

*2-श्री कुबेर सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युतीकरण से वंचित गांवों का विद्युतीकरण कराये जाने हेतु सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)-

जी हां।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत 300 से अधिक आबादी वाले 69 जनपदों की डी0पी0आर0 स्वीकृति हेतु मेसर्स आर0ई0सी0, भारत सरकार को प्रेषित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वनों के अवैध कटान को नियंत्रित किये जाने की मांग

*3-श्री राम बिशुन आजाद तथा श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या वन, जन्तु उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वनों के अवैध कटान के कारण पर्यावरण की गम्भीर समस्या पैदा होने से जन जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो क्या पर्यावरण को बचाने के लिए वनों के कटान रोकने हेतु सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन, जन्तु उद्यान मंत्री (श्री फतेह बहादुर)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

अवैध कटान के नियंत्रण हेतु भारतीय वन अधिनियम, 1927 (यथासंशोधित), उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1876 व वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत अवैध कटान की घटनाओं पर नियंत्रण रखने का पर्याप्त प्राविधान है।

प्रदेश में किसानों को सिंचाई हेतु अबाध विद्युत आपूर्ति किये जाने की कार्य योजना

*4-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों को सिंचाई हेतु अबाध बिजली आपूर्ति के लिए सरकार कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

किसानों को सिंचाई हेतु विद्युत आपूर्ति किये जाने के लिए डा0 अम्बेडकर ऊर्जा कृषि सुधार योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पंखा, बत्ती संयोजनों एवं नलकूप

संयोजनों के लिए पृथक-पृथक पोषकों से निर्धारित रोस्टर के अनुसार अबाध विद्युत आपूर्ति किये जाने की योजना है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विद्युत संकट से निजात दिलाने की कार्य योजना

*5-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेशवासियों को विद्युत संकट से निजात दिलाने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

प्रदेश की विद्युत समस्या के निराकरण सम्बन्धी उपायों का विवरण निम्नवत् है :-

(1) **विद्युत उत्पादन में वृद्धि :** 11वीं पंचवर्षीय योजना में 4580 मेगावाट एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 33806 मेगावाट क्षमता की नयी विद्युत परियोजनाएं स्थापित किये जाने का लक्ष्य है।

(2) **पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण :**

(अ) वित्तीय वर्ष 2010-11 में 15 विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण, 83 उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि एवं 837.156 सर्किट कि0मी0 लाइनों का निर्माण कार्य कराया गया है।

(ब) वित्तीय वर्ष 2011-12 में माह जून तक 04 नये पारेषण उपकेन्द्रों का निर्माण, 14 उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि एवं 274.43 सर्किट कि0मी0 लाइनों का निर्माण कार्य कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2011-12 की शेष अवधि में 7436.30 सर्किट कि0मी0 नयी लाइनों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

(3) **वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण :**

वित्तीय वर्ष 2011-12 में माह जून तक 33/11 के0वी0 के 34 (193 एम0बी0ए0) नये विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण तथा 40 (173 एम0वी0ए0) विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि तथा 33 के0वी0 की 6.5 सर्किट कि0मी0 लाइनों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में 33/11 के0वी0 के 300 नये विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विद्युत वितरण व्यवस्था निजी कम्पनियों को देने पर विचार

*6-श्री सतीश महाना-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन शहरों में विद्युत वितरण व्यवस्था निजी कम्पनियों को देने पर विचार किया जा रहा है ? क्या कानपुर महानगर के लिए इसमें किसी कम्पनी के साथ अनुबन्ध हुआ है ? यदि हां, तो किन शर्तों के आधार पर और यह कब तक पूरा होगा ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां। फिलहाल कानपुर शहर की विद्युत व्यवस्था चयनित इनपुट बेस्ड फ्रेन्चाइजी को सौंपे जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

जी हां। मै0 टोरेन्ट पावर लिमिटेड, अहमदाबाद के साथ अनुबन्ध हुआ है।

अनुबन्ध की मुख्य शर्तें निम्नवत् हैं :-

1-प्रथम वर्ष हेतु विद्युत आपूर्ति की दरें रु0 2.00 प्रति यूनिट एवं 20वें वर्ष हेतु दरें 2.30 पैसे प्रति यूनिट एवं लेबलाईज्ड दरें रु0 2.1744 प्रति यूनिट है।

2-फ्रेन्चाइजी को उक्त दर पर पावर कारपोरेशन को भुगतान करना होगा तथा सभी परिचालन व्यय भी वहन करने होंगे।

3-फ्रेन्चाइजी को न्यूनतम 2800 मि0यू0 अथवा 3 वर्षों में इनपुट इनर्जी में हुई चक्रवर्ती वृद्धि के समतुल्य विद्युत आपूर्ति की जायेगी।

4-निर्धारित ऊर्जा से अतिरिक्त आहरित ऊर्जा की दर बल्क विद्युत क्रय रेट+पारेषण हानियां+पारेषण चार्जेज+ट्रेडिंग मार्जन पर आधारित होंगे।

5-ए0टी0 एण्ड सी0 हानियां 7 वर्षों में 15 प्रतिशत के स्तर पर लाना होगा। अन्यथा राजस्व हानि के 10 प्रतिशत दण्ड का प्राविधान है।

6-फ्रेन्चाइजी ओपन एक्सेस द्वारा अन्य स्रोतों से विद्युत क्रय कर सकता है।

7-उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु प्रथम 10 वर्ष में फ्रेन्चाइजी को कम से कम रु0 400 करोड़ पूंजीगत कार्य में व्यय करना होगा।

8-फ्रेन्चाइजी आपूर्तित ऊर्जा का साप्ताहिक भुगतान केस्को, कानपुर को करेगा।

9-फ्रेन्चाइजी द्वारा उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु वह समस्त कार्य किये जाने होंगे जो कि केस्को, कानपुर द्वारा किये जा रहे थे।

10-फ्रेन्चाइजी को माननीय विद्युत नियामक आयोग, उ0 प्र0 द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुपालन के साथ-साथ भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003/सम्पलाई कोड में निहित आदेशों के अन्तर्गत ही अपने कार्य का निर्वहन करना होगा।

आगरा शहर के परिणामों के परीक्षणोपरान्त कानपुर शहर की विद्युत व्यवस्था के हस्तान्तरण पर निर्णय लिया जायेगा।

अतारांकित प्रश्न

जनपद गोण्डा में पिछड़ा वर्ग अनुदान निधि की योजनाओं पर स्वीकृत धन की जानकारी

1-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या पंचायतीराज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा में वित्तीय वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-2011 में पिछड़ा वर्ग अनुदान निधि के अन्तर्गत किन-किन विकास खण्डों में किन-किन योजनाओं पर कितना-कितना धन स्वीकृत किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

जनपद गोण्डा में वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत विकास खण्डवार एवं योजनावार स्वीकृत धनराशि का विवरण विस्तृत होने के कारण सम्पूर्ण विवरण मा0 मंत्री जी के कार्यालय कक्ष में रख दिया गया है, जिसे मा0 सदस्य किसी भी कार्य दिवस में अपनी सुविधानुसार देख सकते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया के ब्लाक देवरिया ग्राम बरुआडीह में हो रहे कम वोल्टेज विद्युत आपूर्ति से उत्पन्न समस्या को दूर करने की मांग

2-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-देवरिया के ब्लाक देवरिया, ग्राम बरूआडीह में लगभग 15 वर्षों से गांव के दक्षिण तरफ बसे लोगों को बहुत कम वोल्टेज की विद्युत आपूर्ति हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये उक्त समस्या को दूर करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां। प्रश्नगत क्षेत्र में लो-वोल्टेज की समस्या रही है।

उक्त समस्या के निदान एवं विद्युत वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु एक अदद 100 के0वी0ए0 का परिवर्तक स्थापित कर दिया गया है तथा बिजनेस प्लान 2011-12 में 11 के0वी0 लाइन बनाकर 25 के0वी0ए0 का एक अतिरिक्त परिवर्तक स्थापित करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

3-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

[1ले सोमवार के अतारांकित प्रश्न सं0-73 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद एटा के जलेसर विधान सभा क्षेत्र ''बिजनेस प्लस'' योजना के अन्तर्गत कतिपय गांवों में 5 एम0बी0ए0 क्षमता का उपकेन्द्र स्थापित किये जाने से सम्बन्धित पत्र पर कार्यवाही

4-श्री कुबेर सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-एटा के जलेसर विधान सभा क्षेत्र में ''बिजनेस प्लान'' योजना के अन्तर्गत ग्राम नगला खिल्ली विकास खण्ड निधौलीकलॉ एवं खेड़ानूंह विकास खण्ड अवागढ़ में 5 एम वी ए क्षमता का उपकेन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में अध्यक्ष एवं प्रबन्धक, पावर कारपोरेशन को प्रश्नकर्ता का पत्रांक ख-3-990766, दिनांक 23-03-2011 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

जनपद एटा के जलेसर विधान सभा क्षेत्र में बिजनेस प्लान के अन्तर्गत ग्राम नगला खिल्ली, विकास खण्ड निधौलीकलां में 5 एम0वी0ए0 क्षमता का उपकेन्द्र स्थापित किये जाने हेतु भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है। ग्राम खेडानूंह, विकास खण्ड आवागढ़ में उपकेन्द्र हेतु भूमि अभी उपलब्ध नहीं हो पायी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एटा के जलेसर विधान सभा क्षेत्र में कतिपय गांवों में विद्युतीकरण हेतु पत्र पर कार्यवाही

5-श्री कुबेर सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-एटा के जलेसर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-मनीगढ़ी जलेसर, नगला अतिमा अवागढ़, नगला गढ़ा अवागढ़, नगला गंगा अवागढ़, रूद्रपुर अवागढ़, टोडरपुर अवागढ़, महापुर जलेसर, भोजपुर अवागढ़, बाकलपुर अवागढ़, परसादपुर अवागढ़, भीलनगर अवागढ़, नगला ओझा जलेसर, गुलाबपुर अवागढ़, भूड नगरिया अवागढ़, जरानी हंसपुर अवागढ़ एवं नगला मौजी अवागढ़ में विद्युतीकरण हेतु अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 विद्युत वितरण निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्रांक क-4 नं0-235432, दिनांक 16 मार्च, 2011 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

पत्र में इंगित ग्रामों/मजरों को विद्युतीकरण हेतु विस्तारित बिजनेस प्लान में सम्मिलित कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के कतिपय ब्लाक में हरियाली योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि एवं कृत कार्यों का विवरण

6-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बांदा के ब्लाक नरैनी, कमासिन में हरियाली एवं अन्य कार्यक्रम के तहत वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक बैचवार कुल कितनी धनराशि किन-किन ग्रामों के लिए कार्यदायी संस्था-भूमि संरक्षण अधिकारी डी0पी0ए0पी0 इकाई प्रथम एवं द्वितीय तथा जलागम को आवंटित की गयी है ? क्या यह सही है कि कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में हुये कार्यों को दिखा कर फर्जी एम0बी0 बनाकर सरकारी धन का गबन किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

कार्यदायी संस्था भू0सं0ई0 बांदा द्वितीय, ब्लाक नरैनी को वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक हरियाली योजना के अन्तर्गत ग्राम गुढ़ाकला, शाहपाटन तथा नेढुवा को कुल रु0 76.363 लाख आवंटित हुई थी। भू0सं0इ0 बांदा प्रथम, ब्लाक कमासिन को वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक डी0पी0ए0पी0 के अन्तर्गत ग्राम इंगुवा, मऊ, ममसीखुर्द, डिघौरा, छिलोलर, साड़ासानी, अण्डौली तथा ओदहा को कुल रु0 41.161 लाख एवं हरियाली योजना के अन्तर्गत परसौली, बेनामऊ, जोरावरपुर, दांदो, चकरेही, बीरा, बिछौंदा, मटेहना तथा मवई को कुल रु0 175.065 लाख आवंटित हुई। जलागम योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित इकाइयों को कोई धनराशि आवंटित नहीं हुई है।

उक्त धनराशियों के सापेक्ष सम्बन्धित जनपदों में कोई फर्जी कार्य/भुगतान की सूचना विभाग को नहीं मिली है। यदि शिकायत प्राप्त होती है तो कार्यवाही की जायेगी।

जनपद बांदा व महोबा में रेशम विकास विभाग द्वारा महात्मा गांधी रोजगार योजना के अन्तर्गत दी गयी धनराशि

7-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या रेशम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बांदा, महोबा में वर्ष 2007-08 से अब तक रेशम विभाग को महात्मा गांधी रोजगार एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत रेशम कीड़ा पालन हेतु कितनी धनराशि दी गयी है ? बांदा में यमुना तलहटी के किसानों को अण्डी उत्पादन एवं आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वर्ष वार कितनी धनराशि खर्च की गयी ? क्या यह सही है कि किसानों के नाम फर्जी मस्टर रोल बनाकर विभागीय धनराशि की हेराफेरी और जाब कार्ड धारक मजदूरों से मिलकर बिना काम के फर्जी पेमेन्ट कराये गये हैं ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराकर कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग (श्री जगदीश नारायण राय)-

रेशम विकास विभाग को महात्मा गांधी रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 से जनपद-बांदा को रु0 12.250 लाख एवं जनपद-महोबा को रु0 8.000 लाख की धनराशि निम्नानुसार दी गयी है :-

(धनराशि रुपये लाख में)

महात्मा गांधी रोजगार योजना के अन्तर्गत दी गयी धनराशि		
वर्ष	जनपद-बांदा	जनपद-महोबा
2007-08	--	--
2008-09	--	2.780
2009-10	9.670	4.790
2010-11	2.580	0.430
योग :-	12.250	8.000

अन्य योजनाओं के अन्तर्गत बांदा को रु0 66.052 लाख एवं महोबा को रु0 4.572 लाख की धनराशि निम्नानुसार दी गयी है :-

(धनराशि रुपये लाख में)

अन्य संचालित योजनाओं के अन्तर्गत दी गयी धनराशि		
वर्ष	जनपद-बांदा	जनपद-महोबा
2007-08	2.537	0.709
2008-09	7.352	0.785
2009-10	20.014	0.639
2010-11	36.149	2.439
योग :-	66.052	4.572

जनपद बांदा में यमुना तलहटी के किसानों को अण्डी (अरण्डी बीज) उत्पादन एवं किसानों को आवास सुविधा (कीटपालन गृह निर्माण सहायता) हेतु वर्षवार निम्नवत् धनराशि दी गयी :-

(धनराशि रुपये लाख में)

वर्ष	अण्डी (अरण्डी बीज) उत्पादन हेतु दी गयी धनराशि	आवास सुविधा (कीटपालन गृह निर्माण) हेतु दी गयी धनराशि
2007-08	1.068	0.500
2008-09	1.428	4.000
2009-10	0.157	14.800
2010-11	0.151	26.000

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा, चित्रकूट में कतिपय योजनाओं के अन्तर्गत कार्यदायी संस्थाओं द्वारा फर्जी जाब कार्ड पर किये गये भुगतान की जांच की मांग

8-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बांदा, चित्रकूट में डी0पी0ए0पी0/ मनरेगा/आई0डब्लू0डी0पी0 योजना अन्तर्गत वर्ष 2008-09 से मार्च, 2011 तक भूमि संरक्षण अधिकारी डी0पी0ए0पी0 चित्रकूट, बांदा प्रथम, द्वितीय एवं राष्ट्रीय जलागम को हरियाली कार्यक्रम एवं अन्य योजनाओं हेतु कितनी धनराशि पैचवार प्राप्त हुयी है ? क्या कार्यदायी संस्थाओं द्वारा पूर्व में हुये कार्यों के ऊपर ओवर लैपिंग कर फर्जी भुगतान किये गये हैं तथा मनरेगा योजना के अन्तर्गत मजदूरों के नाम फर्जी जॉब कार्ड बनाकर करोड़ों का भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर इसके दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय जलागम योजना का क्रियान्वयन नहीं होता है। भू0सं0ई0 बांदा प्रथम को डी0पी0ए0पी0 में रु0 380.521 लाख तथा आई0डब्लू0एम0पी0 में रु0 139.487 लाख का आवंटन वर्ष 2008-09 से मार्च, 2011 तक किया गया है। भू0सं0इ0 बांदा द्वितीय को डी0पी0ए0पी0 में रु0 247.825 लाख तथा आई0डब्लू0डी0पी0 में रु0 73.252 लाख की धनराशि वर्ष 2008-09 से मार्च, 2011 तक प्राप्त हुई है। भू0सं0ई0 चित्रकूट प्रथम में डी0पी0ए0पी0 के अन्तर्गत रु0 583.02 लाख तथा मनरेगा में रु0 21.42 लाख की धनराशि वर्ष 2008-09 से मार्च, 2011 तक प्राप्त हुई है।

उक्त धनराशियों के सापेक्ष सम्बन्धित जनपदों में कोई फर्जी कार्य/भुगतान की सूचना विभाग को नहीं मिली है। यदि शिकायत प्राप्त होती है तो कार्यवाही की जायेगी।

9-श्री आलोक कुमार शाक्य-

[1ले सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-74 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद एटा के जलेसर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों व मजरों में विद्युतीकरण से सम्बन्धित पत्र पर कार्यवाही

10-श्री कुबेर सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-एटा के जलेसर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों/मजरों के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्रांक-ख-3-990765, दिनांक 23-03-2011, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

प्रश्नकर्ता के पत्र में इंगित जनपद एटा के जलेसर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों/मजरों को विद्युतीकरण हेतु बिजनेस प्लान में सम्मिलित कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी की ग्राम सभा सरसतपुर के ग्राम प्रधान द्वारा किये गये भ्रष्टाचार एवं विधि विरुद्ध कार्य की जांच कराने विषयक पत्र पर कार्यवाही

11-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी की ग्राम सभा सरसतपुर के ग्राम प्रधान द्वारा वर्ष 2005 से मार्च, 2011 तक किये गये आर्थिक भ्रष्टाचार एवं विधि विरुद्ध कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 31-01-2011 प्रमुख सचिव, पंचायती राज को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी हां। प्रकरण की जांच प्रचलित है।

जनपद सीतापुर के जिला पंचायत द्वारा निर्मित कतिपय क्षतिग्रस्त/रपटा/पुलों की मरम्मत कराये जाने की मांग

12-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पंचायत सीतापुर द्वारा निर्मित सरैइया स्टेशन के पश्चिम पड़रिया ड्रेन पर ताजपुर के रपटा व सरैइया स्टेशन से इश्रवारा मार्ग पर रपटा, मिश्रिख किसुनपुर मार्ग पर रपटा, बकहुआ सुहेला मार्ग पर रपटा, कोठिला, आम्बा के बीच में स्थित रपटा/पुल निर्मित कराये गये थे ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त पुल/रपटा काफी जर्जर हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन रपटों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी हां।

मिश्रिखा से किसुनपुर मार्ग पर निर्मित रपटा वर्तमान में ठीक है। प्रश्नगत शेष 04 रपटा वर्तमान में ठीक है। प्रश्नगत शेष 04 रपटा/पुल क्षतिग्रस्त है।

सरैइया स्टेशन के पश्चिम पड़रिया ड्रेन पर ताजपुर के रपटा/पुल के पुनर्निर्माण हेतु इस कार्य की निविदा जिला पंचायत सीतापुर द्वारा आमंत्रित की गयी है। शेष 03 रपटा/पुलों की मरम्मत कराये जाने का प्रस्ताव जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में विचारार्थ रखकर लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही की जानी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बढ़ाने की मांग

13-श्री कुबेर सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण विद्युत आपूर्ति के मानक में क्या अन्तर है ? क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

प्रदेश के शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत जनपद एवं समकक्ष को 18 घण्टे, मण्डल स्तरीय क्षेत्र को 20 घण्टे, महानगरों को 22 घण्टे विद्युत आपूर्ति निर्धारित है तथा ग्रामीण एवं तहसील स्तरीय क्षेत्र को 14 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

जी नहीं।

प्रदेश में विद्युत की मांग के सापेक्ष विद्युत की उपलब्धता में कमी होने के कारण तथा ग्रिड की सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में इससे अधिक वर्तमान में विद्युत आपूर्ति करा पाना संभव नहीं है।

जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र जलेसर में खराब विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

14-श्री कुबेर सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-एटा के विधान सभा क्षेत्र जलेसर की खराब विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्रांक-ख-3 सं0 860037, दिनांक 24 फरवरी, 2011 प्रमुख सचिव, ऊर्जा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

जलेसर क्षेत्र एटा जनपद का ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्र है, जो ताज ट्रिपैजियम क्षेत्र में आता है। ताज ट्रिपैजियम क्षेत्र को 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति किया जाना आदेशित है, परन्तु वर्तमान में जनपद एटा के जलेसर क्षेत्र में ग्रामीण पोषकों पर व्यवधान एवं अन्य अनुरक्षण कार्यों के व्यवधान के कारण औसत 17=30 घण्टे की विद्युत आपूर्ति हो पा रही है।

जलेसर क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति में सुधार हेतु अब तक निम्नलिखित कार्य कराये जा चुके हैं :-

1-33/11 के0वी0 उपकेन्द्र जलेसर पर माह जून, 2011 में 2 अदद जर्जर 11 के0वी0 वी0सी0वी0 बदलकर नवीन वी0सी0वी0 लगाई गयी।

2-33/11 के0वी0 अवागढ़ पर माह जुलाई, 2011 में 2 अदद जर्जर वी0सी0 बदलकर नई वी0सी0वी0 लगाई गयी।

3-जलेसर कस्बे में वर्ष 2009-10 में 13.533 कि0मी0 ए0बी0सी0 लगाकर जर्जर तार बदला गया तथा 144 अदद नये पोल लगाकर सुदृढ़ीकरण किया गया।

4-जलेसर क्षेत्र के 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र बेरनी की क्षमता वृद्धि 1x3 एम0वी0ए0 से 1x5 एम0वी0ए0 की गयी।

5-जलेसर क्षेत्र के 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र बेरनी क्षेत्र में 18 कि0मी0 जर्जर तार बदले गये।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एटा विधान सभा क्षेत्र में रोडवेज बस डिपो खोलने से सम्बन्धित पत्र पर कार्यवाही की मांग

15-श्री कुबेर सिंह-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-एटा के विधान सभा क्षेत्र जलेसर में रोडवेज बस डिपो खोलने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्रांक-ख-3-860038, दिनांक 24 फरवरी, 2011 प्रमुख सचिव, परिवहन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (श्री राम अचल राजभर)-

जी हां।

जलेसर तहसील से सम्बद्ध सभी मार्ग अराष्ट्रीयकृत हैं, जिन पर निजी बस संचालकों द्वारा अनुज्ञा-पत्र प्राप्त कर विभिन्न मार्गों पर सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। जलेसर से तीन मार्गों हेतु परिवहन निगम द्वारा 04 बसें संचालित की जा रही हैं। जलेसर से सम्बद्ध मार्गों पर निजी बसों के संचालन के कारण निगम संचालन लाभप्रद नहीं है। वर्तमान में जलेसर में परिवहन निगम में डिपो स्थापित किये जाने की कोई योजना नहीं है।

उपरोक्तवत्।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक जैतीपुर के ग्राम गौटियाअत्तू में पंचायत भवन के निर्माण को पूर्ण कराये जाने की मांग

16-श्री राजेश यादव-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक जैतीपुर के ग्राम गौटिया अत्तू में 1998-99 में स्वीकृत पंचायत भवन का निर्माण कार्य अपूर्ण है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी हां।

जी हां।

निर्माण कार्य 6 माह में पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक मदनापुर के ग्राम मझोला में फूंके गये ट्रांसफार्मर की जगह दूसरा लगवाये जाने की मांग

17-श्री राजेश यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक मदनापुर के ग्राम मझोला में 5 वर्ष पूर्व ट्रांसफार्मर फुंक गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार इस ग्राम में दूसरा ट्रांसफार्मर लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

ग्राम में कोई संयोजन नहीं है यदि ग्राम से संयोजन के लिए प्रार्थना-पत्र प्राप्त होते हैं तो परिवर्तक लगा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

तदैव।

प्रदेश में विद्युतीकरण के लिये पूर्वांचल विकास निधि से धन अवमुक्त किये जाने की जानकारी

18-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युतीकरण के लिए प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में पूर्वांचल विकास निधि से धन अवमुक्त किये जाने हेतु मा0 जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया गया है कि इस सम्बन्ध में अपना प्रस्ताव दे दें ? क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता ने करीब छः महीने पहले प्रस्ताव दिया है तथा संदर्भित गांव का सर्वेक्षण कर विभाग ने आगणन भी तैयार किया है ? लेकिन अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्या सरकार एक महीने के अन्दर कार्य पूरा कराने के सम्बन्ध में विभाग को आवश्यक निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

जी हां।

पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि प्राप्त न होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विद्युत बकायेदारों में वसूली का प्राविधान

19-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत बकायेदारों से वसूली के क्या प्राविधान हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इलाहाबाद, चित्रकूट एवं बांदा जनपदों में 5 लाख

रुपये से ऊपर के कौन-कौन विद्युत बकायेदार हैं और उनसे वसूली हेतु सरकार द्वारा अभी तक क्या प्रयास किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

प्रदेश में विद्युत बकायेदारों से वसूली हेतु उनके कनेक्शनों को विच्छेदित किया जाता है, यदि विच्छेदन के उपरान्त भी विद्युत बिलों का भुगतान नहीं प्राप्त होता है, तो उ0 प्र0 विद्युत देय एवं वसूली अधिनियम की धारा-3 एवं धारा-5 के अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही की जाती है।

इलाहाबाद जनपद के रु0 5.00 लाख से अधिक राशि के कुल 140 बकायेदार हैं। उक्त 140 बकायेदारों की सूची† मा0 सदस्यगण के अवलोकनार्थ सदन के पटल पर रख दी गयी है। न्यायालय में विचाराधीन उपभोक्ताओं के मामलों को छोड़कर शेष सभी बकायेदारों के कनेक्शन विच्छेदित हैं तथा सतत् प्रक्रिया के अन्तर्गत सेक्शन-3 एवं सेक्शन-5 की कार्यवाही की गयी है।

जनपद बांदा में पांच लाख रुपये से अधिक बिजली का कोई भी बकायेदार नहीं है।

जनपद चित्रकूट में रु0 05 लाख से अधिक बिजली के तीन बकायेदार हैं, जिनके संयोजन स्थायी रूप से विच्छेदित है, जिनका विवरण निम्न है :-

1-संयोजन सं0-एच0पी0 15/एक्स-2 संयोजन निर्गत करने की तिथि 12-1-1993, स्वीकृत भार 300 के0वी0ए0 स्थाई विच्छेदन की तिथि 9-4-1999 बकाया धनराशि रु0 162.06 लाख (31-12-2010 तक)

2-संयोजन सं0-एच0पी0 16/एक्स-2 संयोजन निर्गत करने की तिथि 5-9-1995, स्वीकृत भार 1200 के0वी0ए0 स्थाई विच्छेदन की तिथि 25-12-2000 बकाया धनराशि रु0 78.74 लाख (31-12-2000 तक)

3-संयोजन सं0-एच0पी0 17/एक्स-2 संयोजन निर्गत करने की तिथि 31-3-1997, स्वीकृत भार 5000 के0वी0ए0 स्थाई विच्छेदन की तिथि 15-12-2002 बकाया धनराशि रु0 1070.00 लाख (31-12-2010 तक)

उक्त तीनों संयोजनों पर दिनांक 9-9-2004 को बी0आई0एफ0आर0 नई दिल्ली द्वारा निर्णीत एवं महाप्रबन्धक (वा), लखनऊ के पत्रांक-2515/पी0सी0एल0/सी0यू0-2/मे0 परेरहट दिनांक 16-10-2004 के आदेशानुसार क्रमशः रुपये 01-01-06 लाख कुल 08 लाख रुपये प्रतिमाह की किस्त के रूप में भुगतान करने की सुविधा प्रदत्त है तथा उपभोक्ता समय से मासिक किस्तों का भुगतान कर रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मांग के सापेक्ष विद्युत आपूर्ति एवं जनपद एटा में विद्युत आपूर्ति में वृद्धि की मांग

20-श्री कुबेर सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान समय में मांग के सापेक्ष कितने मेगावाट विद्युत की आपूर्ति विभिन्न स्रोतों से की जा रही है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि सेन्ट्रल

---

† छापी नहीं गयी।

पूल में प्रदेश सरकार का कितना हिस्सा है एवं उसके सापेक्ष वर्तमान में कितनी मेगावाट विद्युत मिल रही है ? क्या मांग के अनुरूप जनपद एटा को 20 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

वर्तमान में प्रदेश में माह जुलाई तक औसतन 9354 मेगावाट मांग के सापेक्ष 8895 मेगावाट विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

सेन्ट्रल सेक्टर से प्रदेश का अंश 5495 मेगावाट है, जिसके सापेक्ष औसतन 4253 मेगावाट विद्युत मिल रही है।

जी नहीं।

प्रदेश में विद्युत की मांग के सापेक्ष विद्युत की उपलब्धता में कमी होने के कारण सम्प्रति विद्युत आपूर्ति में वृद्धि किया जाना संभव नहीं है।

प्रदेश में किसानों को ट्यूबवेल के विद्युत कनेक्शन दिये जाने हेतु मानक

21-श्री कुबेर सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को ट्यूबवेल के विद्युत कनेक्शन देने हेतु 300 मीटर की दूरी निर्धारित कर शासनादेश जारी किया गया है ? यदि हां, तो कब ? क्या इसका अनुपालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

शासनादेश सं0-2252/24-1-08-49पी/04, टीसी-11, दिनांक 04 जुलाई, 08 को जारी किया गया है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जैतीपुर के ग्राम वमियाना में विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

22-श्री राजेश यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड-जैतीपुर के ग्राम-वमियाना का अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

जी हां।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जैतीपुर का ग्राम वमियाना, ग्राम पल्होरा का मजरा है। इसे विद्युतीकरण हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में सम्मिलित किया गया है। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर विद्युतीकरण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर के विकास नगर सादाबाद के ग्राम गुखरौली के निर्माणाधीन सामुदायिक केन्द्र के ढह जाने में घायलों को आर्थिक सहायता दिये जाने की मांग

23-डा0 अनिल चौधरी-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गुखरौली विकास खण्ड सादाबाद जनपद महामायानगर में निर्माणाधीन सामुदायिक केन्द्र (बारातघर) दिनांक 17 दिसम्बर, 2010 को ढह जाने से 04-05 मजदूर घायल हो गये थे ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त घटना के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए घायल मजदूरों को आर्थिक मदद दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

सामुदायिक केन्द्र (बारात घर) के निर्माण की योजना पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित नहीं की जाती है। प्रश्न का उत्तर अन्य विभागों से भी अपेक्षित है जिसके लिये सूचना एकत्रित की जा रही है।

जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय ब्लाकों के ग्रामों में लो वोल्टेज की समस्या का निराकरण कराये जाने की मांग

24-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के ब्लाक बेलखरनाथ धाम, पट्टी, मंगरौरा, आसपुर के ग्रामों में कम वोल्टेज विद्युत आपूर्ति की समस्या विद्यमान है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर अधिक क्षमता के विद्युत ट्रांसफार्मर स्थापित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

बिजनेस प्लान वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत उक्त स्थानों पर अधिक क्षमता के विद्युत ट्रांसफार्मर स्थापित किये जाने की योजना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी की ग्राम पंचायत रामचन्द्र के ग्राम प्रधान व ग्राम अधिकारी द्वारा कराये गये कार्यों में अनियमितता की जांच पर कार्यवाही

25-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक पट्टी की ग्राम पंचायत रामचन्द्र, पट्टी जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2006 से दिसम्बर, 2010 तक अनुमन्य सभी मदों से कराये गये निर्माण कार्यों में की गयी वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की जांच कराने हेतु निदेशक, पंचायती राज का पत्र संख्या-4/सभापति/ 76/2009/4/3/99, दिनांक 30-10-2009 श्री नीतीश्वर कुमार जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को जांच आख्या से अवगत कराये जाने हेतु समयबद्ध निर्देश दिये गये थे ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी हां।

जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ से वांछित आख्या अभी प्रतीक्षित है।

जनपद महामायानगर के विकास खण्ड सहपऊ के नगला ब्राह्मण से नगला बिषी तक लेपन स्तर तक सड़क का निर्माण पूर्ण कराये जाने की मांग

26-डा0 अनिल चौधरी-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड सहपऊ, जनपद-महामायानगर के नगला ब्राह्मण से नगला बिषी तक लेपन स्तर तक सड़क निर्माण कार्य को जिला पंचायत हाथरस (महामायानगर) द्वारा पूर्ण कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

कार्य डब्लू0बी0एम0 स्तर तक करा लिया गया है। बरसात के कारण लेपन कार्य पूर्ण नहीं हो सका है।

प्रदेश के जिला पंचायतों में अपर मुख्य अधिकारी के स्वीकृत पद के सापेक्ष तैनात अधिकारी

27-श्री कुबेर सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिला पंचायतों में अपर मुख्य अधिकारी के कितने पद स्वीकृत हैं एवं इसके सापेक्ष कितने अपर मुख्य अधिकारी तैनात हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि अपर मुख्य अधिकारी की अनुपलब्धता में कनिष्ठ अधिकारियों को प्रभारी अपर मुख्य अधिकारी बनाने की व्यवस्था नियमों में है ? यदि हां, तो क्या सभी केन्द्रीय संक्रमणीय संवर्ग में नियुक्त अधिकारियों को इसका अवसर समान रूप से मिल रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

प्रदेश की समस्त जिला पंचायतों के लिये अपर मुख्य अधिकारी के कुल 72 पद सृजित हैं, जिसके सापेक्ष सभी पदों पर अधिकारी तैनात हैं। अपर मुख्य अधिकारी के पोषक संवर्ग की वरिष्ठता सूची विवादित/मा0 न्यायालयों में विचाराधीन/लम्बित होने के कारण, कार्यहित में नितान्त अस्थायी व्यवस्था के तहत पोषक संवर्ग के कर्मियों को अपर मुख्य अधिकारी पद का प्रभार कामचलाऊ व्यवस्था में अस्थायी रूप से दिया गया है।

जी नहीं।

क्योंकि केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग के अन्तर्गत कुल सात संवर्ग के पद आते हैं, जिसमें से मात्र 02 संवर्ग के पद (कार्य अधिकारी एवं अभियन्ता) अपर मुख्य अधिकारी पद के पोषक संवर्ग हैं। इसलिए सभी केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग में नियुक्त अधिकारियों का समान अवसर दिया जाना सम्भव नहीं है।

प्रदेश में पी0पी0पी0 योजनान्तर्गत परिवहन निगम के बस अड्डों को निजी क्षेत्र में देने की प्रक्रिया सम्बन्धी जानकारी

28-श्री कुबेर सिंह-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पी0पी0पी0 योजनान्तर्गत परिवहन निगम के बस अड्डों को निजी क्षेत्र में देने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गयी है ? यदि हां, तो अभी

तक किन-किन बस अड्डों के निजी क्षेत्रों में किसको-किसको किन शर्तों पर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम अचल राजभर-

जी नहीं। परिवहन निगम के बस स्टेशनों को सार्वजनिक निजी सहभागिता (पी0पी0पी0) के आधार पर जनहित के दृष्टिगत आधुनिक एवं उच्चीकृत अवस्थापनाओं के रूप में विकसित करने की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है।

उपरोक्तानुसार ही पी0पी0पी0 आधार पर निगम के कुल 202 प्रस्तावित बस स्टेशनों को विकसित किया जाना है। (सूची संलग्न†)

उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जा रही है।

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र बांसी में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने की मांग

29-श्री लाल जी यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र बांसी के अन्तर्गत खेसरहा फीडर और पथरा फीडर पर 12 घण्टे की विद्युत आपूर्ति होती है ? क्या बांसी फीडर से विद्युत सप्लाई में आदर्श नगर पालिका बांसी व देहाती क्षेत्र बांसी से सब-स्टेशन से सप्लाई होती है तथा नगर पालिका परिषद् द्वारा कामर्शियल बिजली बिल देने के बावजूद भी 06 घण्टे व कभी 07 घण्टे की ही विद्युत आपूर्ति की जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस फीडर पर भी 12 घण्टे की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने का निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां। दिनांक 15-6-2011 से 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र बांसी से निकलने वाले समस्त पोषकों को 14 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

वर्तमान में सभी ग्रामीण एवं तहसील स्तरीय क्षेत्रों को 14 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार 14 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर के सादाबाद के बस स्टैण्ड की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कराये जाने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

30-डा0 अनिल चौधरी-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सादाबाद, जनपद महामायानगर के बस स्टैण्ड के भवन/ बाउन्ड्रीवाल के निर्माण कराने विषयक प्रमुख सचिव, परिवहन को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-421/रालोद/विमदल/ विस/2010, दिनांक 25-11-2010 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो

---

† छापी नहीं गयी।

क्या सरकार उक्त बस स्टैण्ड के भवन/बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कराकर लम्बे रूट की गाड़ियों का ठहराव सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम अचल राजभर-

जी हां।

बस स्टेशन सादाबाद को पी0पी0पी0 योजना के अन्तर्गत आधुनिक एवं उच्चीकृत अवस्थापना के रूप में विकसित किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है बस स्टेशन सादाबाद पर सभी बसों को रुकवाने एवं यात्रियों को बैठाने हेतु एक कर्मचारी की तैनाती माह मार्च, 2010 से कर दी गयी है। वर्तमान में विशेष सेवाओं वातानुकूलित/पवनगोल्ड/एक्सप्रेस सेवाओं को छोड़कर सभी बसें बस स्टेशन पर रुककर यात्रियों को उतारती एवं चढ़ाती हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा मण्डल एवं सादाबाद जनपद महामायानगर की परिवहन व्यवस्था के सुधार विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

31-डा0 अनिल चौधरी-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा मण्डल एवं सादाबाद, जनपद महामायानगर की परिवहन व्यवस्था के सुधार विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-456/रालोद/विमदल/विस/2011, दिनांक 11-01-2011 एवं सं0-454/ रालोद/विमदल/विस/2011, दिनांक 11-01-2011 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम अचल राजभर-

जी हां।

प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या-456/रालोद/विमदल/विस/2011, दिनांक 11-1-2011 में क्रमांक-1 पर उल्लिखित मार्ग में से हाथरस-सादाबाद-कुरसण्डा मोड़ पर परिवहन निगत की पर्याप्त मात्रा में सेवाएं संचालित हैं। इस मार्ग से भोश-कुरसण्डा मोड़ से मई तक 07 किमी0 का भाग अराष्ट्रीयकृत होने के कारण सेवा का संचालन संभव नहीं है। क्रमांक-2 पर उल्लिखित हाथरस-सहपऊ-जलेसर वाया मांगरू, खोंडा मार्ग पूर्णतया अराष्ट्रीयकृत मार्ग है, जिस पर निजी बसें पर्याप्त मात्रा में संचालित हैं। इस मांग पर जनता की विशेष मांग पर अनुज्ञा-पत्र प्राप्त कर 2 सेवाएं संचालित की जा रही हैं। क्रमांक-3 पर उल्लिखित हाथरस, कुरसण्डा-मई-मिढ़ावली-बरौली-बल्देव मार्ग पर निगम की पर्याप्त सेवाएं संचालित हैं। क्रमांक-4 पर उल्लिखित सादाबाद-राया-बाजना (जनपद-मथुरा) मार्ग पूर्णतया अराष्ट्रीयकृत मार्ग है। इस मार्ग के राया से बाजना तक मथुरा डिपो की बसें अनुज्ञा-पत्र प्राप्त कर संचालित की जा रही हैं।

प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-454/रालोद/विमदल/विस/2011, दिनांक 11-01-2011 में क्रमांक-1 पर उल्लिखित मार्ग आगरा से बलदेव वाया खन्दौली अर्ह पर मार्कोपोलो बसों का संचालन

किया जाना नीतिगत नहीं है, मार्कोपोलो बसें शासन द्वारा केवल नगरीय सीमा में संचालन हेतु अनुमन्य हैं। क्रमांक-2 पर उल्लिखित आगरा से सहपऊ वाया सादाबाद मार्ग में से आगरा से सादाबाद तक जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की बसें पर्याप्त मात्रा में संचालित हैं। सादाबाद से सहपऊ तक का भाग अराष्ट्रीयकृत होने एवं निगम के लिए लाभकारी नहीं है, जिसके कारण संचालन संभव नहीं है। क्रमांक-3 पर उल्लिखित आगरा से ग्रेटर नोएडा वाया नोएडा तक पूर्व संचालित सेवा के संचालन प्रतिफल अत्यधिक खराब प्राप्त होने के कारण इस मार्ग पर संचालन बन्द करते हुए आगरा-दिल्ली के मध्य सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। क्रमांक-4 पर उल्लिखित आगरा-दिल्ली मार्ग पर ए0सी0, शताब्दी, वोल्वो ए0सी0 बसों का संचालन किया जा रहा है।

उपरोक्तावत्।

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र खैर के ग्रामों व मजरों में विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

32-चौ0 सत्यपाल सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र, खैर में कुल कितने ग्रामों व मजरों में विद्युतीकरण हो चुका है एवं कितने ग्राम व मजरे विद्युतीकरण से वंचित हैं ? क्या सरकार वंचित ग्रामों एवं मजरों का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र खैर में कुल 206 ग्रामों व 15 मजरों में विद्युतीकरण हो चुका है एवं 01 ग्राम व 57 मजरें विद्युतीकरण से वंचित हैं।

जी हां। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर विद्युतीकरण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ की नगरपालिका खैर में विद्युत उपभोक्ताओं से ग्रामीण अंचल के अनुसार विद्युत बिल लिये जाने की मांग

33-चौ0 सत्यपाल सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ की नगर पालिका खैर में दिनांक 31-1-2010 से 15-5-2010 तक प्रतिदिन औसतन कितने घण्टे विद्युत आपूर्ति की गयी है ? क्या यह सही है कि नगर पालिका खैर में विद्युत उपभोक्ताओं से विद्युत बिल शहरी मानक के अनुसार लिया जा रहा है जबकि विद्युत आपूर्ति ग्रामीण अंचल के मानक के अनुसार दी जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार स्थाई रूप से खैर कस्बे को डबलग्रुप में परिवर्तित करेगी ? यदि नहीं, तो क्या खैर कस्बे के उपभोक्ताओं से ग्रामीण अंचल के अनुसार विद्युत बिल लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद अलीगढ़ की नगरपालिका खैर में दिनांक 31-1-10 से 15-5-10 की अवधि में प्रतिदिन औसतन 10.30 घण्टे विद्युत आपूर्ति की गई।

नगरपालिका खैर के सभी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के परिसर में मीटर स्थापित है जिनकी बिलिंग निर्धारित टैरिफ के अनुसार की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश के सभी ग्रामीण एवं तहसील स्तरीय क्षेत्रों को 14 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

नगरपालिका खैर को सुचारू विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिये 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र खैर की क्षमता वृद्धि दिसम्बर, 2009 में 2x5 एम0वी0ए0 (10एम0वी0ए0) से बढ़ाकर 5+10 एम0वी0ए0 (15 एम0वी0ए0) कर दी गयी है। फलतः खैर कस्बे को डबल ग्रुप में परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्नगत क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं पर विद्युत बिल का निर्धारण राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ के आधार पर ही किया जा रहा है। अतः शेष प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ग्राम स्तर पर वाल्मीकी समाज के व्यक्तियों को सफाई कर्मी नियुक्त किये जाने की मांग

34-चौ0 सत्यपाल सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम स्तर पर सफाई कर्मियों की नियुक्ति हेतु क्या सरकार केवल वाल्मीकि समाज के ही व्यक्तियों को सफाई कर्मचारियों के पद पर नियुक्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड आसपुर देवसरा के के ग्राम जाल्हेपुर के विद्युतीकरण हेतु पत्र पर कृत कार्यवाही

35-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-8-2010 जो जनपद प्रतापगढ़, वि0ख0 आसपुर देवसरा के ग्राम जाल्हेपुर के विद्युतीकरण हेतु अधिशासी अभियन्ता, विद्युत, प्रतापगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

ग्राम जाल्हेपुर के विद्युतीकरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के क्षेत्र पंचायत बिजुआ में जिला स्तरीय अधिकारी क्षेत्र पंचायत समिति की बैठक में अनुपस्थित पर कार्यवाही

36-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 3-10-2008 को क्षेत्र पंचायत बिजुआ, जनपद लखीमपुर खीरी में जिला स्तरीय अधिकारी क्षेत्र पंचायत समिति की बैठक में नहीं पहुंचे ? यदि हां, तो क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी हां।

बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए मुख्य विकास अधिकारी, खीरी द्वारा चेतावनी निर्गत की गयी है तथा भविष्य में बैठक में प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के जिला मुख्यालय पर अनवरत विद्युत आपूर्ति किये जाने की मांग

37-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के जिला मुख्यालय में सिर्फ चार घण्टे बिजली आपूर्ति की जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जिला मुख्यालय को 24 घण्टे बिजली आपूर्ति करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी नहीं। वर्तमान में लखीमपुर खीरी के जिला मुख्यालय में ऊर्जा नियंत्रण प्रणाली के रोस्टर के अनुसार लगभग 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

जी नहीं।

विद्युत की मांग के सापेक्ष उपलब्धता में कमी के दृष्टिगत आपूर्ति में वृद्धि किया जाना संभव नहीं है।

जनपद सीतापुर की कतिपय तहसीलों में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था ठीक कराये जाने की मांग

38-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद को तहसील बिसवां व लहरपुर की भांति विद्युत की आपूर्ति की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में लहरपुर, बिसवां की भांति विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद एवं अन्य तहसील बिसवां, लहरपुर आदि को ऊर्जा नियंत्रण प्रणाली के रोस्टर के अनुसार निर्धारित 14 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत परियोजनाओं में आवंटित धनराशि से ग्राम सचिवालय के निर्माण के सम्बन्ध में जानकारी

39-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में वर्ष 2008-09 से 31 मार्च, 2011 तक पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि किन-किन परियोजनाओं के लिए आवंटित की गई है ? क्या ग्राम सचिवालय/पंचायत भवन हेतु धनराशि कार्यदायी संस्थाओं को आवंटित की गयी है ? यदि हां, तो अब तक मानक के अनुसार कितने ग्राम सचिवालय बन चुके हैं तथा कितने शेष हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जनपद बांदा में वर्ष 2008-09 से 31 मार्च, 2011 तक पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत 77 ग्राम पंचायत सचिवालय निर्माण हेतु रु0 1195.04 लाख कार्यदायी संस्था यू0पी0पी0सी0एल0 बांदा को तथा 90 ग्राम पंचायत सचिवालय निर्माण हेतु रु0 1324.80 लाख कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 श्रम निर्माण सहकारी संघ लि0 बांदा को अवमुक्त किया गया है। क्षेत्र पंचायतों को रिसोर्स सेन्टर/इन्दिरा आवासों हेतु रु0 119.525 लाख तथा शहरी निकायों को रु0 539.07 लाख सीसी रोड, नाली नाला, शौचालय, पुलिया एवं कार्यालय भवन हेतु तथा जिला पंचायत, बांदा को ग्रामीण क्षेत्रों में सीसी रोड, चेकडेम, पुलिया, रैन बसेरा, रपटा निर्माण आदि हेतु रु0 793.44 लाख अवमुक्त किया गया है।

जी हां।

77 ग्राम पंचायत सचिवालय भवन बन चुके हैं। 81 ग्राम पंचायत सचिवालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा 9 ग्राम पंचायत सचिवालय का निर्माण कार्य स्थल न मिलने के कारण अनारम्भ है।

जनपद मुजफ्फरनगर की कतिपय तहसीलों में विकास कार्यों हेतु विगत वर्षों में स्वीकृत धनराशि एवं कृत कार्यों का विवरण

40-श्रीमती मिथिलेश पाल-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर में वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 में विकास कार्यों हेतु तहसील सदर, जानसठ एवं खतौली में शासन द्वारा वर्षवार कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गयी एवं उससे क्या-क्या कार्य कराये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जनपद मुजफ्फरनगर में वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 में विकास कार्यों हेतु तहसील सदर, जानसठ एवं खतौली में स्वीकृत धनराशि एवं कार्यों का विवरण विस्तृत होने के कारण सम्पूर्ण विवरण मा0 मंत्री जी के कार्यालय कक्ष में रख दिया गया है, जिसे मा0 सदस्य किसी भी कार्य दिवस में अपनी सुविधानुसार देख सकते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर की कतिपय तहसीलों में विद्युत व्यवस्था सुधार हेतु कराये गये कार्यों का वर्षवार विवरण

41-श्रीमती मिथिलेश पाल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील सदर, जानसठ एवं खतौली हेतु वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 व 2010-11 में विद्युत व्यवस्था सुधारने हेतु वर्षवार कराये गये कार्यों का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील सदर, जानसठ एवं खतौली में विद्युत व्यवस्था सुधारने में निम्न कार्य कराये गये हैं :-

वर्ष	कार्य का विवरण
2007-08	प्रणाली सुधार में 63 कार्य तथा आवश्यकतानुसार क्षमता वृद्धि।
2008-09	प्रणाली सुधार में 99 कार्य तथा नई ओ0बी0सी0 लगाने का कार्य।
2009-10	प्रणाली सुधार में 56 कार्य तथा जर्जर तार बदलने का कार्य।
2010-11	प्रणाली सुधार में 46 कार्य जर्जर तार एवं खम्भे बदलने का कार्य।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर की कतिपय तहसीलों के मजरों/ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

42-श्रीमती मिथिलेश पाल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील जानसठ, सदर एवं खतौली जनपद मुजफ्फरनगर के कितने मजरे/ग्राम विद्युतीकरण की सुविधा से वंचित हैं ? क्या सरकार इन मजरों/ग्रामों में वर्ष 2010-11 में विद्युतीकरण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील जानसठ, सदर एवं खतौली में मात्र 12 मजरे विद्युतीकरण की सुविधा से वंचित है।

वर्ष 2010-11 में उपरोक्त मजरों का विद्युतीकरण किसी योजना में सम्मिलित नहीं था लेकिन वर्ष 2011-12 में खतौली तहसील के अन्तर्गत चयनित ग्राम गन्धेडी जाटान के मजरे सुशीलापुर का विद्युतीकरण, डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत किया जाना प्रस्तावित है। शेष मजरों का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत किया जाना प्रस्तावित है। योजना की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होने पर विद्युतीकरण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के श्री धर्मेन्द्र प्रताप सिंह निवासी पूरे चिरंजीव महेशपुर की नियुक्ति किये जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही

43-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मृतक आश्रित श्री धर्मेन्द्र प्रताप सिंह निवासी-पूरे चिरंजीव महेशपुर, पो0 लौवार, जनपद प्रतापगढ़ की नियुक्ति किये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-9-2010 प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम अचल राजभर-

जी हां। इस विषय पर प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-9-10 न होकर दिनांक 22-9-2010 प्राप्त हुआ है।

सार्वजनिक उद्यम विभाग के शासनादेश दिनांक 11 जुलाई, 2003 द्वारा उ0 प्र0 रा0 सड़क परिवहन निगम में मृतक आश्रित के सेवायोजन पर प्रतिबन्ध है। उक्त के दृष्टिगत श्री धर्मेन्द्र प्रताप सिंह को सेवायोजित किया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ की ग्राम सभा दूलापुर की ग्राम प्रधान द्वारा पिछड़ी जाति का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने सम्बन्धी प्राप्त शिकायती-पत्र पर कार्यवाही की मांग

44-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की ग्राम सभा दूलापुर की ग्राम प्रधान श्रीमती अतीरुलनिशा पत्नी इसराफिल, निवासी ग्राम रूदापुर द्वारा पिछड़ी जाति का गलत प्रमाण-पत्र तहसील पट्टी से प्राप्त करने के विरुद्ध श्री गफ्फार निवासी ग्राम मौलानी के शिकायती-पत्र के साथ जांच हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 19-11-2010 एवं 05-01-2011 जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा फर्जी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के आरोपों की जांच कराते हुए सुसंगत धाराओं में एफ0आई0आर0 दर्ज कराने एवं फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रधान पद पर निर्वाचित को पद से हटाये जाने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी हां।

जिला स्तर पर जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा जाति प्रमाण-पत्रों के सत्यापन हेतु गठित समिति के समक्ष प्रकरण विचाराधीन है। समिति द्वारा निर्णय लिये जाने के उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी में अलीगंज-लखीमपुर के सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग

45-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में अलीगंज-लखीमपुर मार्ग से मथना मजार तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण जिला पंचायत खीरी द्वारा कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सड़क के दोनों तरफ मिट्टी पटाई का कार्य कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के अलीगंज-लखीमपुर मार्ग के निर्माण पर व्यय धनराशि

46-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी की अलीगंज-लखीमपुर मार्ग से मथना मजार तक बनाई गई सड़क पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त सड़क पर बोर्ड लगा कर चिन्हित कर दिया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मार्ग का शिलान्यास कब तथा किसके द्वारा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

विकास खण्ड लखीमपुर में अलीगंज-लखीमपुर मार्ग से मथना मजार तक लेपित मार्ग का कार्य जिला पंचायत खीरी द्वारा कराया गया है, जिस पर कुल रु0 13.63 लाख धनराशि व्यय हुई है।

निर्माण कार्य पूर्ण है। उक्त मार्ग पर ग्रेनाइट पत्थर का शिलापट लगाकर चिन्हित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

मार्ग का शिलान्यास नहीं कराया गया है।

मार्ग का शिलान्यास कराये जाने की अनिवार्यता नहीं है।

जनपद लखीमपुर खीरी में जिला पंचायत द्वारा विकास योजनाओं पर व्यय की गयी धनराशि

47-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी की जिला पंचायत द्वारा विगत पांच वर्षों में कितना धन विकास योजनाओं पर खर्च किया गया है तथा कौन-कौन से कार्य कराये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जिला पंचायत, खीरी द्वारा विगत पांच वर्षों में विकास योजनाओं पर रु0 5558.41 लाख खर्च किया गया है।

उक्त धनराशि के सापेक्ष 145 मार्गों पर लेपन कार्य, 365 मार्गों पर खड़ण्जा कार्य, 32 मार्गों पर सी0सी0 रोड, 55 पुलिया निर्माण, 5 नग रपटा निर्माण, जिला पंचायत की परिसम्पत्तियों के रख-रखाव के अन्तर्गत 24 भवनों की मरम्मत तथा जिला पंचायत द्वारा संचालित 10 विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कार्य कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के कतिपय 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों के उपकरणों को बदलवाये जाने की मांग

48-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के 33/11 के0वी0 मनकापुर, मसकनवा विद्युत उपकेन्द्र पर लगे उपकरण काफी पुराने हो चुके हैं और मरम्मत भी न होने के कारण विद्युत आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार विद्युत उपकरणों को बदलवाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद गोण्डा के 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र, मनकापुर पर लगे 11 के0वी0 ब्रेकर माह मार्च, 2011 में मरम्मत योग्य न होने के कारण बदल दिये गये हैं तथा 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र मसकनवा पर लगे 11 के0वी0 ब्रेकर ठीक होने के कारण बदलने की आवश्यकता नहीं पायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र मनकापुर के अवर अभियन्ता एवं लाइनमैन के उपस्थिति की जांच कराकर कार्यवाही की मांग

49-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र मनकापुर पर तैनात अवर अभियन्ता एवं लाइनमैन के निर्धारित ड्यूटी समय पर उपस्थित न रहने के कारण विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद गोण्डा के 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र मनकापुर पर तैनात अवर अभियन्ता एवं लाइनमैन विद्युत उपकेन्द्र पर उपस्थित रहते हैं तथा उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

50-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

[1ले बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-188 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

51-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा

[1ले बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-184 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के ग्राम पंचायत केदारपुर में विद्युतीकरण कराये जाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

52-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्रांक-क-4, 249988 वर्ष 1999-2000 के परिप्रेक्ष्य में जनपद सीतापुर, तहसील-महमूदाबाद की ग्राम पंचायत केदारपुर में विद्युतीकरण कराये जाने का प्रस्ताव तत्कालीन क्षेत्रीय विधायक डा0 अम्मार रिजवी द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 26-11-2010 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

इंगित ग्राम विद्युतीकरण हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में सम्मिलित कर लिया है। योजना की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होने पर विद्युतीकरण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के ग्राम सौधा में विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

53-श्री राजेश यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के ग्राम सौधा में अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के ग्राम सौंधा का विद्युतीकरण विस्तारित बिजनेस प्लान वर्ष 2010-11 के अन्तर्गत माह अक्टूबर, 2011 तक करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बिजली के तारों में मरने वाले मनुष्यों-पशुओं हेतु क्षतिपूर्ति/अनुदान देने के सम्बन्ध में जानकारी

54-श्री कुबेर सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बिजली के तार टूटकर गिरने से सैकड़ों की संख्या में पशुओं एवं मनुष्यों की मौतें प्रतिवर्ष हो जाती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस प्रकार की घटनाओं में जान गंवाने वाले पशुओं के मालिकों तथा मृतकों के परिजनों को कोई क्षतिपूर्ति/अनुदान दिया जाता है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

जी हां।

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के आदेश संख्या-2400-औ0सं0-2008, दिनांक 19-6-2008 द्वारा मृत पशुओं के मालिकों को रु0 5000/-एवं मृतक के परिजन को रु0 1,00,000/-क्षतिपूर्ति के रूप में दिये जाने का प्राविधान किया गया है।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर की तहसील हंडिया के निवासियों के विद्युत कनेक्शन का संयोजन कराये जाने की मांग

55-श्री जोखू लाल यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत चम्पापुर के मजरा महुवापुर, तहसील हंडिया के निवासीगण द्वारा विद्युत कनेक्शन हेतु धनराशि जमा कर रसीदें प्राप्त कर ली गयी है ? यदि हां, तो क्या उनके विद्युत कनेक्शन का संयोजन कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

कटिया नियमितीकरण अभियान के अन्तर्गत संयोजन जुड़ा पाये जाने पर स्थल पर ही रसीदें निर्गत कर धनराशि जमा करा ली गयी है, परन्तु परिसर की दूरी अधिक होने के कारण उक्त ग्राम में वितरण परिवर्तक उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही अक्टूबर, 2011 तक पूर्ण करायी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के ब्लाक टप्पल में टप्पल एवं जट्टारी बिजलीघरों से लगे ग्रामों की लो-वोल्टेज की समस्या का निराकरण कराये जाने की मांग

56-चौ0 सत्यपाल सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के ब्लाक टप्पल में टप्पल एवं जट्टारी बिजलीघरों से लगे गांवों में वर्तमान समय में कम वोल्टेज की समस्या है ? यदि हां, तो इसके निदान हेतु क्या सरकार कोई व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

प्रणाली अतिभारित होने के कारण अलीगढ़ के ब्लाक टप्पल एवं जट्टारी से लगे ग्रामों में कम वोल्टेज की समस्या हो जाती है।

जट्टारी में 132 के0वी0 उपकेन्द्र निर्माणाधीन है, जिसके 4 माह में पूर्ण होने की संभावना है। उक्त उपकेन्द्र के ऊर्जीकृत होने के उपरान्त प्रश्नगत क्षेत्र की कम वोल्टेज की समस्या का निराकरण हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

अलीगढ़ मण्डल में जनपदवार निर्गत किये गये विद्युत संयोजन तथा लम्बित आवेदनों का विवरण

57-चौ0 सत्यपाल सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के दक्षिणांचल पावर कार्पोरेशन के अन्तर्गत दिनांक 31-04-2010 तक निजी नलकूपों के विद्युत संयोजन हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों में से दिनांक 31-04-2010 तक कितने आवेदन-पत्र लम्बित थे तथा दिनांक 31-04-2010 तक अलीगढ़ मण्डल के जनपदवार कितने विद्युत संयोजन हेतु आवेदन-पत्र निर्गत किये गये हैं तथा शेष संयोजन कब तक निर्गत कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

अलीगढ़ मण्डल में जनपदवार निर्गत किये गये विद्युत संयोजन तथा लम्बित आवेदनों का विवरण निम्नवत् है :-

जनपद	दिनांक 01-04-09 से 30-04-2010 तक दिये गये संयोजन	दिनांक 30-04-2010 तक लम्बित आवेदन
अलीगढ़	1050	1072
हाथरस	779	670
एटा	100	511
काशीरामनगर	70	2

वित्तीय वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत प्राप्त लक्ष्यों के आधार पर शेष संयोजन निर्गत कर दिये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के ब्लाक चन्दौस के अनेकों ग्रामों में लटक रहे विद्युत तारों को ऊंचा कराये जाने की मांग

58-चौ0 सत्यपाल सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के ब्लाक चन्दौस में ग्राम डेटा मजूपुर, बजरामपुर, नाई नगला, ओढ़ नगला आदि गांवों में विद्युत आपूर्ति करने वाले तार खेतों में एवं मुख्य रास्तों पर काफी नीचे लटके रहने के कारण ग्रामवासियों को खतरा बना रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन तारों को ऊंचा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां। जनपद अलीगढ़ के ब्लाक चण्डौस में ग्राम डेटा मजूपुर, बजरामपुर, नाई नगला आदि ग्रामों में विद्युत आपूर्ति करने वाले तार खेतों में एवं मुख्य रास्तों पर अज्ञात लोगों द्वारा स्टे खोलने/क्षतिग्रस्त करने के परिणाम स्वरूप नीचे लटक गये थे, जिन्हें सही करा दिया गया है।

जी हां, नीचे लटके तारों को अतिरिक्त खम्भे लगाकर ऊंचा करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

अलीगढ़ मण्डल के सभी जनपदों में निजी नलकूपों को नये विद्युत संयोजन देने की व्यवस्था

59-चौ0 सत्यपाल सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में निजी नलकूपों को नये विद्युत संयोजन देने की क्या व्यवस्था है ? क्या सरकार 03 हार्स पावर से 05 हार्स पावर तक के कनेक्शन देने हेतु अलीगढ़ मण्डल के सभी जनपदों हेतु आदेश निर्गत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद अलीगढ़ में निजी नलकूपों को नये विद्युत कनेक्शन विद्युत वितरण संहिता में निहित प्राविधान के अनुसार देने की व्यवस्था है।

अलीगढ़ मण्डल के जनपदों में भू-गर्भीय जल स्तर काफी गहरा होने के कारण सामान्यतः 3 से 5 हार्स पावर की मोटर से सिंचाई हेतु पानी निकालना संभव नहीं हो पाता है तथा 7.5 हार्स पावर अथवा उससे अधिक क्षमता की मोटर की आवश्यकता पड़ती है फिर भी जहां 3 से 5 हार्स पावर की मोटर से पानी उठाना सम्भव है, वहां विद्युत वितरण संहिता के प्रस्तर 3.2 के अनुरूप 3 हार्स पावर से 5 हार्स पावर तक (5 किलोवाट से कम) सिंगिल फेज विद्युत संयोजन प्रदान किये जाने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के कतिपय विद्युतगृहों के जर्जर तारों को बदलाये जाने की मांग

60-चौ0 सत्यपाल सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के टप्पल, जट्टारी, पिसावा एवं चन्दौस बिजलीघरों के ग्रामों में विद्युत लाइन के तार जर्जर एवं जीर्ण-शीर्ण हो चुके हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त गांवों की विद्युत लाइन के तारों को बदलवाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

जनपद अलीगढ़ के टप्पल, जट्टारी, पिसावा एवं चण्डौस बिजली घरों के ग्रामों में विद्युत लाइन के तार आंशिक रूप में जर्जर एवं जीर्ण-शीर्ण है।

जी हां, उपरोक्त विद्युत लाइनों के जर्जर एवं जीर्ण-शीर्ण तार आदि की आवश्यकतानुसार बदलवाया जा रहा है। कराये गये कार्य निम्नवत् है :-

ग्राम-टप्पल :-

(क) 11 के0वी0 लालपुर फीडर में लगभग 5 कि0मी0 लाइन के जर्जर तार 25 पोल एवं 40 क्रौस आर्म आदि बदले गये हैं।

(ख) 11 के0वी0 आर0एल0 फीडर में लगभग 5 कि0मी0 लाइन के जर्जर तार 30 पोल एवं 40 क्रौस आर्म आदि बदले गये हैं।

(ग) ग्राम स्यारौल में सभी जर्जर तार एवं पोल आदि बदले गये हैं।

ग्राम-जट्टारी- :-

(क) 11 के0वी0 नार्थ पोषक में लगभग 2 कि0मी0 लाइन के जर्जर तार एवं क्रौस आर्म बदले गये हैं।

ग्राम-जैदपुर :-

(क) 11 के0वी0 मालव फीडर में लगभग 5 कि0मी0 लाइन के जर्जर तार एवं क्रौस आर्म व पोल आदि बदले गये।

(ख) 11 के0वी0 घोंघोली फीडर में लगभग 5 कि0मी0 लाइन के जर्जर तार एवं क्रौस आर्म व पोल आदि बदले गये।

ग्राम-वीरपुरा :-

(क) 11 के0वी0 थानपुर फीडर में लगभग 8 कि0मी0 लाइन के जर्जर तार एवं क्रौस आर्म व पोल आदि बदले गये।

(ख) 11 के0वी0 वीरपुरा फीडर में लगभग 3 कि0मी0 लाइन के जर्जर तार एवं क्रौस आर्म व पोल आदि बदले गये।

ग्राम-सहजपुरा :-

(क) 11 के0वी0 ऊमरी फीडर में लगभग 10 कि0मी0 लाइन के जर्जर तार एवं क्रौस आर्म व पोल आदि बदले गये।

(ख) 11 के0वी0 मीरपुर फीडर में लगभग 8 कि0मी0 लाइन के जर्जर तार एवं क्रौस आर्म व पोल आदि बदले गये।

ग्राम-सौफा :-

(क) ग्राम गांव खेड़ा में सभी जर्जर तार एवं क्रौस आर्म व पोल आदि बदले गये।

ग्राम-खैर :-

(क) 11 के0वी0 चण्डौस फीडर में लगभग 3 कि0मी0 लाइन के जर्जर तार एवं क्रौस आर्म व पोल आदि बदले गये।

(ख) ग्राम-लक्ष्मण गढ़ी में सभी जर्जर तार एवं क्रौस आर्म व पोल आदि बदले गये।

(ग) ग्राम-अर्राना में सभी जर्जर तार एवं क्रौस आर्म व पोल आदि बदले गये।

(घ) खैर कस्बा में सभी जर्जर तार एवं क्रौस आर्म व पोल आदि बदले गये।

(ङ) 11 के0वी0 जट्टारी फीडर में लगभग 2-5 कि0मी0 लाइन के जर्जर तार, पोल व क्रौस आर्म आदि बदले गये।

ग्राम-पिसावा :-

(क) पिसावा टाउन में लगभग 02 कि0मी0 वीजल तार का डौग तार से एवं अन्य सभी जर्जर तार आदि बदले गये।

ग्राम-चण्डौस :-

(क) 11 के0वी0 विसारा फीडर में लगभग 33 पोल 38 क्रौस आर्म एवं 01 कि0मी0 लाइन के जर्जर तार आदि बदले गये।

(ख) 11 के0वी0 पिसावा फीडर में लगभग 10 पोल 20 क्रौस आर्म एवं 01 कि0मी0 लाइन के जर्जर तार आदि बदले गये।

(ग) चण्डौस टाऊन में लगभग 08 पोल, 05 क्रौस आर्म एवं 03 कि0मी0 लाइन के जर्जर वीजल तार को डाग तार से बदला गया।

(घ) विश्व बैंक फीडर में लगभग 07 पोल एवं 12 क्रौस आर्म बदला गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया में ग्राम प्रधान द्वारा आवास आवंटन में की गई अनियमितताओं की जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

61-श्री अनूप कुमार गुप्ता-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया की तहसील विल्थरा रोड के ग्राम खन्दवा के पूर्व प्रधान व वर्तमान प्रधान द्वारा बड़े पैमाने पर आवास आवंटन में अनियमिततायें की गई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्ष 2005 से 31 मार्च, 2011 तक की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

उल्लिखित ग्राम में खण्ड विकास अधिकारी नगरा, जनपद बलिया द्वारा की गयी जांच में वर्ष 2002-2003 में कुल 07 अपात्र व्यक्तियों को आवास आवंटित किये जाने की पुष्टि हुई है। जांच में उक्त अपात्र व्यक्तियों को आवास आवंटित किये जाने के लिये दोषी सम्बन्धित सचिव/ग्राम पंचायत अधिकारी को निलम्बित करके उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना द्वितीय चरण शुरू करने तथा कितनी आबादी तक मजरे संतृप्त करने सम्बन्धी जानकारी

62-श्री बैजनाथ दुबे-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का द्वितीय चरण कब तक शुरू कर दिया जायेगा ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त योजना में कितनी आबादी तक के मजरे संतृप्त किये जायेंगे ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत द्वितीय चरण की योजना भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जा चुकी है। स्वीकृति प्राप्त होने पर विद्युतीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन द्वारा पूर्व में 300 अधिक आबादी वाले मजरों की डी0पी0आर0 मांगी थी, जो प्रेषित कर

दी गयी थी। बाद में उनके द्वारा 100 से 300 आबादी वाले मजरों की डी0पी0आर0 मांगी गयी जो प्रेषित कर दी गयी है।

63-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद प्रतापगढ़ में शाहीद स्थलों के रख-रखाओं के सम्बन्ध में जानकारी

64-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में शहीद स्थल रूरे एवं भाऊपुर के रख-रखाव की स्थिति बहुत खराब है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थल के सभी कार्यों की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)-

जी नहीं।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के अन्तर्गत शहीद स्थल रूरे एवं भाऊपुर के रख-रखाव की स्थिति सामान्य एवं ठीक है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम पंचायत संसारपुर, जनपद सीतापुर में विद्युत आपूर्ति एवं विद्युत खम्भें लगाये जाने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

65-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत संसारपुर, पोस्ट-मोरनगर, विकास क्षेत्र पहला, वि0स0 क्षेत्र महमूदाबाद, जनपद-सीतापुर में विद्युत आपूर्ति एवं विद्युत खम्भे लगाये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-क-4, 174960, दिनांक 15-12-2010 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

ग्राम पंचायत संसारपुर, पोस्ट मीरनगर में कार्य पूर्ण करके विद्युत आपूर्ति सामान्य कर दी गई।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम गढ़चपा में विद्युतीकरण कराये जाने की जानकारी

66-श्री राजेश यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड कांट के ग्राम गढ़चपा में विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

जनपद शाहजहांपुर, विकास खण्ड कांट का ग्राम गढ़चपा विद्युतीकरण हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में चयनित है।

योजना की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होने के पश्चात् विद्युतीकरण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव की नगर पलिका परिषद् गंगाघाट एवं उन्नाव की विद्युत समस्या के निराकरण हेतु कार्य योजना

67-श्री दीपक कुमार-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद- उन्नाव की नगर पालिका परिषद्, गंगाघाट व नगर पालिका परिषद्, उन्नाव वासियों को विद्युत संकट से निजात दिलाने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

प्रश्नगत् क्षेत्र की विद्युत समस्या के निराकरण हेतु निम्न कार्य कराये जाने की योजना है :--

क्रमांक	कार्य का विवरण	उन्नाव नगर	गंगाघाट/शुक्लागंज
1	पावर परिवर्तकों की क्षमता वृद्धि।	03 नं0	01 नं0
2	नये वितरण परिवर्तकों की स्थापना।	48 नं0	14 नं0
3	वितरण परिवर्तकों की क्षमता वृद्धि।	11 नं0	05 नं0
4	33 के0वी0 एवं 11 के0वी0 स्विच गियरों को बदलना/स्थापना।	07 नं0	05 नं0
5	नयी 11 के0वी0 लाइनों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण।	16.16 किमी0	34.35 किमी0
6	एल0टी0 लाइनों को बदलकर ए0बी0 कण्डक्टर लगाने का कार्य।	104.17 किमी0	11.05 किमी0

प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत विवरण खण्ड गोविन्द नगर के अधीन सचेण्डी में कृषकों को एक मुश्त समाधान योजना अन्तर्गत पूर्ण धनराशि जमाकर शत-प्रतिशत सरचार्ज की छूट

68-श्रीमती अरुणा तोमर-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत वितरण खण्ड गोविन्दनगर, कानपुर के अधीन उपखण्ड सचेण्डी में एक मुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत 15-05-2010 तक 271 निजी ट्यूबवेल धारक किसानों द्वारा रजिस्ट्रेशन की धनराशि एक हजार जमा करने के बाद संशोधित विद्युत बिल की धनराशि आर्थिक कारणों से जमा नहीं कर पाये थे ? क्या उक्त किसानों से मार्च, 2011 में पुनः एक हजार रुपये पंजीयन शुल्क जमा कराकर शत-प्रतिशत अधिभार से छूट देने के बजाय मात्र 50 प्रतिशत अधिभार में छूट प्रदान की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार मार्च, 2011 में घोषित 50 प्रतिशत अधिभार मुक्ति आदेश को निरस्त करके शत-प्रतिशत छूट प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जुलाई, 2011 से शत-प्रतिशत अधिभार मुक्ति के आदेश जारी हो गये हैं। जिन किसानों ने वर्ष 2009-10 में रु0 1000/- पंजीयन शुल्क जमा किया गया था उसकी धनराशि वर्तमान वर्ष 2011 में धनराशि जमा किये जाने पर शत-प्रतिशत सरचार्ज की छूट प्रदान किये जाने के आदेश है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ए0 डी0 ओ0 पंचायत के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

69-श्री कुबेर सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ए0डी0ओ0 पंचायत के कुल कितने पद स्वीकृत है तथा उनमें से कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार द्वारा उक्त रिक्त पदों को भरा जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

सहायक विकास अधिकरी (पंचायत) के प्रदेश में कुल 809 पद स्वीकृत है, जिनमें से 140 पद रिक्त हैं।

जी हां, ज्येष्ठता निर्धारण नियमावली, 1991 के नियम-8 पर निर्गत मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में सरकार की ओर से एस0एल0पी0 दायर है, जो विचाराधीन है। इस पर निर्णय आते ही रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी।

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों और गरीब बस्तियों में स्ट्रीट लाइट लगाने की नीति

70-श्री कुबेर सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में बढ़ती आबादी एवं गरीब बस्तियों के सृजन के दृष्टिगत स्ट्रीट लाइट लगाने की क्या नीति है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि गरीब बस्तियों में एक किलोवाट/दो किलोवाट के विद्युत कनेक्शन दिये जाने की औपचारिकतायें क्या हैं ? क्या गलियों के अन्दर उपभोक्ताओं की मांग पर खम्भे लगाने की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

विद्युत वितरण कोड-2005 के खण्ड-4.2 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में बढ़ती आबादी एवं गरीब बस्तियों के सृजन के दृष्टिगत नये मार्ग प्रकाश की व्यवस्था का दायित्व स्थानीय निकायों में निहित है।

गरीब बस्तियों में 1 किलोवाट/2 किलोवाट के विद्युत कनेक्शन हेतु सप्लाई कोड-2005 के खण्ड 4.4 में निहित औपचारिकताओं को पूर्ण करना होता है :--

1-निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन-पत्र।

2-परिसर के स्वामित्व/विधिक किरायेदारी का प्रमाण एवं किराये के भुगतान की रसीद की प्रति।

3-''बी एण्ड एल फार्म'' (फिटिंग सर्टीफिकेट)।

4-नियामक आयोग द्वारा जारी कॉस्ट डेटा शिड्यूल के अनुसार प्रकरण शुल्क, सर्विस कनेक्शन चार्ज, सिस्टम लोडिंग चार्ज एवं जमानत धनराशि जमा करना।

5-बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को कार्ड के साथ ग्राम प्रधान/पार्षद द्वारा प्रमाणित आवेदन प्रस्तुत करने पर सरकार द्वारा 1 किलोवाट तक निःशुल्क विद्युत संयोजन देने का प्रावधान किया गया है।

जी हां, आवश्यकतानुसार तकनीकी साध्यता पर उपभोक्ता के व्यय पर खम्भे लगाने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एटा में सहकारी नलकूपों की क्षमता में वृद्धि करने की मांग

71-श्री कुबेर सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा में कुल कितने सरकारी नलकूप हैं ? क्या उक्त नलकूपों के ट्रान्सफार्मर अतिभारित हैं ? यदि हां, तो क्या उनकी क्षमता वृद्धि करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद एटा में कुल 302 सरकारी नलकूप है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना श्रम चिकित्सा सेवायें उ0प्र0 में कार्यरत एलोपैथिक चिकित्सकों के प्राइवेट प्रेक्टिस भत्ते के सम्बन्ध में जानकारी

72-श्री कुबेर सिंह-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना (श्रम चिकित्सा सेवायें) में कार्यरत एलोपैथिक चिकित्सकों को प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबन्ध के फलस्वरूप नान प्रैक्टिस भत्ते का पुनरीक्षण 6ठे वेतन आयोग के अनुसार कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि प्रान्तीय चिकित्सा सेवा संवर्ग एवं श्रम चिकित्सा सेवा संवर्ग में उक्त भत्ते में विसंगति है ? यदि हां, तो इस विसंगति को कब तक दूर कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बादशाह सिंह-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासनादेश संख्या-238/36-6-2011-5(77)/1997, दिनांक 01-07-2011 द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं, उ0प्र0 में कार्यरत एलोपैथिक चिकित्सकों के प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबन्ध के फलस्वरूप अनुमन्य प्रैक्टिस बंदी भत्ते का पुनरीक्षण प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के चिकित्सकों के समान तिथि अर्थात् दिनांक 22-07-2011 से अनुमन्य कर दिया गया है।

जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम नकहा, पिपरी चौराहा पर विद्युतीकरण तथाा उपभोक्ताओं को भेजे गये बिजली के बिल

73-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद- लखीमपुर खीरी की ग्राम पंचायत चपरतल्ला वि0खं0 फूलबेहड़ के ग्राम नकहा पिपरी चौराहा पर विद्युतीकरण न होने के बावजूद भी विद्युत विभाग द्वारा दर्जनों लोगों के नाम कई वर्षों से विद्युत के बिल भेजे जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम नकहा पिपरी चौराहे की विद्युत सप्लाई चालू करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद लखीमपुर खीरी की ग्राम पंचायत चपरतल्ला, विकास खण्ड फूलबेहड़ के ग्राम नकहा, पिपरी चौराहा पर विद्युतीकरण है और विद्युत के उपभोक्ताओं को उनके सम्बन्धित संयोजन पर विद्युत के उपभोग के विरुद्ध बिल निर्गत किये गये हैं। उपभोक्ताओं की संख्या-21 है। सभी 21 उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति चालू है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत प्राथमिक तथा जूनियर हाई स्कूलों का ऊर्जीकरण कराये जाने की मांग

74-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र, मनकापुर के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों तथा जूनियर हाई स्कूलों का ऊर्जीकरण कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि किन-किन विद्यालयों के ऊर्जीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं कितने विद्यालय अधूरे हैं ? क्या सरकार शेष विद्यालयों के ऊर्जीकरण के कार्यों को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत संलग्न† सूची में उल्लिखित 58 विद्यालयों के ऊर्जीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। 36 विद्यालयों के ऊर्जीकरण का कार्य शेष है।

जी हां।

शेष 36 विद्यालयों का ऊर्जीकरण बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा धन उपलब्ध कराने के उपरान्त किया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के खुर्जा जहांगीरपुर से अलीगढ़ जनपद के जट्टाटी नगर पंचायत तक सरकारी रोडवेज बसें चलाने की मांग

75-चौ0 सत्यपाल सिंह-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के खुर्जा जहांगीरपुर से अलीगढ़ जनपद के जट्टारी नगर पंचायत तक आवागमन के लिये क्या सरकार रोडवेज की बसें चलाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† (देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 130-131 पर।)

श्री राम अचल राजभर-

जी नहीं।

जहांगीपुर-जवा-माचड़-वसेरा-पलसेडा-जट्टारी अराष्ट्रीयकृत मार्ग है, मार्ग की दूरी 21 कि0मी0 है सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण बस संचालन योग्य नहीं है।

जनपद हरदोई की ग्राम पंचायत बांड, विकास खण्ड-कछौना के ग्राम प्रधान व अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अनियमितताओं सम्बन्धित पत्र पर कृत कार्यवाही

76-चौ0 सत्यपाल सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 मुख्य मंत्री को सम्बोधित डा0 अजय तोमर मा0 विधायक का पत्र दिनांक 8-11-2010 जो जनपद हरदोई की ग्राम पंचायत बांड विकास खण्ड, कछौना के ग्राम प्रधान व अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अनियमितता के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी हां।

उक्त पत्र में अंकित शिकायतों की जांच करायी गयी। जांच में आरोपों की पुष्टि नहीं हुई।

प्रश्न नहीं उठता।

यू0 पी0 पावर कारपोरेशन द्वारा एकमुश्त समाधान योजनान्तर्गत पंजीकृत उपभोक्ताओं को संशोधित बिल की धनराशि जमा करने का अवसर दिये जाने की मांग

77-श्रीमती अरुणा तोमर-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0पी0 पावर कारपोरेशन द्वारा एकमुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत अप्रैल, 2010 तक बकाये पर अधिभार से छूट प्रदान किये जाने हेतु उपभोक्ताओं से एक हजार रुपये पंजीकरण शुल्क जमा कराया गया था ? क्या यह सत्य है कि पंजीकरण धनराशि जमा करने वाले हजारों उपभोक्ता संशोधित बिल की धनराशि जमा नहीं कर पाये हैं ? यदि हां, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने वाले उपभोक्ताओं को संशोधित बिल की धनराशि जमा करने हेतु एक अवसर प्रदान किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

जी हां।

जी हां, जिन उपभोक्ताओं ने पूर्व में दिनांक 08-02-2010 से 30-04-2010 तक लागू एकमुश्त समाधान योजना में पंजीकरण कराया था, परन्तु किन्हीं कारणवश इस योजना का लाभ नहीं उठा सके थे एवं धनराशि जमा नहीं की थी, ऐसे उपभोक्ताओं को दिनांक 01-07-2011 से 15-09-2011 तक लागू एक मुश्त समाधान योजना में बीजक की मूल राशि जमा करने की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को राजकीय चिकित्सालयों में अनुभत्ता चिकित्सा सुविधा की कार्य योजना

78-श्री कुबेर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पत्रकारिता (प्रिन्ट मीडिया/इलेक्ट्रानिक मीडिया) से जुड़े पत्रकारों के कल्याणार्थ न्यूनतम मूल्य पर आवास, वाहन, चिकित्सा तथा परिवार के सदस्यों हेतु शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये सरकार कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

राज्य मुख्यालय पर प्रेस मान्यता प्राप्त पत्रकारों को राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा उपलब्धता के आधार पर निश्चित शर्तों के अधीन किराये पर आवासीय सुविधा अनुमन्य की जाती है। राज्य तथा जनपद स्तरीय प्रेस मान्यता प्राप्त पत्रकारों को प्रेस कवरेज हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में यात्रा की निःशुल्क सुविधा अनुमन्य है। प्रदेश के श्रमजीवी पत्रकारों एवं प्रेस मान्यता प्राप्त पत्रकारों को राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा भी अनुमन्य है।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड मदनापुर के ग्राम मझौला में विद्युत आपूर्ति कराये जाने की मांग

79-श्री राजेश यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद- शाहजहांपुर के विकास खण्ड मदनापुर के ग्राम मझौला में विगत कई वर्ष से विद्युत लाइन बन्द है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच करवाकर ग्राम मझौला में विद्युत आपूर्ति करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

जी हां।

ग्राम मझौला का परिवर्तक तेल चोरी के कारण जल गया था। ग्राम में संयोजन लेने के लिए ग्रामवासियों से अनुरोध किया जा रहा है, संयोजन होने पर परिवर्तक बदल दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ-रेउसा-तम्बौर मार्ग पर पर्याप्त परिवहन व्यवस्था

80-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ-रेउसा तम्बौर मार्ग के यात्रियों को आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार उक्त मार्ग पर बसों की संख्या बढ़ायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम अचल राजभर-

जी नहीं।

लखनऊ-रेउसा-तम्बौर मार्ग पर उपलब्ध यात्रियों की संख्या के दृष्टिगत परिवहन सुविधा पर्याप्त है।

जनपद लखीमपुर खीरी के मोहल्ला हाजीपुर उत्तरी में बिजली के खम्भे लगवाये जाने की मांग

81-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद- लखीमपुर खीरी के मोहल्ला हाथीपुर उत्तरी में बिजली के तार बल्लियों पर लगे हुए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बल्लियों की जगह खम्भे लगवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

बिजनेस प्लान वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत खम्भे लगाकर लाइनों का नियमितीकरण कराया जा रहा है, जो मार्च, 2012 तक पूर्ण होना सम्भावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर में नियमित विद्युत आपूर्ति कर कतिपय लिफ्ट कैनाल संचालित कराये जाने की मांग

82-श्रीमती अरुणा तोमर-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद- कानपुर नगर स्थित लिफ्ट कैनाल सम्भुआ, कुम्हऊपुर पुरवामीर व राजापुर में नहर संचालन हेतु नियमित विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या नियमित विद्युत आपूर्ति के अभाव में उक्त योजना विफल हो गई है ? यदि हां, तो लिफ्ट कैनाल के व्यवस्थित संचालन हेतु सरकार द्वारा क्या कोई उपाय किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद कानपुर नगर में स्थित लिफ्ट कैनाल शम्भुआ, कुम्हलपुर, पुरवामीर व रमापुर में निर्धारित शेड्यूल के अनुसार 14 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। माह मई/जून में आंधी तूफान आने पर विद्युत व्यवधान अवश्य रहे, किन्तु वर्तमान में निर्बाध 14 घण्टे आपूर्ति की जा रही है। पूर्व में लो-वोल्टेज की समस्या थी, जिसे अधिक क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाकर ठीक कर लिया गया है।

शम्भुआ पम्प कैनाल स्वतंत्र फीडर से पोषित है, कुम्हऊपुर पम्प कैनाल का स्वतंत्र फीडर बनाया जा रहा है। दिनांक 15-8-2011 तक उक्त कार्य पूर्ण हो जायेगा, किन्तु पुरवामीर व रमापुर पम्प कैनाल अभी भी मिक्सड ग्रामीण फीडरों से पोषित है। सुचारू विद्युत आपूर्ति हेतु इन्हें भी स्वतंत्र फीडर से पोषित करने के लिए सिंचाई विभाग को धनराशि जमा करने हेतु टी0सी0 प्रेषित कर दी गयी है। दो माह में यह भी स्वतंत्र पोषक से पोषित होने लगेंगे।

पूर्व में पुरवामीर पम्प कैनाल से 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र दूर थे। वर्तमान में 33 के0वी0 नरवल उपकेन्द्र नजदीक बन गया है। इसलिए स्वतंत्र फीडर बनने पर सुचारु रूप से शेड्यूल के अनुसार निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति होने लगेगी।

स्वतंत्र फीडर बनने पर शेड्यूल के अनुसार प्रत्येक पम्प कैनाल को 14 घण्टे से अधिक बिजली दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर ब्लाक विधनू के अनेकों अम्बेडकर ग्रामों में पूर्ण विद्युत आपूर्ति कराये जाने की मांग

83-श्रीमती अरुणा तोमर-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के ब्लाक विधनू स्थित अम्बेडकर ग्राम कठारा के मजरा गाजापुर व मानपुर तथा सिंहपुर एवं बराखेड़ा भारतपुर और रुद्दीपुरवा में विद्युतीकरण न कराये जाने के क्या कारण हैं ? क्या उक्त मजरों में पोल खड़े करके अधूरा कार्य छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त मजरों का पूर्ण विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद कानपुर नगर के ब्लाक विधनू स्थित ग्राम कठारा का विद्युतीकरण वर्ष 1997-98 में अम्बेडकर ग्राम चयनित किये जाने पर कराया गया था परन्तु इसके मजरे गाजापुर व मानपुर तथा सिंहपुर एवं बराखेड़ा भारतपुर और रुद्दीपुरवा का चयन न होने के कारण विद्युतीकरण नहीं कराया गया था।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के अविद्युतीकृत मजरों का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में किया जाना प्रस्तावित है। योजना की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होने पर विद्युतीकरण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर की नवीन मछली मण्डी की साप्ताहिक बन्दी कराये जाने की मांग

84-श्री अनूप कुमार गुप्ता-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवीन मछली मण्डी महेवा, जनपद गोरखपुर की साप्ताहिक बन्दी का दिन बृहस्पतिवार को निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या बृहस्पतिवार को बन्दी नहीं की जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बादशाह सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उ0 प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 के शेड्यूल-2 के अनुसार खाने के सामान, सब्जी, दूध, पका भोजन, पान, मुर्गी पालन, अण्डे, बर्फ एवं हरा चारा आदि से सम्बन्धित मण्डियों में उक्त अधिनियम की धारा-5 एवं 8 के प्राविधानानुसार साप्ताहिक बन्दी नहीं करायी जा सकती है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवा संवर्ग में आरक्षित वर्ग के चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति

85-श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रम मंत्रालय के अन्तर्गत राज्य बीमा योजना विभाग में श्रम चिकित्सा सेवा में वर्ष 1985 से 90 तक कुल कितने आरक्षित वर्ग के चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी तथा श्रम अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या-1658 दिनांक 21 जून, 2003 के अनुपालन में उक्त आरक्षित वर्ग के कितने चिकित्साधिकारियों को वरिष्ठ चिकित्साधिकारियों के पद पर प्रोन्नत किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बादशाह सिंह-

श्रम विभाग के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवा संवर्ग में वर्ष 1985 से 1990 तक उपलब्ध अभिलेखानुसार कुल 50 आरक्षित वर्ग के चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गयी। शासनादेश संख्या-1658, दिनांक 21-6-2003 के अनुपालन में दिनांक 26-7-2007 को आरक्षित वर्ग के प्रथम श्रेणी के प्रथम प्रक्रम में कार्यरत दो चिकित्साधिकारियों को संयुक्त निदेशक/मुख्य चिकित्साधिकारी के पद पर शासन द्वारा पदोन्नत किया गया।

उल्लेखनीय है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/संयुक्त निदेशक के कुल स्वीकृत 13 पदों के सापेक्ष आरक्षित वर्ग का मात्र एक पद भरा था। शेष 12 पद रिक्त थे। उपरोक्त पदोन्नति के पश्चात उक्त श्रेणी के स्वीकृत 13 पदों में से 03 पद आरक्षित श्रेणी से भरे गये तथा एक सामान्य वर्ग से भरा गया।

दिनांक 17-03-2008 को अपर निदेशक के स्वीकृत 01 पद पर आरक्षित श्रेणी के एक अधिकारी की पदोन्नति की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन के ग्राम खैरीगढ़ में उच्च क्षमता वाले ट्रांसफार्मर लगाकर विद्युत की आपूर्ति चालू कराये जाने की मांग

86-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद- लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन के ग्राम खैरीगढ़ में शासन की ऊर्जा नीति के अनुसार ग्रमीण क्षेत्रों में व्यापारिक दृष्टि से कम क्षमता वाले ट्रान्सफार्मर को बदल कर उच्च क्षमता के ट्रान्सफार्मर लगाये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन के ग्राम खैरीगढ़ में 25 के0वी0ए0 के स्थान पर 63 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर लगाकर विद्युत आपूर्ति दिनांक 15-6-11 को चालू कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एटा में स्वच्छता अभियान अन्तर्गत उपलब्ध एवं अवमुक्त धनराशि का विवरण

87-श्री कुबेर सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा में वर्ष 2008-2009 एवं 2009-2010 में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कितना-कितना धन अवमुक्त किया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त धन के उपयोग/अवशेष का वर्षवार विवरण क्या है ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जनपद एटा में वर्ष 2008-09-2010 में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत वर्षवार उपलब्ध एवं अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष उपभोग/अवशेष धनराशि का विवरण निम्नवत् है :-

वर्ष	उपलब्ध/अवमुक्त धनराशि रु0 में	उपभोग धनराशि रु0 में	अवशेष धनराशि रु0 में
2007-08	4,91,49,313.85	4,22,66,940.00	68,62,373.85
2008-09	7,03,83,652.85	39,73,594.00	6,64,10,058.85
2009-10	9,85,76,493.85	1,30,93,171.00	8,54,83,322.85

प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं के फिक्स चार्ज की व्यवस्था को वापस किये जाने की मांग

88-श्री कुबेर सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं से विद्युत बिल के स्थान पर फिक्स चार्ज लिया जा रहा है ? यदि हां, तो जब विद्युत केवल 5 से 8 घण्टे प्राप्त हो रही है तो फिक्स चार्ज का क्या औचित्य है ? क्या सरकार फिक्स चार्ज की व्यवस्था को वापस लेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

ग्रामीण बत्ती पंखा तथा निजी नलकूप के उपभोक्ताओं से फिक्स विद्युत बिल लिया जाता है तथा शहरी उपभोक्ताओं से फिक्स चार्ज के साथ-साथ इनर्जी चार्ज भी लिया जाता है।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-45 के अनुसार वितरण निगमों द्वारा उपभोक्ताओं से इनर्जी चार्जेज (परिवर्तनीय चार्जेज) के साथ-साथ फिक्स्ड चार्जेज भी लिए जाने का प्राविधान है। फिक्स्ड चार्ज की दरें इस प्रकार निर्धारित की गई हैं कि मात्र लगभग 3 घण्टे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति होने पर भी इतना उपभोग हो जाता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

फिक्स्ड चार्ज की व्यवस्था विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुरूप है तथा उपभोक्ताओं के विद्युत उपयोगार्थ निरन्तर उपलब्धता बनाये रखने के लिए विभाग को फिक्स व्यय करने पड़ते हैं जो वर्तमान में कुल व्यय का लगभग 40 प्रतिशत अनुमानित है। अतः इस व्यवस्था को वापस किया जाना संभव नहीं है।

जनपद एटा में स्थापित 33/11 के0 वी0 ए0 विद्युत उपकेन्द्र एवं विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने की मांग

89-श्री कुबेर सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-एटा में 33/11 के0वी0ए0 के कुल कितने और कहां-कहां विद्युत उपकेन्द्र स्थापित हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि एटा शहर में कितने घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है ? क्या सरकार सभी उपकेन्द्रों पर नियमानुसार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद एटा में 33/11 के0वी0 के कुल 22 उपकेन्द्र स्थापित हैं जिसका विवरण निम्नवत् है :-

(1) 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र, देहात कोतवाली,
(2) यू0पी0एस0आई0डी0सी0,
(3) औद्योगिक आस्थान,
(4) रेलवे रोड,
(5) गगनपुर,

(6) मिरहची,
(7) मारहरा,
(8) मलावन,
(9) बागवाला,
(10) बेरनी,
(11) इसौली,
(12) अवागढ़,
(13) जलेसर,
(14) पिलुआ,
(15) निधौलीकलां,
(16) जैथरा,
(17) धुमरी,
(18) अलीगंज,
(19) अमोधपुर,
(20) राजा का रामपुर,
(21) रिजौर व (22) जसरथपुर।

वर्तमान में एटा शहर में 18 घण्टे (औसत) विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के वन प्रभाग में वर्षों से तैनात अधिकारियों के स्थानान्तरण की मांग

90-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या वन एवं जन्तु उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में कौन-कौन अधिकारी विगत कितने वर्षों से एक ही स्थान पर तैनात हैं ? क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के अनुसार उनका स्थानान्तरण जनपद के बाहर करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फतेह बहादुर-

जनपद लखीमपुर खीरी में अवस्थित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उत्तरी खीरी वन प्रभाग तथा दक्षिणी खीरी वन प्रभाग में विभागाध्यक्ष/कार्यालाध्यक्ष के रूप में तैनात अधिकारियों की सूची उनकी तैनाती की तिथि दर्शाते हुए परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न† है।

स्थानान्तरण सत्र 2011-12 के लिए शासनादेश संख्या-1/3/96-का-4-2011, दिनांक 14-5-2011 द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति में समयावधि के आधार पर जनपद से बाहर स्थानान्तरण किये जाने का प्राविधान नहीं है।

---

† (देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 132 पर)

प्रश्न नहीं उठता है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोण्डा के 33/11 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र, मनकापुर के अवर अभियन्ता एवं लाइन मैन द्वारा वहां बने आवासों में निवास करने के सम्बन्ध में जानकारी

91-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के 33/11 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र मनकापुर पर अवर अभियन्ता एवं लाइन मैन हेतु आवास बना हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त अभियन्ता तथा लाइनमैन इन आवासों में निवास करते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

अवर अभियन्ता उक्त आवास में निवास नहीं करते हैं तथा लाइन मैन अपने आवास में निवास करते हैं।

अवर अभियन्ता, आई0टी0आई0 मनकापुर की कालोनी में निवास करते हैं।

जनपद गोण्डा के 33/11 के0वी0ए0 मनकापुर, मसकनवां के केन्द्रों में स्वीकृत धनराशि एवं व्यय

92-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद- गोण्डा के 33/11 के0वी0ए0 मनकापुर, मसकनवां, विद्युत केन्द्रों एवं लाइनों पर वर्ष 2008-09, 2009-2010 और 2010-2011 में मरम्मत हेतु कितना-कितना धन स्वीकृत हुआ एवं कहां-कहां किन-किन मदों में धन व्यय किया गया ? क्या सरकार व्यय की गई धनराशि का सत्यापन करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

कोई धनराशि स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

तदैव।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ महमूदाबाद सदरपुर चलने वाली परिवहन निगम की बसें चालू कराये जाने की मांग

93-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ महमूदाबाद सदरपुर को चलने वाली उ0प्र0 राज्य परिवहन निगम की बस बन्द है ? यदि हां, तो इसे कब तक चालू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम अचल राजभर-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सीतापुर, सिधौली, महमूदाबाद मार्ग पर परिवहन निगम की बसें संचालित कराये जाने की मांग

94-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर-सिधौली महमूदाबाद मार्ग पर परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त मार्ग पर बसों का संचालन करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम अचल राजभर-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड महमूदाबाद के ग्राम केदारपुर में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

95-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सीतापुर, विकास खण्ड महमूदाबाद, ग्राम केदारपुर को ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत चयनित किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्राम सभा में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त विकास खण्ड में विद्युतीकरण का कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

तत्कालीन सदस्य विधान सभा डा0 अम्मार रिजवी द्वारा ग्राम केदारपुर, ब्लाक व तहसील महमूदाबाद के विद्युतीकरण हेतु वर्ष 1999-2000 में संस्तुति की गयी थी परन्तु बाद में मा0 सदस्य द्वारा उक्त गांव के स्थान पर किसी अन्य गांव के विद्युतीकरण हेतु संस्तुति की गयी। तत्पश्चात् ग्राम केदारपुर को किसी अन्य योजना में विद्युतीकरण हेतु चयनित नहीं किया जा सका।

प्रश्नगत ग्राम का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में किया जाना प्रस्तावित है। योजना की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होने के उपरान्त विद्युतीकरण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर में जी0टी0 रोड पर परिवहन निगम के बस स्टाप पर अन्य दिशाओं की बसों के संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

96-श्रीमती अरुणा तोमर-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-कानपुर नगर के रेलवे स्टेशन अरौल-मकनपुर के समीप जी0टी0 रोड पर राज्य सड़क परिवहन निगम का अरौल बस स्टाप बनाया गया है ? यदि हां, तो कानपुर से फर्रुखाबाद बेबर, आगरा तथा दिल्ली तक जाने वाली परिवहन निगम की कौन-कौन सी बसों का वहां स्टापेज बनाया गया है ? क्या सरकार उक्त बस स्टेशन से अन्य दिशाओं की ओर जाने वाली बसों का स्टापेज बनाये जाने का आदेश निर्गत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम अचल राजभर-

जी हां।

कानपुर से फर्रुखाबाद-बेवर, आगरा, दिल्ली मार्ग पर संचालित समस्त साधारण एवं एक्सप्रेस संचालित बसों का अरौल में फेयर स्टाप बनाया गया है।

अरौल से कानपुर होकर लखनऊ, इलाहाबाद, रायबरेली, बांदा, घाटमपुर मार्ग की ओर संचालित सभी बसों का फेयर बस स्टापेज पूर्व से घोषित है। यहां से सभी यात्रियों को आवागमन की सुविधा प्राप्त है।

उपरोक्तवत्।

जनपद कानपुर के बड़ा चौराहा से बिल्हौर तक सी0एन0जी0 बसों का संचालन पुनः कराये जाने की मांग

97-श्रीमती अरुणा तोमर-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद- कानपुर नगर के बड़ा चौराहा व रामादेवी चौराहा से बिल्हौर तक चलने वाली सी0एन0जी0 बसें बन्द कर दी गई हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार जनता की समस्या को देखते हुए सी0एन0जी0 बसों का पुनः संचालन करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम अचल राजभर-

कानपुर नगर के बड़ा चौराहा व रामादेवी चौराहा से बिल्हौर तक पूर्व में कोई सी0एन0जी0 सेवा संचालित नहीं रही है।

उपरोक्तवत्।

कानपुर नगर स्थित झकरकटी बस स्टेशन से विभिन्न मार्गों पर सी0एन0जी0 बसें संचालित हैं, जो बिल्हौर होकर गुजरती हैं जिससे बिल्हौर के यात्रियों को यात्रा सुविधा सुलभ है।

उपरोक्तवत्।

जनपद कानपुर रामादेवी चौराहा से बिल्हौर तक परिवहन निगम की सी0एन0जी0 बसें चलाये जाने की मांग

98-श्रीमती अरुणा तोमर-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद- कानपुर नगर के बड़ा चौराहा व रामादेवी चौराहा से बिल्हौर तक चलने वाली परिवहन निगम की सी0एन0जी0 बसें बन्द कर दी गई है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार जनता की परेशानी को देखते हुए सी0एन0जी0 बसों का बिल्हौर तक पुनः संचालन करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम अचल राजभर-

जनपद कानपुर नगर के बड़ा चौराहा व रामादेवी चौराहा से बिल्हौर तक पूर्व में कोई सी0एन0जी0 सेवा संचालित नहीं रही है।

उपरोक्तवत्।

कानपुर नगर स्थित झकरकटी बस स्टेशन से विभिन्न मार्गों पर सी0एन0जी0 बसें संचालित हैं जो बिल्हौर होकर गुजरती हैं, जिससे बिल्हौर के यात्रियों को यात्रा सुविधा सुलभ है।

उपरोक्तवत्।

जनपद लखीमपुर खीरी के वि0 खं0 फूलबेहड़ की कतिपय ग्राम पंचायतों में विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

99-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद- लखीमपुर खीरी के वि0खं0 फूलबेहड़ की ग्राम पंचायत पिपरागूम मजरा रायनगर तथा अम्बेडकर ग्राम गूम के मजरा-जंगल नं0-11 चिकलुआ का विद्युतीकरण राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत चयनित होने के बावजूद भी अभी तक विद्युतीकरण नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो सरकार उक्त गांव का विद्युतीकरण कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद लखीमपुर खीरी के वि0 खं0 फूलबेहड़ की ग्राम पंचायत पिपरागूम के मजरा रायनगर तथा अम्बेडकर ग्राम गूम के मजरा चकलुआ जंगल नं0-11 का विद्युतीकरण अभी नहीं हुआ है।

उक्त मजरों का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत किया जाना प्रस्तावित है। योजना की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होने के उपरान्त विद्युतीकरण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद खीरी के वि0 खं0 फूलबेहड़ के अम्बेडकर ग्राम गूम का विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

100-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी के वि0खं0 फूलबेहड़ के अम्बेडकर ग्राम गूम के मजरा चकलुआ जंगल नं0-11 में विद्युतीकरण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त गांव का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड फूलबेहड़ के अम्बेडकर ग्राम गूम के मजरा चकलुवा जंगल नं0-11 का विद्युतीकरण अभी नहीं हुआ है।

जी हां।

मजरा चकलुवा जंगल नं0-11 का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत किया जाना प्रस्तावित है। योजना की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होने पर विद्युतीकरण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के आवास विकास कालोनी झूंसी के अन्तर्गत ई0डब्लू0एस0 तथा एम0आई0जी0 में दिये गये विद्युत कनेक्शनों की जानकारी

101-श्री जोखू लाल यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-इलाहाबाद की आवास विकास कालोनी, झूंसी के अन्तर्गत ई0डब्लू0एस0 तथा एम0आई0जी0 के मकानों में विद्युत कनेक्शन कितने-कितने किलोवाट किया गया है ? क्या यह सही है कि ई0डब्लू0एस0 के मकानों का क्षेत्रफल 25 वर्गमीटर तथा एम0आई0जी0 के मकानों का क्षेत्रफल 121 वर्ग मी0 से लेकर 142 वर्ग मी0 होता है ? यदि हां, तो

क्या सरकार दोनों वर्ग के मकानों के क्षेत्रफल को देखते हुए ई0डब्लू0एस0 के मकानों में 1 किलोवाट का कनेक्शन देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद इलाहाबाद की आवास विकास कालोनी, झूंसी स्थिति ई0डब्लू0एस0 तथा एम0आई0जी0 के मकानों में विद्युत कनेक्शन विद्युत प्रदाय संहिता, 2005 के नियमों के अनुसार संयोजित भार की गणना करके निर्गत किये गये हैं। ई0डब्लू0एस0 तथा एम0आई0जी0 में यह भार सामान्यतः 2 किलोवाट से 4 किलोवाट तक स्वीकृत हैं। उपभोक्ता की मांग पर आवश्यकतानुसार अधिक भार भी स्वीकृत किया जाता है।

ई0डब्लू0एस0 तथा एम0आई0जी0 मकानों के क्षेत्रफल का निर्धारण आवास विकास परिषद् द्वारा किया जाता है।

विद्युत प्रदाय संहिता, 2005 के क्लाज 4.9 के अनुसार 500 वाट प्रति 10 वर्गमीटर के आधार पर विद्युत भार का आंकलन करने का प्राविधान है। तथापि उपभोक्ता के भवन में स्थापित वायरिंग तथा उपकरण आदि के आधार पर विद्युत भार का आंकलन कर विद्युत संयोजन प्रदान किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एटा में विद्युत व्यवस्था सुधारने हेतु वर्षवार आवंटित धनराशि एवं कार्यों का विवरण

102-श्री कुबेर सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-एटा में वर्ष 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 में विद्युत व्यवस्था सुधारने हेतु वर्षवार आवंटित धनराशि एवं कराये गये कार्यों का विवरण क्या सरकार उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

विद्युत व्यवस्था सुधार के मद में अलग से कोई भी धनराशि आवंटित नहीं की जाती है। जनपद एटा में विद्युत व्यवस्था सुधारने हेतु निम्नलिखित कार्य कराये गये हैं :-

(1) अवागढ़ टाउन में वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के अन्तर्गत जर्जर तार एवं क्षतिग्रस्त पोलों के स्थान पर 84 कि0मी0 बिजली तार तथा 60 नये पोल लगाये गये। वर्ष 2010-11 के अन्तर्गत जर्जर तार एवं क्षतिग्रस्त पोलों के स्थान पर 18 कि0मी0 डन्सूलेटेड केबिल तथा 75 नये पोल लगाकर सुदृढ़ीकरण कार्य किया गया था।

(2) जलेसर टाउन में वर्ष 2009-10 के अन्तर्गत जर्जर तार एवं क्षतिग्रस्त पोलों के स्थान पर 1000 मी0 एवीसी केबिल तथा 144 नये पोल बदलवाकर सुदृढ़ीकरण कार्य किया गया था।

(3) अलीगंज/जैथरा टाउन में वर्ष 2010-11 के अन्तर्गत जर्जर तार एवं क्षतिग्रस्त पोल के स्थान पर क्रमशः 19 एवं 15 कि0मी0 एवीसी केबिल तथा 25 पोल बदलवाकर सुदृढ़ीकरण कार्य किया गया था।

(4) मारहरा टाउन में वर्ष 2010-11 के अन्तर्गत जर्जर तार एवं क्षतिग्रस्त पोल तथा जर्जर ओसीबी के स्थान पर 15 किमी0 एवीसी केबिल एवं 45 पोल तथा 04 आउट गोइंग ओसीबी एवं 02 इनकमिंग ओसीबी बदलवाकर सुदृढ़ीकरण कार्य किया गया था।

(5) मिरहची टाउन में 2010-11 के अन्तर्गत जर्जर तार एवं क्षतिग्रस्त पोलों के स्थान पर 07 कि0मी0 तार तथा 08 पोल बदलवाकर सुदृढ़ीकरण कार्य किया गया था।

(6) वर्ष 2010-11 में 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र मारहरा की क्षमता वृद्धि 5+3 एम0वी0ए0 सं 2x5 एम0वी0ए0 की गई।

(7) वर्ष 2010-11 में 33/11 के0वी0 निघौली कला उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि 1x3 एम0वी0ए0 से 1x5 एम0वी0ए0 की गई।

(8) वर्ष 2009-10 में 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र बेरनी की क्षमता वृद्धि 1x3 एम0वी0ए0 से 1x5 एम0वी0ए0 की गई।

(9) आवश्यकतानुसार जनपद में वितरण परिवर्तकों की नियमानुसार क्षमता वृद्धि वर्षवार निम्नवत् की गई :-

वर्ष 2008-09 13 अदद
वर्ष 2009-10 20 अदद
वर्ष 2010-11 29 अदद

(10) एटा टाउन में जर्जर तारों को बदलकर 40206 कि0मी0 ए0बी0सी0 डाली गई।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एटा के ग्राम नगला खिल्ली में नये 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र निर्मित करवाने की मांग

103-श्री कुबेर सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-एटा के विधान सभा क्षेत्र जलेसर के ग्राम नगला खिल्ली में नये 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र निर्मित करवाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

तकनीकी आवश्यकता तथा भूमि उपलब्धता के आधार पर सरकार 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बनाने पर विचार करेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र जलेसर में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत अधूरे पड़े विद्युतीकरण के कार्यों की जानकारी

104-श्री कुबेर सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजनान्तर्गत ग्रामों के चयन का आधार क्या है ? क्या सरकार जनपद एटा-के विधान सभा क्षेत्र, जलेसर में इस योजना में चयनित ग्रामों के अधूरे पड़े विद्युतीकरण के कार्यों को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत केवल अविद्युतीकृत (वर्जिन) ग्रामों का चयन किया गया था। योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत आंशिक रूप से विद्युतीकृत ग्राम एवं 300 से अधिक आबादी वाले मजरों का चयन किया गया है।

जी हां।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत द्वितीय चरण की योजना भारत सरकार को प्रेषित कर दी गई है। योजना की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त विद्युतीकरण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के ग्रामीण एवं शहरों में विद्युत आपूर्ति मानक के अनुसार किये जाने की जानकारी

105-श्री राम बिशुन आजाद

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा के ग्रामीण अंचलों एवं शहरों में कितने-कितने घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है ? क्या यह सही है कि ग्रामीण अंचलों में विद्युत आपूर्ति मानक से कम होने के कारण कृषकों का कृषि एवं अन्य कार्य बाधित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीण अंचलों में मानक के अनुसार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

वर्तमान में जनपद-गोण्डा के ग्रामीण एवं तहसील स्तरीय क्षेत्रों को 22 बजे से 06 बजे एवं 11 बजे से 17 बजे तक (कुल 14 घण्टे) साप्ताहिक अदल-बदल कर विद्युत आपूर्ति की जा रही है एवं शहरी क्षेत्र को 19 बजे से 10 बजे एवं 13 बजे से 16 बजे तक (कुल 18 घण्टे) विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

सम्प्रति निर्धारित रोस्टर के अनुरूप उपर्युक्तानुसार विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

विश्व बैंक फीडर की विद्युत लाइन की मरम्मत तथा निविदा निस्तारण की कार्यवाही एवं विश्व बैंक की विद्युत लाइन से आपूर्ति की जानकारी

106-श्री राम बिशुन आजाद-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2010 के प्रथम शुक्रवार के अता0 प्रश्न सं0-136 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगें कि विश्व बैंक की क्षतिग्रस्त विद्युत लाइन की मरम्मत का कार्य पूर्ण कर विश्व बैंक के राजकीय नलकूपों की विद्युत आपूर्ति की जा रही है ? यदि नहीं, तो विश्व बैंक की विद्युत लाइन से विद्युत आपूर्ति कब तक की जायेगी ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी नहीं।

विश्व बैंक फीडर की विद्युत लाइन की मरम्मत के कार्य हेतु निविदा निस्तारण की कार्यवाही प्रक्रिया में है। निविदा स्वीकृत होने के लगभग 6 माह पश्चात विश्व बैंक की विद्युत लाइन से आपूर्ति संभव हो सकेगी।

जनपद गोण्डा के कतिपय ग्रामों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विद्युतीकरण किये जाने की जानकारी

107-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद- गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र, मनकापुर के ग्राम तामापार, मनसुखपुर, सोहिला एवं सोहिली, जिरा भारी, ककरघटा, पतिजिया बुजुर्ग, माड़ा, खम्हरिया बुजुर्ग, बल्लीपुर, जोगापुर ग्रामों का किन योजनाओं के अन्तर्गत विद्युतीकरण किया गया ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त सभी ग्रामों के कार्य अधूरे होने के बावजूद अभियन्ता द्वारा कार्य पूर्ण दिखाकर भुगतान करा लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रकरण की जांच करवाकर दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद- गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र, मनकापुर के ग्राम जोगापुर, खम्हरिया बुजुर्ग, पतिजिया बुजुर्ग, ककरघटा, तामापार का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में किया गया है।

ग्राम मनसुखपुर, सोहिला, सोहिली एवं जीरा भारी ग्रामों का विद्युतीकरण डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना में किया गया है।

ग्राम-बल्लीपुर का विद्युतीकरण आर0ई0सी0 योजना में तथा ग्राम-माड़ा का विद्युतीकरण जिला योजनान्तर्गत किया गया है।

जो कार्य कराये गये हैं केवल उन्हीं का भुगतान किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

तत्समय विद्युतीकरण हेतु लागू मानकों के अन्तर्गत प्रश्नगत ग्रामों का विद्युतीकरण कराया गया।

जनपद बांदा के ग्राम रैपुरा का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही

108-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के ग्राम रैपुरा का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8-4-10 प्रमुख सचिव, ऊर्जा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

जनपद बांदा, ब्लाक जसपुरा के ग्राम गड़रिया के मजरा रैपुरा को विद्युतीकरण हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में सम्मिलित किया गया हैं। भारत सरकार से योजना की स्वीकृति प्राप्त होने पर विद्युतीकरण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर निगम की शारदा नगर योजना के रतन खण्ड में 33/11 के0 वी0 सब-स्टेशन एवं लाइन के निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि से कार्य कराये जाने का कथित प्रकरण

109-श्री लाल जी यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम लखनऊ की शारदानगर योजना के रतन खण्ड में 33/11 के0वी0 सब स्टेशन एवं 33 के0वी0 लाइन निर्माण हेतु रुपया 7,19,73,895.00 की धनराशि लखनऊ विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या-274/एस0ई0एम0/10 द्वारा दिनांक 3-11-2010 को पावर कारपोरेशन, लखनऊ को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो अब तक कार्य

प्रारम्भ न किये जाने के क्या कारण है तथा कब से उक्त कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ के रतन खण्ड में शारदानगर योजना अन्तर्गत पौधों का रोपण किये जाने सम्बन्धी जानकारी

110-श्री लालजी यादव-

क्या वन एवं जन्तु उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदानगर योजना अन्तर्गत रतन खण्ड लखनऊ में वर्ष 2010-2011 व 2011-2012 में कितने पौधों का रोपण किया गया ? उनमें से कितने पौधे नष्ट हो चुके हैं ? कितने भू-खण्डों के पास किस कारणवश पौधे नहीं लगाये गये हैं ?

श्री फतेह बहादुर-

शारदानगर योजनान्तर्गत रतन खण्ड, लखनऊ में वन विभाग द्वारा वर्ष 2010-11 व 2011-12 में पौध रोपण का कार्य नहीं किया गया है।

प्रश्न नही। उठता।

वन विभाग द्वारा रतनखण्ड, लखनऊ में उपरोक्तानुसार कार्य नहीं किया गया है।

जनपद-कानपुर नगर के जी0टी0 रोड पर ''अरौल बस स्टाप'' का निर्माण एवं विस्तार

111-श्रीमती अरुणा तोमर-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-कानपुर नगर के रेलवे स्टेशन अरौल मकनपुर के समीप जी0टी0 रोड पर राज्य सड़क परिवहन निगम का ''अरौल बस स्टाप'' बनाये जाने हेतु जमीन प्राप्त कर उसकी बाउण्ड्री वाल भी खिचवाकर बस स्टाप स्टेशन बनाया गया था ? यदि हां, तो कानपुर से फर्रुखाबाद, बेबर, आगरा तथा दिल्ली तक जाने वाली परिवहन निगम की कौन-कौन सी बसों का वहां स्टापेज बनाया गया है ? क्या सरकार जनहित में उक्त बस स्टेशन का विस्तार कराकर कुछ अन्य दिशाओं को जाने वाली बसों का स्टापेज भी बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम अचल राजभर-

जी हां।

कानपुर से फर्रुखाबाद-बेवर, आगरा, दिल्ली मार्ग पर संचालित समस्त साधारण एवं एक्सप्रेस संचालित बसों का अरौल में फेयर स्टाप बनाया गया है।

अरौल से कानपुर होकर लखनऊ, इलाहाबाद, रायबरेली, बांदा, घाटमपुर मार्ग की ओर संचालित सभी बसों का फेयर बस स्टापेज पूर्व से घोषित है। यहां से सभी यात्रियों को आवागमन की सुविधा प्राप्त है।

उपरोक्तानुसार।

112-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

[1ले बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-187 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ स्थित मायानगर महल वाली गली में बन्दरों के कारण बिजली के तार टूटने से होने वाली दुर्घटना के निवारण हेतु उपाय

113-चौ0 रविन्द्र प्रताप-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ स्थित माया नगर मोहल्ले में माया नगर महल वाली गली में बिजली के खम्भे सड़क के दायें तथा बांयें लगे होने के कारण बन्दरों के लटकने से बिजली के तार टूटते हैं जिससे कभी भी कोई अप्रिय दुर्घटना घट सकती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गली में सभी बिजली के खम्भे सड़क की एक साइड में लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

उक्त मोहल्ले में सड़क के एक साइड में कई पतली गलियां दाएं एवं बाएं हैं तथा मकान छोटे हैं, जिससे उनके सामने खम्भा लगाना सम्भव नहीं है। वांछित समस्या के निवारण हेतु एवं कोई अप्रिय घटना न घटे उसके लिए खुले तारों के स्थान पर एरियल बन्च कण्डक्टर लगा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ स्थित चौ0 बशीर खाँ महाविद्यालय हर्रा के ऊपर से विद्युत लाइन हटाये जाने की मांग

114-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ स्थित चौधरी बशीर खां महाविद्यालय हर्रा (मेरठ) के परिसर के ऊपर से 11000 वोल्टेज की विद्युत लाइन जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त महाविद्यालय में छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से परिसर के ऊपर से जाने वाली उक्त विद्युत लाइन को हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

संज्ञानित करना है कि कथित विद्युत लाईन लगभग बीस वर्ष पुरानी है, परन्तु चौ0 बशीर खाँ महाविद्यालय हर्रा, मेरठ का निर्माण लाईन के नीचे लगभग चार-पांच वर्ष पूर्व ही अवैध रूप से किया गया है। प्रबन्धकों द्वारा यदि लाईन शिफ्टिंग हेतु आवेदन किया जाता है एवं शिफ्टिंग में आने वाले व्यय को वहन करने की सहमति दी जाती है तो उसके उपरान्त कार्यवाही सम्भव है। सुरक्षा की दृष्टि से लाईन की गार्डिंग करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बसों के संचालन का अनुबन्ध

115-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राष्ट्रीयकृत मार्गों पर कितने किमी0 तक निजी बसों के संचालन का अनुबन्ध है ? क्या इसका अनुपालन मेरठ मण्डल में किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम अचल राजभर-

राष्ट्रीयकृत मार्गों पर साधारणतया अधिकतम 100 कि0मी0 तक के मार्गों पर अनुबन्ध किये जाने की नीति है। कतिपय मार्गों पर स्थिति विशेष के अनुसार उक्त सीमा शिथिल भी है कुछ मार्ग 110 किमी0 से अधिक दूरी के भी हैं, जिनका विवरण निमनवत् है :-

क्र0सं0 मार्ग	दूरी (कि0मी0)
1-मेरठ-मु0 नगर-सहारनपुर	129
2-बड़ौत-शामली-सहारनपुर	114
3-मेरठ-बड़ौत-लोनीमोड़	102
4-लोनीमोड़-बड़ौत-शामली-सहारनपुर	159
5-लोनीमोड़-बड़ौत-मुजफ्फरनगर	122
6-गाजियाबाद-मेरठ-मुजफ्फरनगर	104
7-कौशाम्बी-मेरठ-मुजफ्फरनगर	114

इन मार्गों पर अन्य वाहनों से प्रतिस्पर्धा अथवा मार्ग की दशा को देखते हुये अनुबंध हेतु अनुमति समय-समय पर प्रदत्त है।

जी हां। उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर में तहसील महमूदाबाद स्थित सदरपुर-गोडैचा के जर्जर मार्ग की मरम्मत की जानकारी

116-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सदरपुर-गौडैचा मार्ग सदरपुर, तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर से निकलने वाली डामर रोड जो किसोसा होकर पोखरा कलां को जाती है, काफी जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी हां।

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग की मरम्मत कराये जाने हेतु जिला पंचायत सीतापुर द्वारा निविदा की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। माह अक्टूबर, 2011 तक उक्त कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में गत तीन वर्षों में विद्युत मरम्मत हेतु आवंटित धनराशि एवं मनकापुर विद्युत उपकेन्द्र के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों में विद्युत मरम्मत कार्य की जानकारी

117-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विद्युत वितरण खण्ड, गोण्डा को वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 में विद्युत मरम्मत (तार खम्भे आदि) के लिए शासन द्वारा

कितना-कितना धन किन-किन मदों में आवंटित किया गया ? क्या सरकार बतायेगी कि 33/11 के0वी0 मनकापुर, मसकनवा विद्युत केन्द्र के अन्तर्गत किन-किन ग्रामों में मरम्मत कार्य कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त की उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

विद्युत वितरण खण्ड गोण्डा को वर्ष 2007-08 में डा0 अम्बेडकर ग्रामों की लाइनों की टूट-फूट की मरम्मत हेतु रु0 9.50 लाख की धनराशि आवंटित की गयी थी। वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में बिजनेस प्लान के अन्तर्गत तार, खम्भे आदि के बदलने का कार्य कराया गया है, जिसके विरुद्ध सामग्री आदि मद में रु0 34,19 लाख की धनराशि आवंटित हुयी।

33/11 के0 वी0 मनकापुर, विद्युत उपकेन्द्र के अन्तर्गत ग्राम जैदवा, ककरघटा, वीरेपुर, बेनीपुर, दतौली, हरनाटायर, उपाध्यायपुर, भिरवा, भसहूं, पुरेहृदय एवं अधियारी में मरम्मत का कार्य कराया गया। 33/11 के0 वी0 मसकनवा, विद्युत उपकेन्द्र के अन्तर्गत ग्राम-भवाजितपुर, बदौला, महाराजगंज ग्रन्ट, सिसई रानीपुर, मनसुखपुर में मरम्मत का कार्य कराया गया। ये समस्त कार्य वर्ष 2007-08 में कराये गये थे।

प्रश्न नहीं उठता।

इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होने पर यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोण्डा में विद्युतीकरण कार्य की उच्चस्तरीय जांच तथा कृत कार्यवाही

118-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र, मनकापुर, जनपद गोण्डा में विद्युतीकरण कार्य की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता द्वारा दिये गये पत्र पर उप महाप्रबन्धक विद्युत वितरण मण्डल, गोण्डा के कार्यालय ज्ञाप सं0-3462 वि0वि0प्र0 (गो0)/टी-17 दिनांक 25-8-05 द्वारा जांच कमेटी गठित कर जांच की कार्यवाही सम्पन्न होने के पश्चात् कार्यवाही से प्रश्नकर्ता को अवगत कराये जाने का आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो क्या जांच करवाकर कृत कार्यवाही से प्रश्नकर्ता को अवगत कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

जी हां। जांच आख्या से प्रश्नकर्ता को दिनांक 29-01-2011 को अवगत कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में ग्राम पोखरा कलां में निर्मित पावर हाउस को चालू कराये जाने की मांग

119-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पोखरा कलां, तहसील महमूदाबाद, जनपद सीतापुर में निर्मित पावर हाउस को चालू कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

इंगित उपकेन्द्र दिनांक 07-02-2011 को ऊर्जीकृत कर दिया गया था परन्तु 33 के0 वी0 पोषक में उत्पन्न व्यवधान के कारण उपकेन्द्र वर्तमान में चालू नहीं है।

33 के0 वी0 लाइन जिसकी लम्बाई लगभग 20 कि0 मी0 है, में उत्पन्न दोष का निराकरण पोल टू पोल निरीक्षण कर कराया जा रहा है।

जनपद प्रतापगढ़ के तहसील पट्टी में ढखवा विकास खण्ड आसपुर देवसरा में नवनिर्मित विद्युत उपकेन्द्र के संचालन का प्रकरण

120-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ढखवा, विकास खण्ड आसपुर देवसरा, तहसील पट्टी, जनपद-प्रतापगढ़ में 33 के0वी0ए0 का नवनिर्मित विद्युत उपकेन्द्र का संचालन बन्द है ? यदि हां, तो कब से एवं इसका क्या कारण है ? क्या सरकार इसे चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

ढकवा विकास खण्ड आसपुर देवसरा, तहसील पट्टी जनपद-प्रतापगढ़ में 33 के0 वी0 ए0 का नवनिर्मित विद्युत उपकेन्द्र वर्तमान समय में कार्यरत हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नलकूपों के हेतु निःशुल्क कनेक्शन दिये जाने की योजना के विवरण की मांग

121-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुछ नलकूपों के लिये निःशुल्क कनेक्शन दिये जाने की व्यवस्था है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? पट्टी विधान सभा क्षेत्र में इस योजना के लाभार्थियों का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सभी विद्युत उपकेन्द्रों में ओवर हालिंग की कार्य-योजना की जानकारी

122-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र के सभी विद्युत उपकेन्द्रों के पोषकों के जीर्ण-शीर्ण कन्डेक्टर एवं लाइन सामग्री बदलवाकर ओवर हालिंग की कोई कार्य योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद-प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 54 नग जर्जर पोल एवं 14.08 कि0 मी0 जर्जर तार माह मई, 2010 तक बदला जा चुका था। इसके अतिरिक्त 15 कि0मी0 जर्जर तार तथा 65 नग जर्जर पोल माह दिसम्बर, 2010 तक बदले जाने थे, जिसे माह फरवरी, 2011 में पूर्ण करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजनान्तर्गत आवंटित धन एवं स्वीकृत योजनाओं का विवरण

123-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में कौन-कौन सी योजनाओं में कितना-कितना धन आवंटित किया गया ? कार्यदायी संस्था समाज कल्याण निगम, गोण्डा को कितनी-कितनी धनराशि किन-किन तिथियों में अवमुक्त की गयी ? स्वीकृति योजनाओं को पूर्ण कराने की निर्धारित अवधि क्या थी ? क्या निर्धारित अवधि में योजनाओं को पूर्ण कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार जांच करवाकर कार्यदायी संस्था के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जनपद गोण्डा में वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में जिला योजना समिति से पारित तथा उच्च शक्ति प्राप्त समिति के अनुमोदन के उपरान्त निम्नानुसार परियोजनाओं पर धनराशि अवमुक्त की गयी है।

वर्ष 2008-09

ग्राम पंचायत-

65 परियोजना (ग्राम पंचायत सचिवालय) लागत रु0 952.794 लाख।

क्षेत्र पंचायत-

29 परियोजना (रिसोर्स सेन्टर/सीसी रोड) लागत रु0 136.800 लाख।

जिला पंचायत-

30 परियोजना (लेपन/सीसी रोड/खड़ंजा/पुलिया कार्य) लागत रु0 273.00 लाख।

नगर निकाय-

18 परियोजना (सीसी रोड/इंटरलाकिंग नाली निर्माण) लागत रु0 174.78 लाख।

वर्ष 2009-10

ग्राम पंचायत-

76 परियोजना (ग्राम पंचायत सचिवालय, सीसी रोड) लागत 918.54 लाख।

क्षेत्र पंचायत-

21 परियोजना (सोलर लाइट/सीसी रोड/बाउन्ड्रीवाल) लागत रु0 121.95 लाख।

जिला पंचायत-

104 पिरयोजना (लेपन/सीसी रोड/खड़ंजा/पुलिया कार्य) लागत रु0 636.80 लाख।

नगर निकाय-

44 परियोजना (सीसी रोड/इंटरलाकिंग नाली) लागत रु0 365.95 लाख।

केवल दिनांक 02-06-2009 को रु0 88693000.00 उपलब्ध कराया गया है।

कार्यादेश निर्गत करने की तिथि से छः माह तक।

387 कार्यों में से 316 कार्य पूर्ण है शेष 71 कार्य निर्माणाधीन है।

प्रक्रियात्मक विलम्ब के कारण निकायों/पंचायतों/कार्यदायी संस्थाओं द्वारा 71 कार्य समय से पूर्ण नहीं कराये जा सके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में कतिपय वर्षों में ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय के निर्माण की जानकारी

124-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा में वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 में कितने ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय निर्माण कराये जाने का कितना-कितना लक्ष्य रखा गया था ? उनमें से कितने पूर्ण हो चुके हैं एवं कितने अधूरे हैं ? क्या सरकार निर्धारित समयावधि में उक्त ग्राम सचिवालयों का निर्माण पूर्ण न करवाने वाली कार्यदायी संस्था के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

वर्ष 2007-08 में 0

वर्ष 2008-09 में कुल 65

वर्ष 2009-2010 में कुल 56

कुल-121

इनमें से 65 ग्राम पंचायत सचिवालय का निर्माण पूर्ण है तथा 56 का कार्य निर्माणाधीन है।

परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त करने आदि में हुये प्रक्रियात्मक विलम्ब के फलस्वरूप कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं कराये गये हैं, जिसके लिये कोई दोषी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

तहसील महमूदाबाद के ग्राम केदारपुर की विद्युतीकरण हेतु चयनित किये जाने के बावजूद कार्य पूर्ण न कराये जाने का प्रकरण

125-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम केदारपुर, ब्लाक व तहसील महमूदाबाद को वर्ष 1999-2000 में विद्युतीकरण हेतु चयनित किया गया था ? क्या उक्त गांव का विद्युतीकरण का कार्य अभी तक अधूरा है ? यदि हां, तो उक्त गांव के विद्युतीकरण का कार्य कब तक पूरा कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी नहीं।

प्रश्नगत ग्राम का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में किया जाना प्रस्तावित है।

योजना की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होने के पश्चात् विद्युतीकरण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव में परिवहन विभाग में मृतक आश्रित को सेवायोजित किये जाने की मांग

126-श्री दीपक कुमार-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव डिपो में चालक के पद पर कार्यरत श्री राम प्रसाद की सेवाकाल में दिनांक 06-05-2010 को मृत्यु हुई है ? यदि हां, तो क्या मृतक के आश्रित को सेवायोजित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम अचल राजभर-

जी हां।

जी नहीं।

सार्वजनिक उद्यम विभाग के शासनादेश दिनांक 11 जुलाई, 2003 द्वारा मृतक आश्रित के सेवायोजना की सुविधा को समाप्त कर दिया गया है।

जनपद लखनऊ के जानकीपुरम् विस्तार योजना के सेक्टर-9 में ट्रान्सफार्मर को पुनः पूर्व में लगाये गये स्थल पर स्थापित करने पर विचार

127-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जानकीपुरम् विस्तार योजना लखनऊ के सेक्टर-9 (नौ) में लगा ट्रांसफार्मर वहां से हटाये जाने से बोल्टेज की समस्या उत्पन्न हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ट्रांसफार्मर को पुनः पूर्व में लगाये गये स्थल पर स्थापित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

दिनांक 22-07-2011 को उक्त ट्रान्सफार्मर स्थापित कर समस्या का समाधान कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

राम कुन्ज कालोनी, लखनऊ में ट्रान्सफार्मर स्थापित करने के सम्बन्ध में पत्र

128-श्री लाल जी यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुकरैल कल्याण सहकारी समिति 77 श्री राम कुन्ज, सीमैप फरीदीनगर, लखनऊ के अध्यक्ष, श्री राम चन्द्र सिंह का पत्र दिनांक 3-7-2010 जो श्री राम कुन्ज कालोनी में ट्रांसफार्मर स्थापित करने के सम्बन्ध में था, मुख्य अभियन्ता लेसा जोन, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार उक्त कालोनी में जर्जर बिजली के तारों को बदल कर इन्सूलेटर बिजली के तार लगवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

क्षमता वृद्धि के अन्तर्गत 250 के0 वी0 ए0 से 400 के0 वी0 ए0 कर दिया गया है।

जी नहीं।

क्योंकि स्थल निरीक्षण में पाया गया कि वर्तमान में उक्त क्षेत्र का विद्युत तंत्र जिससे विद्युत आपूर्ति की जा रही है, ठीक है एवं विद्युत आपूर्ति सामान्य एवं सुचारु रूप से चल रही है।

जनपद एटा में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (पंचायत) हेतु वर्ष 2010-11 पर व्यय की गई धनराशि

129-श्री कुबेर सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 में जनपद एटा में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (पंचायत) हेतु अनुमानित व्यय रु0 14.8 लाख में से विधान सभा क्षेत्र जलेसर में कितनी धनराशि व्यय की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जिला विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 में जनपद एटा में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (पंचायत) हेतु विशेष प्रोत्साहन योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 में अनुदान संख्या-83 में रु0 1.48 लाख तथा रु0 17.66 लाख कुल रु0 19.14 लाख और अनुदान संख्या-14 में रु0 1.48 लाख तथा रु0 2.48 लाख कुल रु0 3.96 लाख इस प्रकार कुल रु0 23.10 लाख प्राप्त हुआ जिसके सापेक्ष धनराशि रु0 8.626 लाख विधान सभा क्षेत्र जलेसर में व्यय की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

निचली गंगा नहर के मिस्सी स्केप के क्षतिग्रस्त गूलों के निर्माण एवं मरम्मत कराये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

130-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निचली गंगा नहर के मिस्सी स्कैप के क्षतिग्रस्त गूलों के निर्माण एवं मरम्मत कराये जाने विषयक उपाध्यक्ष, उ0 प्र0 बीज शोध संस्थान, लखनऊ का पत्र दिनांक 19-06-09 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या मिस्सी स्कैप के क्षतिग्रस्त गूलों का निर्माण/मरम्मत का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

कार्यालय की आख्या के अनुसार सन्दर्भित पत्र प्राप्त होना नहीं पाया गया।

उपरोक्त के क्रम में प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में सम्पूर्ण स्वच्छता के कार्यक्रम अन्तर्गत गत वर्षों में ग्राम पंचायतवार व्यय की गयी धनराशि

131-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र में सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2007-08, 2009-10 एवं 2010-11 में किन-किन

ग्राम पंचायतों में कितना-कितना धन व्यय किया गया तथा कितने कार्य पूर्ण कराये गये ? शेष कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र में सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2007-08, 2009-10 एवं 2010-11 में ग्राम पंचायतवार मदवार धनराशि दी गयी है, जिसका कार्य पूर्ण हो गया है। विवरण विस्तृत है, अतः मा0 सदस्यगण किसी भी कार्य दिवस में उक्त विवरण मा0 मंत्री जी के कार्यालय कक्ष में देख सकते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में निजी नलकूपों के नये विद्युत संयोजन देने की वर्तमान व्यवस्था की जानकारी

132-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ में निजी नलकूपों के नये विद्युत संयोजन देने की वर्तमान व्यवस्था क्या है ? क्या सरकार एक हार्सपावर से लेकर 15 हार्सपावर तक के कनेक्शन देने हेतु स्पष्ट नीति सम्बन्धी आदेश इलाहाबाद मण्डल के सभी जनपदों को निर्गत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

सामान्य योजना के अन्तर्गत समस्त निजी नलकूप संयोजनकर्ताओं को भार के अनुसार प्रोसेसिंग फीस (रिफन्डेबल), सिस्टम लोडिंग चार्ज तथा सिक्योरिटी जमा करनी होती है। इसके अतिरिक्त 7.5 हार्स पावर के आधार पर वर्तमान में रु0 68.000 की अनुदान राशि लाईन चार्जेज में समायोजित की जाती है। यदि कृषक इससे अधिक हार्स पावर का नलकूप स्थापित करना चाहता है तो अतिरिक्त धनराशि कृषक द्वारा वहन की जायेगी।

जमा योजना के अन्तर्गत इच्छुक किसानों को तत्काल संयोजन निर्गत किये जाने की व्यवस्था है।

उ0 प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी रेट शिड्यूल वर्ष 2009-10 के अनुसार 25 हार्स पावर तक किसी भी क्षमता के निजी नलकूप का संयोजन प्रदान किया जा सकता है। विद्युत सप्लाई कोड-2005 के अनुसार 5 किलोवाट से कम, 230 वोल्ट पर एकल फेज संयोजन तथा 5 किलोवाट या उससे अधिक (50 किलोवाट/56 के0वी0) के संयोजन 400 वोल्ट 3 फेज, कोर वायर पर निर्गत किये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय विकास खण्डों में गैर व्यावसायिक विद्युत कनेक्शन पर रोक हटाने की मांग

133-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के विकास खण्ड आसपुर देवसरा, पट्टी, मंगरौरा एवं बेलखरनाथ धाम में एक एच0 पी0 से 3 एच0 पी0 के गैर व्यावसायिक विद्युत

कनेक्शन दिये जाने पर उ0 प्र0 राज्य विद्युत निगम द्वारा रोक लगायी गयी है ? यदि नहीं, तो कृषकों को 3 एच0 पी0 विद्युत कनेक्शन स्वीकृत न करने के क्या कारण हैं ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी नहीं।

जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के विकास खण्ड आसपुर देवसरा, पट्टी, मंगरौरा एवं बेलखरनाथ धाम में 3 एच0 पी0 गैर व्यावसायिक संयोजन देने पर रोक हटा ली गयी है एवं तद्नुसार विद्युत नियामक आयोग लखनऊ द्वारा निर्गत आदेश सं0-यू0पी0ई0आर0सी0/सचिव/बी0सी0ए0/2008-2391 दिनांक 14-05-08 के अनुसार संयोजन स्वीकृत किये जा रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास हेतु प्रदेश में जनपदों का चयन

134-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास हेतु प्रदेश में कितने जनपदों का चयन किया गया है ? क्या चयनित सूची में जनपद-गोंडा का नाम शामिल है ? यदि हां, तो उक्त जनपद के किन-किन क्षेत्रों के विकास के लिये कौन-कौन सी योजनायें चयनित की गयी हैं ? क्या चयनित योजनाओं पर कार्य कराया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में पंचायती राज विभाग द्वारा किसी जनपद विशेष का चयन नहीं किया गया है। इस कार्यक्रम एवं पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत कैपिसिटी डेवलपमेन्ट फार लोकल गवर्नेन्स (सी0डी0एल0जी0) परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जो प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू है।

उपरोक्तानुसार।

इस परियोजना के अन्तर्गत निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों एवं कर्मियों के प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास गतिविधियों के समयबद्ध नियोजन एवं क्रियान्वयन हेतु रणनीतिक सहयोग प्रदान किया जाता है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव को विद्युत कटौती से मुक्त करने की मांग

135-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव में अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र भोगांव को विद्युत कटौती से मुक्त करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी नहीं।

जी नहीं।

जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव को 22 बजे से 06 बजे एवं 11 बजे से 17 बजे तक (कुल 14 घण्टे) साप्ताहिक अदल-बदलकर विद्युत आपूर्ति की जा रही है। प्रदेश में अत्याधिक

विद्युत की मांग के सापेक्ष उपलब्धता में कमी के कारण विद्युत कटौती से मुक्त कर पाना सम्भव नहीं है।

जनपद-मैनपुरी के ग्राम-पुरैया, ब्लाक-बेवर में नाली, खड़ंजा आदि के निर्माण में गुणवत्ता की जांच

136-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी के ग्राम-पुरैया, ब्लाक-बेवर में वर्तमान प्रधान द्वारा ग्राम सभा में नाली, खड़ंजा आदि के निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग किये जाने से कार्य की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्यों की जांच कराकर इसके दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

प्रश्न में उल्लिखित मामले की जांच मुख्य विकास अधिकारी मैनपुरी द्वारा करायी जा रही है।

जांच पूर्ण होने के पश्चात गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

सचिव, ऊर्जा की जांच रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही सम्बन्धी पत्र

137-श्री दीनानाथ कुशवाहा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 पावर कारपोरेशन लि0 का पत्र संख्या 7203/पीएस नि (का0 एवं प्रब0)/पाकालि/2010, दिनांक 8-12-2010 एवं महामहिम श्री राज्यपाल के विशेष सचिव का पत्र संख्या-3340 पीएस-एच0ई0 दिनांक 23-12-2010 जोकि क्रमशः मुख्य अभियन्ता (का0प्र0) उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 एवं सचिव (ऊर्जा), उ0 प्र0 शासन को सम्बोधित है, तथा जो सचिव (ऊर्जा) की जांच रिपोर्ट को दबाने तथा सही तथ्य न रखने वाले अधिकारियों को निलम्बित करते हुये हुई क्षति की भरपाई विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के निदेशक मण्डल की बैठक में सचिव, ऊर्जा की जांच रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही के विवरण को संज्ञान में लेते हुए निदेशक मण्डल ने पूर्व में की गई प्रोन्नतियों, समयबद्ध वेतनमान की स्वीकृति, मानदेय की स्वीकृति रियायती दर पर विद्युत सुविधा दिये जाने एवं कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता आदि के प्रकरणों में निगम द्वारा की गई कार्यवाही का अनुमोदन प्रदान कर दिया गया था। तद्नुसार एकल जांच समिति की जांच आख्या में दिये गये तथ्यों पर उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड मनकापुर के कतिपय ग्रामों में विद्युत समस्या के निराकरण की मांग

138-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड मनकापुर के अम्बेडकर ग्राम भिटौरा के ग्राम बस्तीपुरवां, दलीपुरवा सुब्बापुरवा, उपाध्यायपुरवा जहां 90 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं, में लो वोल्टेज के कारण उक्त पुरवों में विद्युत आपूर्ति सही

ढंग से नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्युत समस्या के निराकरण हेतु कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

उक्त समस्या के निराकरण हेतु जनपद गोण्डा के विकास खण्ड मनकापुर के अम्बेडकर ग्राम भिटौरा के मजरे ग्राम बस्तीपुरवा, दलीपुरवा, सुब्बापुरवा, उपाध्यायपुरवा में एक अतिरिक्त 100 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाया जाना प्रस्तावित है, जिससे उक्त समस्या का निराकरण हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय ग्रामों की विद्युत आपूर्ति जनपद सुल्तानपुर के स्थान पर जनपद प्रतापगढ़ से किये जाने के सम्बन्ध में पत्र

139-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम आहोपुर, ब्लाक आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ को विद्युत आपूर्ति जनपद सुल्तानपुर से की जा रही है जबकि विद्युत राजस्व जनपद प्रतापगढ़ में जमा किया जाता है ? क्या उपरोक्त ग्राम को विद्युत आपूर्ति जनपद प्रतापगढ़ से किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10-08-2010 मुख्य अभियन्ता, विद्युत, इलाहाबाद एवं अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रतापगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

ग्राम-आहोपुर, ब्लाक आसपुर देवसरा जनपद-प्रतापगढ़ को विद्युत आपूर्ति 33/11 के0 वी0 उपकेन्द्र आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ से जोड़े जाने हेतु सर्वे एवं प्राक्कलन बनाये जाने का कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड पट्टी के ग्राम पंचायत सरसतपुर में ग्राम प्रधान द्वारा कराये गये कार्य की अनियमितता

140-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, 2005 से अब तक ग्राम पंचायत सरसतपुर, विकास खण्ड-पट्टी, जनपद-प्रतापगढ़ के सभी मदों से प्रधान द्वारा क्या कार्य कराये गये हैं ? प्रत्येक कार्य पर किन-किन मदों से कितना-कितना धन खर्च किया गया है और उसका स्थलीय सत्यापन कब कराया गया ? क्या सरकार की गयी अनियमितता की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

ग्राम पंचायत सरसतपुर, विकास खण्ड-पट्टी, जनपद-प्रतापगढ़ में वर्ष 2005-06 से अब तक सभी मदों से ग्राम प्रधान द्वारा कराये गये कार्यों एवं व्यय धनराशि व जांच आख्या का उपलब्ध

विवरण विस्तृत होने के कारण सम्पूर्ण विवरण मा0 मंत्री जी के कार्यालय कक्ष में रख दिया गया है जिसे मा0 सदस्य किसी भी कार्य दिवस में अपनी सुविधानुसार देख सकते हैं।

जांच में रु0 2,430/- का व्ययाधिक्य पाया गया जिसकी वसूली की कार्यवाही सम्बन्धित प्रधान से की जा रही है।

जनपद एटा के जलेसर एवं सदर वन क्षेत्रों में लगाये गये वृक्ष एवं ट्री गार्ड के वृक्षों की संख्या की जानकारी

141-श्री कुबेर सिंह-

क्या वन एवं जन्तु उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा के जलेसर एवं सदर वन क्षेत्रों में वर्तमान वर्ष में किन-किन स्थानों पर कितने वृक्ष लगाये गये हैं एवं उनमें से कितने वृक्ष जीवित हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि ट्री गार्ड में लगे वृक्षों की संख्या क्या है ?

श्री फतेह बहादुर-

वर्ष 2010-11 में जनपद एटा के जलेसर एवं सदर तहसीलों में वन विभाग द्वारा 390852 पौधे लगाये गये, जिनमें से 353735 पौधे जीवित हैं। स्थलवार विवरण संलग्न† है।

वर्ष 2010-11 में जनपद एटा के जलेसर एवं सदर तहसीलों में 2552 ब्रिक गार्ड/ट्री गार्ड में 2552 पौध रोपित किये गये हैं।

प्रदेश में कर्मचारी भविष्य निधि प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम अन्तर्गत कामगारों को मुआवजे का लाभ दिलाये जाने की मांग

142-श्री कुबेर सिंह-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कर्मचारी भविष्य निधि प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1992, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923, मातृत्व लाभ योजना, 1961, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे कामगारों को भी सरकार मुआवजा आदि का लाभ दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बादशाह सिंह-

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत उपलब्ध योजनायें भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों हेतु अभी लागू नहीं की गई है। शेष सम्बन्धित अधिनियमों के प्राविधान आच्छादित होने की स्थिति में कार्यरत श्रमिक इन अधिनियमों के अन्तर्गत विधिजन्य सुविधाएं प्राप्त करने हेतु पात्र हैं, जिसमें कार्यरत असंगठित क्षेत्र के श्रमिक भी सम्मिलित हैं।

जनपद एटा के निजी नलकूपों को ऊर्जीकृत करने हेतु सामान्य योजना में लम्बित आवेदन-पत्रों के निस्तारण की मांग

143-श्री कुबेर सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा में निजी नलकूपों को ऊर्जीकृत करने हेतु सामान्य योजना में दिनांक 31 जनवरी, 2011 तक कितने आवेदन-पत्र लम्बित थे एवं सरकार

---

† (देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 133-135 पर।)

द्वारा उक्त लम्बित आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद एटा में दिनांक 31 जनवरी, 2011 तक निजी नलकूपों को ऊर्जीकृत करने हेतु सामान्य योजना में 450 बी0 एण्ड एल0 फार्म लम्बित थे जिनमें से लक्ष्य के अनुरूप दिनांक 31-03-2011 तक 138 संयोजन निर्गत कर दिये गये। शेष 312 बी0 एण्ड एल0 फार्म के निस्तारण हेतु वर्ष 2011-2012 में लक्ष्यों का निर्धारण हो गया है। लक्ष्यों के अन्तर्गत ऊर्जीकरण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में चीनी मिलों से प्राप्त बिजली एवं उसके रेट के सम्बन्ध में जानकारी

144-श्री कुबेर सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चीनी मिलों से कितने-कितने मेगावाट बिजली किस-किस विद्युत यूनिट से बन रही है तथा इसमें से कितनी बिजली सरकार को किस-किस रेट पर मिल रही है ? क्या सरकार शेष छोटी यूनिटों से पैदा हो रही विद्युत को भी मेन पूल में लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

चीनी मिलों में बिजली बगास को ईधन के रूप में उपयोग करके पिरायी सत्र में उत्पादित की जाती है। जिन चीनी मिलों में विद्युत उत्पादन संयंत्र कमीशन हो गये हैं, उनका विस्तृत विवरण मा0 सदस्यगण के अवलोकनार्थ सदन के पटल पर रखा जा सकता है।

चीनी मिलों की बिजली उ0 प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित ऊर्जा क्रय दर पर क्रय की जाती है, जो कि विद्यमान संयंत्रों के लिये कमीशनिंग वर्ष के आधार पर बढ़ते क्रम में रु0 3.81 प्रति यूनिट (वित्तीय वर्ष 09-10 हेतु) से लेकर रु0 4.50 प्रति यूनिट (वित्तीय वर्ष 13-14 हेतु) तक है।

आयोग के नियमानुसार चीनी मिलों की बड़ी अथवा छोटी यूनिट दोनों से विद्युत का क्रय मेन पूल में ही अर्थात् निकटस्थ 132 के0वी0 ग्रिड उपकेन्द्र पर किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में डग्गामार बसों के संचालन को रोकने की मांग

145-श्री राजाराम कोरी उर्फ त्यागी-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में डग्गामार बसों के संचालन को रोकने के लिये सरकार कोई नीति बना रही है ? यदि हां, तो वर्तमान में प्रदेश में कितनी बसों के संचालन हेतु परमिट जारी किये गये हैं ? उनमें से लखनऊ मण्डल की स्थिति क्या है ? क्या सरकार बिना परमिट बसों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम अचल राजभर-

बिना परमिट या परमिट शर्तों के विरुद्ध संचालित वाहनों को रोकने के लिए केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-192 (ए) में दण्ड की व्यवस्था है तथा राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या-2299/30-4-10-08 (19)/09 टी0सी0, दिनांक 08-11-2010 द्वारा बिना परमिट

बसों के संचालित पाये जाने पर मासिक देय कर का 5 गुना कर जमा कराये जाने का प्राविधान किया गया है।

वर्तमान में प्रदेश में 12,926 मंजिली गाड़ियों के अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर संचालन हेतु परमिट जारी है।

उनमें से लखनऊ मण्डल में 1626 मंजिली गाड़ियों के अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर संचालन हेतु परमिट जारी है।

बिना परमिट बसों के संचालन के खिलाफ सतत् प्रवर्तन की कार्यवाही की जाती है। गत वित्तीय वर्ष 2010-2011 में 3738 एवं वर्ष 2011-2012 में माह जून तक 771 बसों के विरुद्ध प्रवर्तन कार्यवाही करते हुए नियमों के अन्तर्गत कर एवं प्रशमन शुल्क वसूल कर दण्डात्मक कार्यवाही की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

146-श्री राजाराम कोरी उर्फ त्यागी-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में नील गायों/वन रोजों के बढ़ते प्रकोप की रोकथाम हेतु उपाय

147-श्री राजाराम कोरी उर्फ त्यागी-

क्या वन एवं जन्तु उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नील गायों/वन रोजों के बढ़ते प्रकोप की रोकथाम हेतु कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार उक्त की रोकथाम हेतु नीलगायों की नसबन्दी कराये जाने पर भी विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फतेह बहादुर-

जी नहीं। कार्य योजना पूर्व से विद्यमान है। नील गायों/वन रोजों द्वारा कृषि फसलों के क्षति के दृष्टिगत उत्पाती वनरोजों (नील गायों) को नष्ट करने के लिए शासनादेश संख्या-736/14-4-94-854/92 दिनांक 9-03-1994 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों एवं शासनादेश संख्या 2194/14-4-2001-854/92 दिनांक 28-9-2001 द्वारा उप जिलाधिकारियों/खण्ड विकास अधिकारियों तथा शासनादेश संख्या-1464/14-4-2008-854/92 दिनांक 31-07-2008 द्वारा वन विभाग के समस्त वन क्षेत्राधिकारी, सहायक वन संरक्षक, प्रभागीय वनाधिकारी, वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक एवं राजस्व विभाग के समस्त तहसीलदार को अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस समस्या के निराकरण हेतु नीलगायों से प्रभावित कृषक अपने क्षेत्र के उक्त अधिकारियों से सम्पर्क कर अपनी समस्या का निदान कर सकते हैं।

वर्तमान कार्य योजना उपरोक्तानुसार है।

नसबन्दी के माध्यम से नीलगायों की संख्या का नियंत्रण किया जाना व्यवहारिक नहीं है।

भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून द्वारा नीलगायों की रोकथाम पर प्रकाशित अपनी रिपोर्ट ''जन-आबादी एवं कृषि क्षेत्रों में नीलगाय समस्या चुनौतियों एवं समाधान के विकल्प'' के प्रस्तर 5.6 में यह उल्लेख किया गया है कि यदि 85 प्रतिशत प्रजनन योग्य व्यस्कों का बंध्याकरण करा दिया जाय तब

लगभग 25 वर्षों के बाद आबादी पर वांछित नियंत्रण हो पायेगा। अतः प्रजनन रोकना (बन्ध्याकरण) एक प्रभावी एवं व्यवहारिक उपाय नहीं है।

जनपद रायबरेली में विकास खण्डवार ग्राम सभाओं में लगे हैण्डपम्प एवं खराब को ठीक कराये जाने की मांग

श्री राजाराम कोरी उर्फ त्यागी-

148-क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली में वर्ष 2008-09 में विकास खण्डवार कितने तथा किस ग्राम सभा में हैण्डपम्प लगाये गये उनमें से कितने चालू तथा कितने खराब हैं ? खराब हैण्ड पम्पों को कब तक ठीक कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जनपद रायबरेली में वर्ष 2008-09 में विकास खण्डवार कुल 3008 हैण्डपम्प लगाये गये हैं। वर्तमान में सभी क्रियाशील है। विकास खण्डवार ग्राम सभा हैण्डपम्पों की सूची विस्तृत है। अतः ग्राम सभावार हैण्डपम्पों की सूची मा0 मंत्री जी के कार्यालय कक्ष में रख दी गयी है, जिसे मा0 सदस्यगण किसी भी कार्य दिवस में अपनी सुविधानुसार देख सकते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी, तहसील सदर के ग्राम भैठौली के वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा सरकारी धन के दुरुपयोग का कथित प्रकरण

149-श्री अनूप कुमार गुप्ता-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी, तहसील बनारस सदर, ब्लाक हरहुआ के ग्राम भैठौली के वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा वर्ष 2005 से 31-05-11 तक किन-किन मदों में कितना-कितना पैसा खर्च किया गया है ? क्या ग्राम प्रधान द्वारा अपात्र लोगों को व अपने सगे भाइयों के नाम सफेद कार्ड बनवा कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी जांच कराकर जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जनपद वाराणसी के ब्लाक हरहुआ के ग्राम भैठौली में वर्ष 2005 से 31-5-11 तक प्रधान द्वारा मदवार व्यय विवरण विस्तृत होने के कारण सम्पूर्ण विवरण मा0 मंत्री जी के कार्यालय कक्ष में रख दिया गया है जिसे मा0 सदस्य किसी भी कार्य दिवस में अपनी सुविधानुसार अवलोकित कर सकते हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के कतिपय विद्युत उपकेन्द्रों में विद्युत तारों की समस्या के निराकरण के निर्देश

150-श्री सुखलाल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के सेस-द्वितीय फतेहगंज विद्युत उपकेन्द्र के अन्तर्गत रंग-रेजबाग, बाग वाली मस्जिद, मोहान रोड व आस-पास के क्षेत्रों में बिजली के अत्यधिक कमजोर व पतले तारों द्वारा सड़क पार कराकर विद्युत आपूर्ति की जा रही है जिससे किसी

भी समय कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है ? यदि हां, तो क्या सरकार कमजोर व पतले तार की जगह ''बंच एरियल'' से बिजली की सप्लाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

प्रश्नगत क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कराकर विद्यमान समस्या का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने के निर्देश प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को दिये जा चुके हैं।

जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद के कतिपय अम्बेडकर ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

151-श्री राजेश यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद के अम्बेडकर ग्राम बरुआ के मजरा शमसीपुर में अब तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मजरे का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद के अम्बेडकर ग्राम बरुआ के मजरा शमसीपुर को विद्युतीकरण हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में सम्मिलित किया गया है। योजना की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होने पर विद्युतीकरण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सरकारी विभागों पर विद्युत बिलों की बकाया धनराशि की वसूली की मांग

152-श्री कुवेर सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकारी विभागों पर मार्च, 2011 तक विद्युत बिलों की कितनी धनराशि बकाया है ? उक्त बकाया धनराशि की वसूली कब तक करा ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

प्रदेश में सरकारी विभागों पर मार्च, 2011 तक विद्युत बिलों की कुल बकाया धनराशि रु0 1415.07 करोड़ है।

सरकारी विभागों पर बकाये विद्युत बिलों की वसूली एक सतत् प्रक्रिया है। फलतः इस सम्बन्ध में समय सीमा का निर्धारण किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद-बस्ती के विकास खण्ड गौर, ग्राम इटवा कुनगाई में अस्थाई लकड़ी के खम्भों को हटवा कर विद्युत पोल लगवाने विषयक-पत्र पर कार्यवाही

153-चौ0 रविन्द्र प्रताप-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-इटवा कुनगाई, विकास खण्ड-गौर, जनपद-बस्ती में बिजली कनेक्शन हेतु लगे अस्थाई लकड़ी के खम्भों को हटवा कर विद्युत पोल लगवाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही किये जाने हेतु आपके कार्यालय के पत्र संख्या 1866/कार्या0/मं0/अ0/वि0/2010, दिनांक 13-8-2010 मुख्य अभियन्ता, बस्ती को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सुरक्षा की दृष्टि से उक्त विद्युत पोल कब तक लगवा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

उक्त ग्राम के लकड़ी के जर्जर पोलों को हटवाकर पी0सी0सी0 पोल लगाने का प्रस्ताव बिजनेस प्लान 2011-12 में सम्मिलित कर लिया गया है।

उक्त कार्य को दिनांक 31-08-2011 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम पंचायत जमुही, जनपद शाहजहांपुर में ट्रांसफार्मर लगाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

154-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत जमुही, पोस्ट रौजा भावलखेड़ा, जिला शाहजहांपुर में ट्रांसफार्मर लगाये जाने विषयक मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या-सी0 एम0/वि0 को0/एम-240425/2011, दिनांक 01-05-2011 प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

ग्राम पंचायत जमुही, पोस्ट रौजा भावलखेड़ा, जिला शाहजहांपुर में स्थापित 63 के0वी0ए0 परिवर्तक को क्षमतावृद्धि 100 के0वी0ए0 किये जाने का प्रस्ताव बिजनेस प्लान 2011-12 में सम्मिलित कर लिया गया है। कार्य शीघ्र पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के सभी बी0पी0एल0 कार्डधारकों को विद्युत कनेक्शन दिये जाने विषयक-पत्र पर कृत कार्यवाही

155-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत जमुहो ब्लाक भावलखेड़ा, शाहजहांपुर के सभी बी0 पी0 एल0 कार्ड धारकों को विद्युत कनेक्शन दिये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के अनुरोध पर मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्र संख्या- सी0एम0/वि0को0/एम-240423/2011 दिनांक 01-05-2011 द्वारा दिया गया आदेश प्रमुख सचिव/सचिव ऊर्जा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

वर्ष 2010-11 में जनपद शाहजहांपुर में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 2247 बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को माह 4/2011 तक संयोजन निर्गत किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर विकास खण्ड बढ़नी में कथित ग्राम पंचायतों के लिये राज्य बिल से स्वीकृत धनराशि

156-चौ0 रविन्द्र प्रताप-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सिद्धार्थनगर, विकास खण्ड-बढ़नी के ग्राम पंचायत ढेकहरी बुजुर्ग, धनौरा मुस्तकम, पिपरा बरगदवा, सेवरा, सिसवा में वित्तीय वर्ष 2005-06 से 2010-11 के मध्य राज्य वित्त से कितना-कितना धन स्वीकृत हुआ और उसमें से कितना कार्य कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जनपद-सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड-बढ़नी के ग्राम पंचायत ढेकहरी बुजुर्ग, धनौरा, मुस्तकम, पिपरा, बरगदवा, सेवरा, सिसवा में वित्तीय वर्ष 2005-06 से 2010-11 के मध्य राज्य वित्त से स्वीकृत धन और व्यय धन का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0सं0	नाम ग्राम पंचायत	स्वीकृत धनराशि (रु0)	व्यय (रु0)
1	ढेकहरी बुजुर्ग	600202	574620
2	धनौर मुस्तकम	1140427	881603
3	पिपरा बरगदवा	553738	521055
4	सेवरा	1339427	998786
5	सिसवा	760331	722487
	योग :-	4364125	3698551

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जैतीपुर के ग्राम भुड़िया का विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

157-श्री राजेश यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जैतीपुर के ग्राम भुड़िया का विद्युतीकरण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जैतीपुर के ग्राम भुडिया का विद्युतीकरण अभी नहीं हुआ है।

जी हां।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जैतीपुर के ग्राम भुड़िया का विद्युतीकरण माह अक्टूबर, 2011 तक कराये जाने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर में गृह ब्लाकों में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारियों के स्थानान्तरण की नीति

158-चौ0 रविन्द्र प्रताप-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में गृह ब्लाकों में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारियों को शासन की नीति के अनुसार अन्य ब्लाकों में वर्ष 2007 में स्थानान्तरित किया गया था ? क्या सरकार को जानकारी है कि वर्ष 2009-10 में पुनः उन्हें अपने ही गृह ब्लाकों में ही तैनाती कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी हां। जनपद सिद्धार्थनगर में वर्ष 2007 में गृह विकास खण्ड में कार्यरत निम्नांकित ग्राम पंचायत अधिकारियों को शासन की नीति के अनुसार स्थानान्तरित किया गया था :-

1-श्री सतीशंकर मिश्र, ग्राम पंचायत अधिकारी

2-श्री तिलकराम, ग्राम पंचायत अधिकारी

3-श्री श्याम सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी

जी नहीं, वर्ष 2009-10 में पुनः उन्हें गृह विकास खण्ड में वापस नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में विद्युत कनेक्शन दिये जाने सम्बन्धी-पत्र पर कार्यवाही

159-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम चन्द्र निवासी ग्राम उदयपुर कटैया, ब्लाक ददरौल, जनपद शाहजहांपुर को कृषि कार्य हेतु विद्युत कनेक्शन दिये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्यमंत्री कार्यालय का पत्र संख्या-सी0 एम0/वि0को0/एम-239915/2011, दिनांक 21-4-2011, प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

श्री रामचन्द्र निवासी ग्राम उदयपुर कटैया ब्लाक ददरौल शाहजहांपुर ने कृषि कार्य हेतु कनेक्शन देने का आवेदन दिनांक 31-3-2011 को दिया, जिसके लिये प्रक्रमण शुल्क रुपये 200.00 की रसीद काट दी गई थी।

वरीयता सूची के अनुसार संयोजन का क्रमांक 693 है, जबकि वर्ष 2011-12 के लिए मात्र 325 संयोजनों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस कारण इन्हें नियम एवं शर्तें अभी जारी नहीं की गयी। आर0के0वी0वाई0 के अन्तर्गत लक्ष्य प्राप्त होने पर उपभोक्ता को नियम एवं शर्तें जारी कर संयोजन निर्गत करने की कार्यवाही कर दी जायेगी।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र हरैया में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने की मांग

160-श्री राज किशोर सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र हरैया में बिजली कटौती बड़े पैमाने पर हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में समयबद्ध तरीके से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी नहीं, बल्कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र हरैया को ग्रामीण एवं तहसील स्तरीय कार्यक्रम के अन्तर्गत 22 बजे से 06 बजे एवं 11 बजे से 17 बजे तक (कुल 14 घण्टे) साप्ताहिक अदल-बदलकर विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

निर्धारित रोस्टर के अनुसार उपर्युक्तानुसार विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के विकास खण्ड बिनौली विद्युत उपकेन्द्र तथा कैडवा फीडर को प्रतिदिन की गयी विद्युत आपूर्ति का विवरण

161-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के विकास खण्ड बिनौली विद्युत उपकेन्द्र से माखर जिवाना तथा कैडवा फीडर को दिनांक 01-05-10 से दिनांक 31-5-10 तक कितने घण्टे विद्युत आपूर्ति की गयी है ? क्या सरकार उक्त उपकेन्द्र से उक्त फीडर को प्रतिदिन की गयी विद्युत आपूर्ति का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

दिनांक 01-05-2010 से 31-05-2010 तक प्रतिदिन जनपद बागपत के विकास खण्ड बिनौली स्थित 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बिनौली से निर्गत 11 के0वी0 पोषक माखर पर औसत 4.08 घण्टे तथा 11 के0वी0 पोषक जिवाना गुलियान पर औसत 3.24 घण्टे एवं 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र तितरौदा से निर्गत 11 के0वी0 पोषक कैडवा पर औसत 3.08 घण्टे विद्युत आपूर्ति की गयी।

जी हां। विवरण मा0 सदस्यगण के अवलोकनार्थ सदन के पटल पर रख गया गया है।[†]

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के विकास खण्ड बिनौली विद्युत उपकेन्द्र से किसानों को प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति का विवरण

162-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के विकास खण्ड बिनौली विद्युत उपकेन्द्र से किसानों को दिनांक 01-05-10 से दिनांक 31-5-10 तक कितने घण्टे विद्युत आपूर्ति की

[†] देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 136-137 पर।

गयी है ? क्या सरकार उक्त उपकेन्द्र से उक्त फीडर को प्रतिदिन की गयी विद्युत आपूर्ति का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

33/11 के0वी0 उपकेन्द्र बिनौली से निर्गत 11 के0वी0 पोषकों पर दिनांक 01-05-2010 से दिनांक 31-5-2010 तक प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति का विवरण निम्नवत् है :-

माह मई, 2010 तिथिवार	आपूर्ति	11 के0वी0 पोषक					
		बिनौली	गल्हैता	माखर	जिवाना गुलियान	दादरी	कमाला
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7.00	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30
2	8.00	3.30	4.00	4.30	4.30	3.30	3.30
3	8.00	4.30	3.30	4.00	4.00	4.00	4.00
4	8.00	3.45	3.30	4.30	4.30	2.30	3.45
5	8.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
6	8.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.40
7	13.30	4.45	2.30	4.00	4.00	3.15	3.15
8	10.00	3.15	4.00	5.00	4.00	3.15	4.15
9	8.00	4.30	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00
10	7.00	2.00	5.00	5.00	5.00	2.00	4.30
11	7.00	4.30	2.30	2.30	2.30	3.30	2.30
12	10.00	2.30	3.20	3.30	3.30	3.30	4.20
13	5.00	3.00	1.15	1.20	1.20	2.15	1.15
14	8.00	5.25	1.45	1.45	1.45	6.00	4.15
15	8.30	4.15	3.20	3.00	3.30	6.15	3.15
16	7.20	3.15	3.50	4.00	4.00	3.15	4.25
17	8.00	4.25	3.50	4.50	3.50	4.25	3.15
18	7.30	3.40	3.25	3.00	3.00	2.30	4.15
19	8.00	4.20	2.50	3.40	3.40	4.20	3.00
20	6.00	2.15	3.00	3.00	2.50	3.00	3.00
21	6.15	3.00	2.50	2.25	2.10	2.50	3.00
22	6.00	5.10	0.50	20.50	3.25	3.00	4.00
23	7.00	4.00	2.00	3.15	3.15	3.45	2.30

1	2	3	4	5	6	7	8
24	7.00	3.00	2.30	4.15	4.30	2.05	3.45
25	6.45	4.15	2.45	2.50	0.45	4.15	3.00
26	6.45	4.45	2.40	4.50	3.35	2.40	4.15
27	10.45	1.00	0.20	2.30	2.30	4.15	4.00
28	9.50	7.30	1.15	5.00	5.00	3.00	0.20
29	7.30	5.20	5.00	4.00	3.00	3.40	7.15
30	8.30	6.55	0.30	6.45	4.05	4.00	2.30
31	7.00	3.20	4.00	3.40	4.00	2.35	2.00
औसत		3.53	2.47	4.08	3.24	3.27	3.26

वांछित विवरण उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के विद्युत उपकेन्द्र बिनौली, तितरौदा, टीकरी, सन्तनगर, गैडबरा व कान्हड से माहवार व प्रतिदिन औसतन विद्युत आपूर्ति का विवरण

163-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के विद्युत उपकेन्द्र बिनौली, तितरौदा, दाहा, टीकरी, सन्तनगर, गैडबरा व कान्हड से 01 जनवरी, 2010 से 31 मई, 2010 तक प्रतिदिन कितनी-कितनी विद्युत आपूर्ति करायी गयी है ? क्या सरकार इसका विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद बागपत के विद्युत उपकेन्द्र बिनौली, तितरौदा, दाहा, टीकरी, सन्तनगर, गैडबरा व कान्हड से निर्गत 11 के0वी0 पोषकों पर 01 जनवरी, 2010 से 31 मई, 2010 तक माहवार प्रतिदिन औसतन विद्युत आपूर्ति का विवरण निम्नवत् है :-

उपकेन्द्र का नाम	11 के0वी0 पोषक का नाम	माहवार प्रतिदिन औसतन विद्युत आपूर्ति (घण्टे मिनट में)				
		जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई
	बिनौली	6.56	7.25	6.25	3.53	3.53
	गल्हैता	7.01	7.11	5.50	3.25	2.47
बिनौली	माखर	7.03	9.00	6.45	3.40	4.08
	जिवाना गुलियान	7.04	8.28	6.40	3.44	3.24
	दादरी	6.45	8.20	6.20	3.40	3.27
	कमाला	6.17	7.50	6.58	3.47	3.26

	मवीकला	6.01	7.42	5.21	3.44	3.01
	पुठ्ठी	6.10	7.20	5.20	3.38	3.48
	घनौरा	5.20	7.25	5.02	3.26	2.50
तितरौदा	रामनगर	5.40	7.45	5.21	3.47	3.10
	सिरसलगढ़	5.34	7.58	5.22	3.48	3.01
	कैडवा	5.50	7.24	5.02	3.52	3.08
	बरनावा	7.25	8.35	8.28	7.10	6.25
	बामनौली	7.56	7.05	8.32	6.46	6.12
कान्हड	दोघट	7.48	8.05	8.52	6.35	6.30
	नांगल	8.31	8.12	7.33	5.45	5.42
	इदरीशपुर	8.01	8.25	8.12	6.45	6.25
दाहा	दाहा	7.25	6.45	7.57	7.45	6.20
	पलड़ी	7.38	6.45	7.56	7.28	6.05
सन्तनगर	बाणगंगा	6.55	7.12	7.40	7.23	6.45
	रहतना	7.35	7.13	7.30	7.24	6.42
	टीकरी टाउन	7.22	7.10	7.02	5.58	6.38
टीकरी	गांगनौली	6.45	7.17	7.06	5.04	6.12
	असास	6.32	7.13	7.48	5.35	6.14
गैडबरा	फौलाद नगर	8.56	9.10	8.25	7.20	6.58
	सिलाना	8.58	8.55	8.14	7.26	6.58
	तमेलागढ़ी	8.57	8.58	8.25	7.28	7.01

†विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर के शाहाबाद विधान सभा क्षेत्र में 132 के0वी0 उपकेन्द्र के निर्माण की जानकारी

164-श्री काशीराम-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र 23 शाहाबाद रामपुर में 132 के0वी0ए0 विद्युत स्टेशन निर्माण हेतु धन स्वीकृत हो गया है ? यदि हां, तो उक्त विद्युत स्टेशन कब तक बनकर तैयार हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

---

† छापा नहीं गया।

रामपुर जनपद के अन्तर्गत शाहाबाद क्षेत्र में 132 के0वी0 उपकेन्द्र का निर्माण प्रस्तावित है, लेकिन उपकेन्द्र हेतु भूमि उपलब्ध नहीं हो पायी है। भूमि उपलब्ध होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र पट्टी में उपलब्ध कतिपय उपकेन्द्रों पर कार्यरत फीडर तथा कतिपय ग्रामों को सुल्तानपुर, जौनपुर से विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में जानकारी

165-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में कौन-कौन 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र उपलब्ध है ? उनमें से कौन-कौन से आऊट गोइंग एवं इन कमिंग फीडर कार्य कर रहे हैं ? क्या 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र शीतलागंज से पट्टी विधान सभा क्षेत्र को की जा रही नियमित विद्युत आपूर्ति से जोड़ा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या पट्टी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम आहोपुर, सुजान पट्टी, सुल्तानपुर को विद्युत उपकेन्द्र चांदा, जनपद सुल्तानपुर से जोड़ा गया है और जनपद सुल्तानपुर के कुछ ग्रामों को विद्युत उपकेन्द्र आसपुर देवसरा एवं ढकवा से जनपद सुल्तानपुर एवं जौनपुर के ग्रामों को विद्युत आपूर्ति की जा रही है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

विधान सभा क्षेत्र पट्टी में 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र पट्टी, आमापुर, सदहा, सैफाबाद, आसपुर, देवसरा, ढकवा, मंगरौरा, खण्डौली, साल्हीपुर कंजास, करैला, हरीपुर बरदैता व नरहरपुर उपलब्ध है।

उक्त उपकेन्द्रों में से मात्र ढकवा में एक आउट गोइंग फीडर मंगरौरा में दो आउट गोइंग फीडर व आमापुर में एक आउट गोइंग फीडर खराब है, जिसका मरम्मत कार्य चल रहा है। शेष सभी उपकेन्द्रों के आउट गोइंग तथा इनकमिंग फीडर कार्य कर रहे हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां। उक्त लाइनें काफी पहले की बनी है एवं उसी समय से उल्लिखित उपकेन्द्रों से विद्युत आपूर्ति की जा रही है। सम्प्रति ग्राम आहोपुर, सुजान पट्टी को जनपद प्रतापगढ़ से विद्युत आपूर्ति किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय ग्राम प्रधानों द्वारा पिछड़ी जाति का भवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर निर्वाचित होने की शिकायत

166-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में किस-किस ग्राम के प्रधान पिछड़ी जाति का गलत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर निर्वाचित हो गये हैं और उनमें से किन-किन ग्राम प्रधानों को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जांच समिति द्वारा निरस्त किया गया है के आधार पर तथा किन-किन ग्रामों में 3 स्तरीय समिति गठित कर किन-किन ग्राम प्रधान को पद से हटाया गया

है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि किन-किन दोषी ग्राम प्रधानों के विरुद्ध अब तक गलत तथ्यों के आधार पर जाति प्रमाण-पत्र के आरोप में एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जनपद प्रतापगढ़ में ग्राम पंचायत सरायनाहरराय यहियापुर, रामपुर खजूर, कटवढ़, तवक्कलपुर, पटहटिया कला, पुरैला, सरायभरतराय, रूदापुर (मौलानी), शिवरा (सरायमेदीराय), देहरीदीगर, फेनहा, भौगापुर चौरा, जेठवारा, भसौना एवं पूरेकेशवराय के प्रधानों द्वारा पिछड़ी जाति का गलत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर प्रधान निर्वाचित होने की शिकायत प्राप्त हुई है। ग्राम पंचायत सरानाहरराय, यहियापुर, रामपुरखजूर, कटवढ़, तवक्कलपुर व पटहटिया कला के ग्राम प्रधानों के विरुद्ध प्राप्त शिकायत सत्य पाये जाने पर उनका जाति प्रमाण-पत्र (पिछड़ी जाति) समिति द्वारा विचारोपरान्त निरस्त किया गया जिनमें से यहियापुर, रामपुर खजूर, कटवढ़ व तवक्कलपुर के प्रकरण आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष अपील में विचाराधीन है। ग्राम प्रधान पटहटिया कला के जाति प्रमाण-पत्र के विरुद्ध, जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने हेतु पुनः सुनवाई हेतु अपीलीय समिति द्वारा संदर्भित किया गया है। ग्राम पंचायत शिवरा (सरायमेंदीराय) के प्रधान का पिछड़ी जाति का जाति प्रमाण-पत्र गलत पाये जाने पर तहसीलदार द्वारा निरस्त कर दिया गया जिसके विरुद्ध योजित याचिका मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

शेष प्रकरणों में जांच की कार्यवाही प्रचलित है। जाति प्रमाण-पत्र निरस्त किये जाने के आधार पर ग्राम पंचायत सरायनाहरराय, यहियापुर, रामपुर खजूर, कटवढ़ व तवक्कलनपुर के प्रधानों को पंचायतराज अधिनियम की धारा-95(1)जी के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया है तथा अभी किसी ग्राम प्रधान को हटाया नहीं गया है। जिन ग्राम प्रधानों के जाति प्रमाण-पत्र निरस्त किये गये है, वे सभी मण्डलीय फोरम के समक्ष अपील स्तर पर विचाराधीन है जिससे एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं करायी गयी है।

167-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[एक से अधिक विभागों से सम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी की ग्राम सभा बनी में स्थित ईंट भट्ठे के मालिक द्वारा बाल श्रम अधिनियम, 1986 की धारा-17 का अनुपालन न करने के विरुद्ध कार्यवाही

168-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी की ग्राम सभा बनी में स्थित ईंट भट्ठे द्वारा सभी मानक एवं बाल श्रम अधिनियम, 1986 की धारा 17 का शत-प्रतिशत अनुपालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त भट्ठे पर कार्यरत कुल कितने बाल श्रमिक चिन्हित किये गये और उस दोषी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बादशाह सिंह-

जी नहीं। ईंट भट्ठे द्वारा सभी मानक पूरे नहीं किये जा रहे हैं, किन्तु बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियम), अधिनियम 1986 की धारा-17 का अनुपालन ईंट भट्ठे के मालिक द्वारा नहीं किया जाता है। विभिन्न प्रतिष्ठानों, व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में बच्चों का नियोजित/कार्यरत पाये जाने पर

बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियम), अधिनियम, 1988 की धारा-17 के अन्तर्गत अधिसूचित निरीक्षक द्वारा बाल श्रमिकों के चिन्हांकन हेतु निरीक्षण टिप्पणी जारी की जाती है। निरीक्षण टिप्पणी में बाल श्रमिक के नाम, पता, आयु, मजदूरी व कार्य करने की अवधि के विवरण के अतिरिक्त बाल श्रमिकों को नियोजित करने के फलस्वरूप, अधिनियम के हुए उल्लंघन से सम्बन्धित धाराओं का उल्लेख किया जाता है। निरीक्षण टिप्पणी की एक प्रति सम्बन्धित सेवायोजक को भी प्राप्त करायी जाती है।

ईंट भट्ठे द्वारा अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है, जिसके लिये सेवायोजक के विरुद्ध न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा-12 एवं 18 का उल्लंघन के सम्बन्ध में निरीक्षण टिप्पणी जारी की गयी है।

कोई भी बाल श्रमिक चिन्हित नहीं किया गया है। अतः दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में सिंचाई एवं मड़ाई हेतु अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति

169-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में सिंचाई एवं मड़ाई के लिए कितने घण्टे विद्युत आपूर्ति की जाती है ? क्या सरकार द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा आपूर्ति की कोई स्थाई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

वर्तमान में प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में 14 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

जी हां।

प्रदेश में अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति हेतु 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 4580 मेगावाट एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना के अर्न्तगत 33806 मेगावाट क्षमता की नयी विद्युत परियोजनाएं स्थापित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र पट्टी के कतिपय ग्रामों का विद्युतीकरण कार्य पूर्ण कराने की मांग

170-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र पट्टी के ग्राम पतरा, उमरपुर, अलीपुर, पीठापुर दरछुट, बरहुपुर, डडवा, धरौली, मुफरित, बरहुपुर (नवाबाग एवं वर्मा बस्ती) के विद्युतीकरण हेतु आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल के पत्रांक 2235/पू0वि0नि0-जिलांश (सामान्य)/प्रता0/ 2010-11, दिनांक 18-3-2011 द्वारा स्वीकृत धनराशि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत, प्रतापगढ़ को प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

मार्च, 2012 तक कार्य पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बिजली के तारों के टूटने से हुई दुर्घटना में पीड़ितों को आर्थिक सहायता

171-श्री मदन चौहान-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जर्जर बिजली के तारों तथा लाइनों के टूटने से दुर्घटनायें हो रही हैं ? यदि हां, तो वर्ष 2010-11 में कितने लोग इस दुर्घटना का शिकार हुए तथा पीड़ितों को सरकार द्वारा क्या सहायता दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

प्रश्नगत अवधि में 481 दुर्घटनाएं हुईं, जिसके पीड़ितों को रु0 220.10 लाख की सहायता दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के मोहल्ला ककरा में विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण एवं चालू करने की मांग

172-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के मोहल्ला ककरा में विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो उसे कब तक चालू करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

जनपद शाहजहांपुर के मोहल्ला ककरा में निर्मित 33/11 के0वी0 विद्युत सब-स्टेशन दिनांक 01-06-2008 को ऊर्जीकृत किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम पंचायत बॉड, विकास खण्ड कछौना, हरदोई में तत्कालीन ग्राम प्रधान व अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा विकास मद में दिये गये धन के दुरुपयोग की जांच

173-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 अजय तोमर, विधायक का पत्र दिनांक 8-11-2010 जो ग्राम पंचायत बॉड (बॉड-बालामऊ) विकास खण्ड कछौना, हरदोई में तत्कालीन ग्राम प्रधान व अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा 10 वर्षों में ग्राम पंचायत विकास के मद में दिये गये धन को कागजों पर दर्शाकर हड़प लिये जाने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर जांचोपरान्त अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी हां।

जांच में शिकायतों की पुष्टि नहीं हुई।

प्रश्न नहीं उठता।

174-श्री राजेश यादव-

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

जनपद शाहजहांपुर की क्षेत्र पंचायत जैतीपुर में राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत धन आवंटन एवं व्यय का विवरण

175-श्री राजेश यादव-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की क्षेत्र पंचायत जैतीपुर में वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में राज्य वित्त योजना एवं बारहवीं वित्त योजना में कितना धन आवंटन/व्यय हुआ था ? क्या यह सत्य है कि उक्त योजनाओं द्वारा कराये गये कार्यों की गुणवत्ता मानक के अनुसार नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार स्थलीय परीक्षण करवाकर इसके दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जनपद शाहजहांपुर की क्षेत्र पंचायत जैतीपुर में वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत रु0 26.754 लाख एवं 12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत रु0 9.87 लाख कुल रु0 36.624 लाख का आवंटन हुआ था, जिसके सापेक्ष राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत रु0 26.379 तथा 12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत रु0 07.67 लाख कुल रु0 33.049 लाख का व्यय हुआ था।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के विद्युत उपकेन्द्र फतेहगंज के अन्तर्गत नूर काम्पलेक्स एवं निधि चिकित्सालय, आलमनगर रोड, बुद्धेश्वर रोड के उपभोक्ताओं को पतले तार के कनेक्शन के स्थान पर बंच-एरियर तार से विद्युत आपूर्ति की मांग

176-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेस द्वितीय के विद्युत उपकेन्द्र फतेहगंज लखनऊ के अन्तर्गत नूर काम्पलेक्स एवं निधि चिकित्सालय, आलमनगर रोड, बुद्धेश्वर के पास सभी विद्युत उपभोक्ताओं को वैध विद्युत कनेक्शन विभाग द्वारा दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या विद्युत पोल से उपभोक्ताओं के आवास/प्रतिष्ठान तक विद्युत आपूर्ति विभागीय केबिल द्वारा न करके पतले तार द्वारा की जा रही है जिससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना होने का भय बराबर बना हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार दुर्घटना से बचने के लिये पतले तार के स्थान पर बंच-एरियर तार के माध्यम से विद्युत आपूर्ति करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य बीमा योजना विभाग में आरक्षित वर्ग के चिकित्सा अधिकारियों को वरिष्ठ चिकित्साधिकारी के पद पर पदोन्नति की मांग

177-श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रम मंत्रालय के अन्तर्गत राज्य बीमा योजना विभाग के श्रम चिकित्सा सेवा में वर्ष 1985 से 1990 के बीच कुल कितने आरक्षित वर्ग के चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति हुयी थी ? श्रम अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या-1658, दिनांक 21 जून, 2003 के अनुपालन में उक्त आरक्षित वर्ग के कितने चिकित्सक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर प्रोन्नत किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बादशाह सिंह-

श्रम विभाग के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवा संवर्ग में वर्ष 1985 से 1990 तक उपलब्ध अभिलेखानुसार कुल 50 आरक्षित वर्ग के चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गयी। शासनादेश संख्या-1658, दिनांक 21-06-2003 के अनुपालन में कर्मचारी राज्य बीमा योजनातर्गत कार्यरत आरक्षित वर्ग के किसी चिकित्सा अधिकारी को वरिष्ठ चिकित्साधिकारी के पद पर पदोन्नति नहीं किया गया है।

वर्तमान में प्रचलित सेवा नियमावली में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी का पद स्वीकृत नहीं है।

178-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

[1ले सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-186 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उप श्रमायुक्त, लखनऊ को सम्बोधित तथा श्रम प्रवर्तन अधिकारी सण्डीला, हरदोई को पृष्ठांकित श्री राकेश कुमार/विनय कुमार के पत्र पर कृत कार्यवाही

179-श्री लालजी यादव-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप श्रमायुक्त, लखनऊ को सम्बोधित तथा श्रम प्रर्वतन अधिकारी, सण्डीला, जनपद हरदोई को पृष्ठांकित श्री राकेश कुमार/विनय कुमार का पत्र दिनांक 08 मार्च, 2010 प्राप्त हुआ है जिसमें भवन स्वामिनी श्रीमती तपेश्वरी देवी को मृत बताकर भवन किराया स्वयं को भुगतान करने का अनुरोध किया गया है ? यदि हां, तो जीवित भवन स्वामिनी तपेश्वरी देवी को मृत बताने वाले राकेश कुमार/विनय कुमार के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बादशाह सिंह-

उप श्रमायुक्त, लखनऊ को सम्बोधित तथा श्रम प्रवर्तन अधिकारी, सण्डीला, जनपद हरदोई को पृष्ठांकित श्री राकेश कुमार/विनय कुमार का पत्र दिनांक 08 मार्च, 2010 प्राप्त हुआ है जिसमें

भवन स्वामिनी श्रीमती तपेश्वरी देवी को मृत नहीं बताया गया है अपितु श्रीमती चन्द्रावती देवी की मृत्यु दिनांक 17-12-2009 को होना बताते हुए वसीयत के आधार पर किराये के भुगतान हेतु लिखा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक खुदागंज के ग्राम गैली में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने की मांग

180-श्री राजेश यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक खुदागंज के ग्राम गैली में आंधी व तूफान से विद्युत के तार व खम्भे टूट गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्युत तार व खम्भे पुनः स्थापित कराकर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

जी हां।

दिनांक 30-09-2011 तक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक खुदागंज के ग्राम भाऊपुर मवैयाखास एवं कुरगांव के विद्युतीकरण की मांग

181-श्री राजेश यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक खुदागंज के ग्राम भाऊपुर, मवैया खास, कुरगांव का विद्युतीकरण नहीं हुआ है। यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

जी हां।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक खुदागंज के ग्राम भाऊपुर मवैयाखास एवं कुरगांव, राजस्व ग्राम के मजरे हैं। इन्हें विद्युतीकरण हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में सम्मिलित किया गया है। योजना की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होने पर विद्युतीकरण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के 33/11 के0वी0ए0 उपकेन्द्र मनकापुर में विद्युत कर्मियों हेतु बने आवासों की मरम्मत की कार्यवाही

182-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के 33/11 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र मनकापुर में विद्युत कर्मियों हेतु बने आवास जर्जर हो चुके हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार विद्युत कर्मियों हेतु नवीन आवास बनवाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी नहीं।

जी नहीं।

क्योंकि पुराने आवासों की मरम्मत का कार्य कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद लखीमपुर खीरी में वित्तीय वर्षों में पिछड़ा वर्ग अनुदान निधि से विकास खण्डवार आवंटित धनराशि एवं कराये गये कार्य

183-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में वित्तीय वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 में पिछड़ा वर्ग अनुदान निधि से किन-किन विकास खण्डों को किन-किन योजनाओं में कितना-कितना धन दिया गया है एवं उसके सापेक्ष कराये गये कार्यों का अलग-अलग विवरण क्या है ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जनपद लखीमपुर खीरी में वित्तीय वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से विकास खण्डवार, योजनावार आवंटित धनराशि एवं उसके सापेक्ष कराये गये कार्यो का विवरण विस्तृत होने के कारण सम्पूर्ण विवरण मा0 मंत्री के कार्यालय कक्ष में रख दिया गया है, जिसे मा0 सदस्य किसी भी कार्य दिवस में अपनी सुविधानुसार देख सकते हैं।

जनपद लखनऊ के डालीगंज स्थित मायानगर क्षेत्र में बन्दरों के पकड़ने की कार्यवाही की मांग

184-श्री चौ0 रविन्द्र प्रताप-

क्या वन एवं जन्तु उद्यान मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ नगर के मायानगर मोहल्ले में बन्दरों के कारण भय व्याप्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र से बन्दरों को पकड़वाने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फतेह बहादुर-

लखनऊ नगर के मायानगर मोहल्ले एवं उसके आस-पास के क्षेत्र में पूर्व में बन्दरों के उत्पात सम्बन्धी समस्या की शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा बन्दरों को भगाने/पकड़ने की कार्यवाही की गयी है।

मायानगर मोहल्ले एवं उसके आस-पास के क्षेत्र में पूर्व में बन्दरों के उत्पात सम्बन्धी समस्या होने पर दिनांक 06-01-2011 से 11-01-2011, दिनांक 02-02-2011 से 10-02-2011 तथा दिनांक 04-03-2011 से 15-03-2011 तक बन्दरों को भगाया गया तथा तीन बन्दरों को पकड़ा भी गया। माह जून, 2011 में दिनांक 15-06-2011 से 17-06-2011 तक पूरे डालीगंज क्षेत्र में, जहां पर यह मोहल्ला स्थित है, से बन्दरों को भगाने की कार्यवाही की गयी। पुनः शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 26-07-2011 तथा 27-07-2011 को वन कर्मियों को क्षेत्र में भेजा गया लेकिन कहीं भी बन्दर दिखाई नहीं दिये।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुयी)

एन0आर0एच0एम0 में हुयी धांधलियों आदि नियम-311 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग (क्रमागत)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण पुनः सदन के फ्लोर पर आकर सरकार विरोधी नारे लगाने लगे)

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, नियम-311 पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी गई नोटिस पर चर्चा करवाइये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण, आप लोग बैठ जायं। परम्पराओं का पालन करिये। जो कहना है अपने-अपने स्थान पर जाकर कहें। खन्ना साहब आप वरिष्ठ सदस्य हैं आज आपको पहली बार यहां पर इस तरह से देख रहा हूं।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यगण भी अपने-अपने स्थान पर मेजों पर चढ़कर सरकार विरोधी नारे लगाने लगे)

(नारों के मध्य श्री कृष्ण गोपाल पटेल द्वारा नोटों की माला हवा में लहराई गई)

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा, आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, यह भारतीय जनता पार्टी वाले खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। मंहगाई पर लोक सभा में बहुत जोर-शोर से आवाज देने वाले लोगों ने कांग्रेस के साथ समझौता करके एक साथ मतदान करने का काम किया है। वहां पर इनकी जो खिसियाहट है लोक सभा की उसको यहां पर निकालने का काम कर रहे हैं। कोई इश्यू है ही नहीं इनके पास। कोई बात है ही नहीं बोलने के लिये।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अपने-अपने स्थान पर बैठ जायं। परम्पराओं का पालन करिये। अपने-अपने स्थान पर जाकर खड़े होकर अपनी बात कहिये। खन्ना साहब, महाना साहब आप लोग वरिष्ठ सदस्य हैं। एक आचरण पेश करिये जिससे सभी माननीय सदस्य कुछ सीखें आप लोगों से।

(सदस्यगण सदन के फ्लोर पर खड़े होकर किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी-नहीं चलेगी के नारे लगाते रहे)

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आज लड़कियों का सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। आये दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय राधामोहन अग्रवाल साहब, आप अपने स्थान पर चलें। अपने स्थान से अपनी बात कहें। यही आवाज वहां से दीजिये ना। अपने स्थान पर जाकर कहें, मैं सुन रहा हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इनके पास कुछ है नहीं, तो कहेंगे क्या ? बोलना नहीं चाहते हैं, केवल इस तरह से हल्ला करके लोकतंत्र को कमजोर करने के लिये संसदीय परम्पराओं की अवहेलना करना चाहते

हैं। कहने के लिये कुछ है नहीं इनके पास तो कहेंगे क्या ? इसलिये मेरा आग्रह है कि मद संख्या-4 ले लें।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य श्री कृष्ण गोपाल पटेल द्वारा माला लहराते रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य इसको अपने गले में डाल लीजिये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मद संख्या-4 ले लीजिये। इन लोगों के पास कुछ कहने के लिये है नहीं।

श्री अध्यक्ष-

पटेल साहब एक दूसरे के गले में माला डाल दीजिये। खड़े क्यों हैं ? चौधरी साहब सदन को व्यवस्थित कर लीजिये।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब सदन को व्यवस्थित करा लें। पटेल जी माला जो आप लिए हैं यह मन मुताबिक किसी के गले में डाल दें।

(विपक्ष के कुछ सदस्य द्वारा कागज के गोले मा0 अध्यक्ष पीठ की ओर फेंके गये)

(विपक्ष के सदस्य सदन के फ्लोर से सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे)

श्री लालजी वर्मा-

यह सदन चलने नहीं देना चाहते हैं। मान्यवर, आप इनकी बात सुनना चाहते हैं लेकिन यह सुनाना नहीं चाहते हैं। क्योंकि इनके पास सुनाने को कुछ है ही नहीं। यह इसी तरह से हल्ला गुल्ला करना चाहते हैं। आपसे मेरा आग्रह है कि मद संख्या-4 ले लें।

(विपक्ष के सदस्य रिपोर्टर्स टेबिल पर खड़े होकर नारे लगा रहे थे)

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 05 अगस्त, 2011 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 26 सूचनायें प्राप्त हुईं। निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गईं :-

पहली सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की है इन्होंने उत्तर प्रदेश पी0सी0डी0एफ0 द्वारा संचालित पराग डेरी पर शासन के निजीकरण के कारण करोड़ों उपभोक्ताओं एवं पशु पालकों पर व्याप्त संकट के सम्बन्ध में सूचना दी है।

दूसरी सूचना चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी की रेशम विभाग में तैनात उप निदेशक द्वारा अवैध रूप से शासकीय धन का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में।

तीसरी सूचना श्री लल्लू सिंह की है इन्होंने फैजाबाद में जल निकासी हेतु कोई नाला न होने से जल भराव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना दी है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

चौथी सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की है इन्होंनें जनपद सीतापुर के अन्तर्गत तहसील महमूदाबाद में महमूदाबाद पैतेपुर, बेलहरा, पत्तेपुर, चांदपुर मार्ग तथा अन्य मार्गों के खराब होने से व्याप्त स्थिति के सम्बन्ध में सूचना दी है।

पांचवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की इन्होंने जनपद प्रतापगढ़ में वित्तीय वर्ष 2009-2010 में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी हैण्डपम्पों की अधिष्ठापन नीति न लागू किये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है।

छठी सूचना श्री सतीश महाना की है इन्होंने कानपुर महानगर में जे0एन0एन0आर0यू0एम0 योजना अन्तर्गत सीवर लाइन पड़ने के कारण खराब हुई सड़कों को शीघ्र ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है।

सातवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की है इन्होंने जनपद लखनऊ में प्राधिकरण की 243 कालोनियों में रहने वाले लोगों द्वारा हाउस टैक्स, वाटर टैक्स देने के बावजूद अवैध कालोनी घोषित किये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है।

आठवीं सूचना श्री उदयभान करवरिया जी की है इन्होंने उत्तर प्रदेश की समग्र युवा नीति निर्माण के सम्बन्ध में सूचना दी है।

(घोन व्यवधान के मध्य)

नवीं सूचना श्री कुवेर सिंह जी की है इन्होंने जनपद एटा में भीषण पेयजल का संकट देखते हुये पांच पानी की टंकियों के निर्माण का कार्य तत्काल प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है।

दसवीं सूचना श्री लालजी यादव की है यह उपस्थित नहीं हैं इसे अस्वीकार किया जाता है।

ग्यारहवीं सूचना श्री राधेश्याम जायसवाल की है यह भी उपस्थित नहीं हैं इसे भी अस्वीकार किया जाता है।

बारहवीं सूचना श्री दीप नारायण सिंह जी की है इन्होंने जनपद झांसी विधान सभा क्षेत्र गरौठा के अन्तर्गत गुरसराय नगर की मुख्य सड़क पर कार्य रोके जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना दी है।

तेरहवीं सूचना श्री अरविन्द सिंह यादव की है इन्होंने विधान सभा क्षेत्र छिबरामऊ जनपद कन्नौज अन्तर्गत छूटी सड़क का निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में दी है।

चौदहवीं सूचना डा0 पी0 के0 राय की है यह उपस्थित नहीं हैं इनकी सूचना अस्वीकार की जाती है।

पन्द्रहवीं सूचना श्री राम विशुन आजाद की है यह उपस्थित नहीं हैं इनकी सूचना अस्वीकार की जाती है।

सोलहवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की है यह उपस्थित नहीं हैं इनकी सूचना अस्वीकार की जाती है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

सत्रहवीं सूचना श्री राजेश कुमार गौतम जनपद लखीमपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड फूलबेहड़ प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत 3 वर्षों से अपूर्ण मार्गों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है।

अट्ठारहवीं सूचना श्री संजय कपूर की है इन्होंने जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में स्थित भाखड़ा नदी पर ग्राम खँड़िया पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है।

उन्नीसवीं सूचना श्री विशम्भर निषाद की है इन्होंने जनपद बांदा में तिन्दवारी, बिछवाही बगिया मार्ग भिड़ौरा गांव के परशुराम नाले पर बने रपटे को ऊंचा कराये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है।

बीसवीं सूचना श्री महेश चन्द्र गुप्ता की है इन्होंने बदायूं नगर के बाईपास के निर्माण के सम्बन्ध में सूचना दी है।

इक्कीसवीं सूचना श्री मदन चौहान की है इन्होंने हापुड़ से लेकर ब्रजघाट तक नेशनल हाई-वे से सटे सर्विस रोड के ध्वस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना दी है।

बाइसवीं सूचना डा0 अजय तोमर की है इन्होंने प्रदेश के राष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में सूचना दी है।

तेइसवीं सूचना डा0 आर0 ए0 उस्मानी की है इन्होंने जनपद लखीमपुर खीरी से तिकोनिया तक परमिट बसों को उसके आगे नैपाल बार्डर तक अवैध रूप से ले जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है।

चौबीसवीं सूचना श्री अनूप कुमार गुप्ता की है इन्होंने प्रदेश के वित्त पोषित महाविद्यालयों में चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी के पद खाली रहने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना दी है।

पच्चीसवीं सूचना डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की है इन्होंने प्रदेश के मान्टेसरी विद्यालयों द्वारा छात्रों के किये जा रहे आर्थिक एवं मानसिक शोषण के सम्बन्ध में सूचना दी है।

छब्बीसवीं सूचना श्री सुख लाल की है इन्होंने जनपद बस्ती के तहसील सदर के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का डामरीकृत एवं अर्धनिर्मित मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है।

(संलग्न स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गईं)

उत्तर प्रदेश पी0सी0डी0एफ0 द्वारा संचालित पराग डेयरी को शासन द्वारा निजीकरण करने की संभावना के कारण करोड़ों उपभोक्ताओं एवं पशुपालकों पर व्याप्त संकट के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[महोदय, उत्तर प्रदेश पी0सी0डी0एफ0 द्वारा संचालित पराग डेयरी पर शासन के निजीकरण की कुदृष्टि के कारण लाखों किसानों, हजारों कर्मचारियों और करोड़ों उपभोक्ताओं पर संकट के बादल छा गये हैं। शासन पराग डेयरियों को बन्द करके उनका निजीकरण करने की तैयारी कर रहा है जिससे अलीगढ़, बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद व फतेहपुर आदि स्थानों की जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों को बन्द करके डेयरियां बन्द कर दी गयी हैं जिसमें लगभग 16 करोड़ रुपया पशुपालकों का बकाया है और इन डेयरियों की सैकड़ों एकड़ जमीन कौड़ी के भाव निजी हाथों में देने की तैयारी की जा रही है। इसी प्रकार प्रदेश के अन्य जनपदों में भी काफी दिनों से दुग्ध सहकारी समितियों को भंग करके निजी हाथों में बेंचने की तैयारी हो रही है जिससे पशुपालकों एवं कर्मचारियों में भारी रोष है। 11 जुलाई, 2011 से लगातार पूरे प्रदेश में कर्मचारियों एवं पशुपालकों द्वारा धरना-प्रदर्शन, अनशन किया जा रहा है। 31 जुलाई पूर्ण हड़ताल है जिससे शासन की पराग डेयरी से दूध लेने वाले उपभोक्ताओं को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है और शासन की नीतियों के प्रति आक्रोश उत्पन्न हो रहा है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाकर तत्काल उत्तर प्रदेश पी0सी0डी0एफ0 का लोकतांत्रिक ढंग से गठन करने, बन्द डेयरियों को पुनः संचालित कराने, डेयरी की भूमि को औने-पौने दाम पर निजी हाथों में न देने, कर्मचारियों के उचित मांगों की तत्काल पूर्ति कराने एवं पशुपालकों के करोड़ों रुपये का भुगतान कराने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रेशम विभाग में तैनात उप निदेशक द्वारा अवैध रूप से शासकीय धन का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

[महोदय, मैं सदन के माध्यम से आपके संज्ञान में रेशम विभाग में करोड़ों रुपये के हुए घोटाले की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इस घोटाले के सम्बन्ध में प्रदेश के मुखिया व मुख्य सचिव से सदन के अनेकों मा0 सदस्यों ने शिकायतें उप निदेशक, रेशम विभाग में कार्यरत डा0 आर0एस0पी0 सिंह के विरुद्ध की गयी है जिसमें तत्कालीन मुख्य मंत्री मा0 राम नरेश यादव भी शिकायतकर्ताओं में शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि इस सदन के मा0 सदस्यों तथा पत्रकारों आदि की अनेकों शिकायतें प्राप्त होने के पश्चात् वर्ष 2007 से अब तक कोई भी कार्यवाही किसी पत्र पर नहीं की गयी जिससे उक्त भ्रष्टाचारी के हौसले बुलन्द हैं और शासन में बैठे रेशम विभाग के अधिकारी आकण्ठ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। शासकीय धन का इस विभाग से किस तरह बन्दरबांट किया जा रहा है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शासन के अनु सचिव, रेशम का भ्रष्ट अधिकारी को संरक्षण प्राप्त है। उक्त भ्रष्टाचार के मामले में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन व अन्य समकक्ष इकाई से जांच कराने पर भ्रष्टाचार का खुलासा हो पायेगा। जांच से पूर्व अनु सचिव, रेशम श्री लालू का अनुभाग से तथा डा0 आर0एस0पी0 सिंह को सुदूर जिले में स्थानान्तरित किया जाय ताकि जांच के समय जांच को प्रभावित करने के उद्देश्य से पत्रावलियां गायब न कर सकें।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त मामला अत्यन्त गम्भीर है इसमें आप अपने स्तर से प्रकरण की जांच आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन/समकक्ष इकाई से कराने के आदेश सरकार को देने का कष्ट करें।]

फैजाबाद में जल निकासी हेतु कोई नाला न होने से जल भराव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लल्लू सिंह-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से फैजाबाद नगर में जल निकासी हेतु कोई नाला न होने से उत्पन्न जल भराव की स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

फैजाबाद जनपद ही नहीं (मण्डल) कमिश्नरी भी है लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है इतने महत्वपूर्ण नगर में जल निकासी हेतु कोई नाला नहीं है और जो कच्चे नाले वर्षों पहले निर्मित भी हुए थे वे अब गिरकर पट चुके हैं और उनकी सफाई भी नहीं होती है जिसके कारण इस नगर को जल भराव की स्थिति का सामना करना पड़ता है। जल भराव के कारण आवागमन में परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ता है जल निकासी के अभाव में मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। काफी समय से फैजाबाद नगर में जल निकासी हेतु पुराने नालों की सफाई एवं नये नाले के निर्माण कराये जाने की मांग की जा रही है परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही न होने के कारण फैजाबाद नगर के निवासियों में असन्तोष एवं निराशा व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए फैजाबाद नगर की जल निकासी की समस्या के निदान हेतु नाले का निर्माण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सीतापुर के अन्तर्गत तहसील महमूदाबाद में महमूदाबाद, पैतेपुर, बेलहरा, पत्तेपुर चांदपुर मार्ग तथा अन्य मार्गों के खराब होने से व्याप्त स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान अति लोकमहत्व के विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जनपद सीतापुर के अन्तर्गत तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत महमूदाबाद, पैतेपुर, बेलहरा मार्ग व पैतेपुर चांदपुर मार्ग व बाबा कुटी खपुरा मार्ग, पर्वतपुर खुरवल मार्ग व सदरपुर बिसवां मार्ग व बाबूपुर फिरोजपुर मार्ग लेपन स्तर के हैं मरम्मत न होने के कारण इन मार्गों पर चलना मुश्किल हो गया है। ऐसी स्थिति में क्षेत्र के किसान आन्दोलन को मजबूर हो गये हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद प्रतापगढ़ में वित्तीय वर्ष 2009-2010 में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी हैण्डपम्पों की अधिष्ठापन नीति न लागू किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[महोदय, जनपद प्रतापगढ़ में वर्ष 2009-10 में ग्राम्य विकास अनुभाग-5 द्वारा जारी हैण्डपम्पों की अधिष्ठापन नीति के अनुसार जिला विकास अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा अपने पत्र सं0-1858/2बलेखा/हैण्डपम्प सूची/2009-10, दिनांक 13 अगस्त, 2009 एवं पत्रांक सं0-2417 दिनांक 03 अक्टूबर, 2009 द्वारा ब्लाक पट्टी एवं ब्लाक आसपुर देवसरा सहित ब्लाक मंगरौरा एवं बेलखरनाथ धाम में सूची के अनुरूप हैण्डपम्पों की बोरिंग कर दी गयी परन्तु जी0आई0 पाइप सहित हेड एवं अन्य सामग्री आज तक लगभग 2 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी जल निगम निर्माण शाखा प्रतापगढ़ द्वारा उपलब्ध न कराये जाने के कारण पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है।

इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2009-10 में पत्रांक 359 दिनांक 09 फरवरी, 2010 ब्लाक मंगरौरा, पत्रांक सं0-357, तद्दिनांक ब्लाक पट्टी, पत्रांक 1859 दिनांक 13 अगस्त, 2009, ब्लाक बेलखरनाथ धाम में जिला विकास अधिकारी की प्रेषित सूची के अनुरूप हैण्डपम्प का कार्य प्रारम्भ ही नहीं किया गया। लगभग 18 माह व्यतीत होने को हैं।

वित्तीय वर्ष 2010-11 में ग्रामीण क्षेत्रों में नये हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु स्थलवार असेवित बस्तियों की सूची जिला विकास अधिकारी, प्रतापगढ़ ने पत्रांक 1645 दिनांक 29 मई, 2010 ब्लाक आसपुर देवसरा, पत्रांक 2375 दिनांक 21 जुलाई, 2010 ब्लाक मंगरौरा, पत्रांक 2378 दिनांक 21 जुलाई, 2010 ब्लाक आसपुर देवसरा पत्रांक 2663 दिनांक 30 जून, 2011 ब्लाक मंगरौरा, पत्रांक 1119 दिनांक 24 मार्च, 2011 ब्लाक पट्टी, पत्रांक 2664 दिनांक 30 जून, 2011 बाबा बेलखरनाथ धाम, 2665 दिनांक 30 जून, 2011 ब्लाक आसपुर देवसरा, 2665 दिनांक 30 जून, 2011 ब्लाक पट्टी में हैण्डपम्प लगाये जाने हेतु प्रेषित सूची के अनुरूप अधिशासी अभियन्ता, जल निगम निर्माण शाखा, प्रतापगढ़ द्वारा अधिष्ठापन कार्य प्रारम्भ ही नहीं हुआ है जिसमें भी एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। जबकि लक्ष्य एवं धनराशि के स्पष्ट प्राविधान उपलब्ध होने के बाद भी अधिशासी अभियन्ता जल निगम प्रतापगढ़ एवं हैण्डपम्प के अधिष्ठापन से सम्बन्धित अधिकारी भी उदासीनता के कारण पेयजल जैसे महत्वपूर्ण कार्य जनहित में नहीं हो सका है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनहित के उक्त महत्वपूर्ण विषय के लिए उत्तरदायी अधिशासी अभियन्ता, जल निगम एवं मुख्य विकास अधिकारी श्री खजान सिंह के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने उत्तरदायित्व निर्धारित कराये जाने हेतु एवं नियमानुसार प्रेषित सूची के उपरोक्त हैण्डपम्पों के अवशेष हैड आदि सहित नये हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूं।]

कानपुर महानगर में जे0एन0एन0आर0यू0एम0 योजना अन्तर्गत सीवर लाइन पड़ने के कारण खराब हुई सड़कों को शीघ्र ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सतीश महाना-

[महोदय, कानपुर महानगर में जे0एन0एन0आर0यू0एम0 योजनान्तर्गत अधिकांशतः सड़कों पर गहरी सीवर लाइन पड़ने के कारण विगत दो वर्षों से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी उक्त सड़कों को बनाने का कार्य नहीं हुआ। इससे कानपुर के अधिकांशतः मार्गों पर चलना दूभर हो गया है। जिसके कारण कई लोग हताहत हुए हैं एवं अनेकों शारीरिक मानसिक तथा आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। सड़कें न बनने के कारण बच्चों को स्कूल जाने में कठिनाई तथा मरीजों को समय से अस्पताल पहुंचने में एवं व्यापारियों को काम का भारी नुकसान उठाने पर मजबूर होना पड़ रहा है।

सड़क निर्माण हेतु विभिन्न विभागों का आपसी सामंजस्य न होने के कारण एक दूसरे पर विभागीय अधिकारी सार्वजनिक रूप से समाचार पत्रों में भी एक दूसरे पर दोषा रोपड़ करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में कानपुर के जनमानस में अविश्वास एवं भय व्याप्त हो गया है। व्यापार बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए शीघ्र सड़कों को बनाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद लखनऊ में प्राधिकरण की 243 कालोनियों में रहने वाले लोगों द्वारा हाउस टैक्स, वाटर टैक्स देने के बावजूद अवैध कालोनी घोषित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय तात्कालिक विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

प्रदेश में 26 विकास प्राधिकरण और 5 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण हैं। निजी क्षेत्र में बसने वाली कालोनियों को विकास प्राधिकणों से ले-आउट पास करते हुए वाह्य विकास शुल्क जमा करना होता है। विकास प्राधिकणों द्वारा निर्धारित वाह्य विकास शुल्क के चलते निजी क्षेत्र में कालोनियां तो बस जाती है लेकिन उनका ले-आउट पास नहीं कराया जाता। ले-आउट पास कराये बिना बसने वाली कालोनियों को प्राधिकरण अवैध कालोनी का दर्जा दे देता है। प्रदेश में मौजूदा समय में 4000 से अधिक अवैध कालोनियां है, राजधानी लखनऊ में ही 243 ऐसी कालोनियां है। प्राधिकरणों ने इन कालोनियों को वैध कराने के लिए कई बार योजनायें शुरू की लेकिन यह कार्य आगे नहीं बढ़ सका। इस प्रकार से इन अवैध कालोनियों का विकास न होने के कारण जनमानस काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब कि इन कालोनियों में रहने वाले लोग हाउस टैक्स, वाटर टैक्स देते हैं और वे मतदाता भी है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अवैध कालोनियों को वैध कराने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

उत्तर प्रदेश की समग्र युवा नीति निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उदयभान करवरिया-

[महोदय, उत्तर प्रदेश की एक तिहाई आबादी यानि 6 करोड़ युवा 15 से 24 साल के है। इतनी बड़ी आबादी होते हुये भी युवा वर्ग उ0 प्र की युवा नीति न होने की वजह से अपने को उपेक्षित महसूस कर रहा है। प्रदेश के विकास की बात बिना युवाओं के विकास के अधूरी है लेकिन उ0 प्र0 में नीति स्तर पर देखा जाये तो आज तक युवा नीति नहीं बनी है, जबकि देश के कई अन्य राज्यों जैसे-राजस्थान, झारखण्ड, हिमांचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अपनी युवा नीति है। जबकि 2003 में राष्ट्रीय युवा नीति निर्माण के बाद हर राज्य को युवा नीति बनानी थी। उ0 प्र0 के युवाओं के लिये जरूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवहार, रोजगार के अवसर, समानता और उनके सभी अधिकारों की सुरक्षा, लेकिन प्रदेश में युवा नीति न होने के कारण युवाओं के अधिकारों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 28.2 प्रतिशत महिलायें व 48.9 प्रतिशत पुरूष युवा शिक्षा ले रहे हैं जबकि शहरी क्षेत्रों में 42.6 प्रतिशत महिलायें व 47.7 प्रतिशत पुरूष युवा शिक्षा ले रहे हैं। आज के दिन उ0 प्र0 में काम कर रहे लोगों में से 95.8 प्रतिशत लोग असंगठित कार्यकर्ता/मजदूर हैं। इस क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिये विशेष सरकारी प्रावधान नहीं है। किये गये अध्ययन के अनुसार इस क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को निर्धारित मजदूरी भी नहीं मिल पाती है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर उत्तर प्रदेश में युवाओं के स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, शारीरिक एवं नेतृत्व विकास के लिये युवा नीति बनाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद एटा में भीषण पेयजल का संकट देखते हुए पांच पानी की टंकियों के निर्माण का कार्य तत्काल प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कुवेर सिंह-

[महोदय, मेरे द्वारा अपने विधान सभा क्षेत्र जलेसर जनपद एटा में भीषण पेयजल संकट को देखते हुए पांच पानी की टंकियां ग्राम-हिनौना, सोनामई, मोहनपुर, सकरौली, सकरौली महापुर में बनाये जाने हेतु प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। किन्तु अभी तक टंकी निर्माण प्रारम्भ नहीं हो सका है। इस भीषण गर्मी के मौसम में ग्रामीण जनता में पेयजल संकट व्याप्त है। ऐसी परिस्थिति में टंकी निर्माण तत्काल प्रारम्भ कराया जनहित में आवश्यक है।

अतः मेरे विधान सभा क्षेत्र जलेसर में खारे पानी की समस्या को देखते हुए जनजीवन से जुड़े हुए इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उपरोक्त टंकियों के निर्माण हेतु प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन को निर्देशित करने की मांग करता हूं।]

जनपद झांसी विधान सभा क्षेत्र गरौठा के अन्तर्गत गुरसराय नगर की मुख्य सड़क पर कार्य रोके जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दीपनारायण सिंह दीपक यादव-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, जनपद झांसी विधान सभा क्षेत्र गरौठा अन्तर्गत गुरुसराय नगर की मुख्य सड़क चुंगी से

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

खेर इण्टर कालेज की सड़क को बनाये जाने हेतु 2.58 करोड़ का स्वीकृत है और उसमें मात्र 50 लाख रुपये भेजे गये हैं जिस पर ठेकेदारों द्वारा कार्य रोक दिया गया है। यह मार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है, तत्काल आगणन के हिसाब से सड़क का स्वीकृत आगणन धनराशि उपलब्ध कराया जाय, रुके हुए कार्य तत्काल शुरू कराया जाये। यह मार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है। इस पर आवागमन काफी रहता है, सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे हैं, आम जनता को आने-जाने में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। यह महत्वपूर्ण कार्य है। बार-बार अधिकारियों को अवगत कराये जाने के बाद भी आगणन के अनुसार धन स्वीकृत नहीं किया गया और मजबूर होकर ठेकेदारों द्वारा कार्य रोक दिया गया जिससे जनमानस में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है।

अतः इस गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने की मांग करता हूं। स्वीकृत आगणन धनराशि अवमुक्त किये जाने की भी मांग करता हूं।]

विधान सभा क्षेत्र छिबरामऊ, जनपद कन्नौज अन्तर्गत छूटी सड़क का निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अरविन्द सिंह यादव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र छिबरामऊ में जी0 टी0 रोड सिकन्दरपुर से कसावर का शेष भाग छोड़ दिया गया है यह सड़क जर्जर स्थिति में है। जनहित में इसके अधूरे कार्य पूर्ण कराये जाने की आवश्यकता है। स्थानीय अधिकारियों द्वारा अनुरोध करने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। आने-जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह मार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है, तत्काल ठीक कराये जाने की आवश्यकता है तथा यह जनहित एवं लोक महत्व का विषय है तथा जनमानस से जुड़ा है। यह प्रकरण पूर्व में भी शासन के संज्ञान में लाया जा सका है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के गम्भीर विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद लखीमपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड फूलबेहड़ प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत 3 वर्षों से अपूर्ण मार्गों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश कुमार गौतम-

[महोदय, कृपया अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत 1-लखीमपुर भीरा मार्ग से बसेगापुर चौराहे से बड़ौला होते हुए तेन्दुआ तक। 2-लखीमपुर भीरा मार्ग से ग्राम दाउदपुर चौराहे से मुड़िया मिश्र होते हुए अलीगंज मार्ग तक। यह दो मार्ग दो वर्षों से बनी हुए अच्छी रोड को खोद कर डाल दिया गया है जगह-जगह पर पत्थर डाल दिया गया है और उसकी कुटाई भी नहीं की गयी है जिससे वाहनों के निकलने से पत्थर उछल कर कई लोगों को क्षति पहुंची है। क्षेत्रीय लोगों का आवागमन बाधित हो गया है। जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यन्त आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनपद लखीमपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड फूलबेहड़ प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत तीन वर्षों से अपूर्ण मार्गों को पूर्ण कराये जाने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में स्थित भाखड़ा नदी पर ग्राम खंडिया पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय कपूर-

[मैं सरकार का ध्यान जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में स्थित भाखड़ा नदी पर ग्राम खंडिया पर पुल निर्माण की ओर कराना चाहता हूं इस पुल के निर्माण की मांग काफी लम्बे समय से चली आ रही है तथा इस पुल के न बनने से लगभग 60-70 ग्रामों का बरसात के समय रास्ता बन्द हो जाता है। इस पुल के निर्माण का आगणन सभी औपचारिकता पूर्ण होने के बाद शासन में लम्बित है इस पुल के निर्माण न होने से जनता में रोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय व लोक महत्व के प्रश्न पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उत्तर दिलाने की कृपा करें।]

जनपद बांदा में तिन्दवारी, बिछवाही बगिया मार्ग भिडौरा गांव के परशुराम नाले पर बने रपटे को ऊंचा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान लोक महत्व के विषय की तरफ दिलाना चाहता हूं जनपद बांदा में तेन्दुवारी बिछवाही बगिया मार्ग भिडौरा गांव पर परशुराम नाले पर बने रपटे के नीचे बने होने के कारण दोनों तरफ कटान हो गया है। यातायात अवरुद्ध हो गया है तथा अमारा गौरीकला के बीच चन्द्रावल नदी पर बने रपटे को ऊंचा कराना आवश्यक है। जहां से प्रतिदिन हजारों यात्री निकलते हैं आये दिन दुर्घटना होती रहती है इसलिए सर्वे कराकर उक्त दोनों रपटों को ऊंचा कराया जाना आवश्यक है। जिससे जन जीवन को बचाया जा सके क्योंकि घटनायें प्रतिदिन हो रही हैं।

अतः लोक महत्व के उपरोक्त विषय पर मा0 लोक निर्माण मंत्री जी से कार्यवाही कराने के निर्देश देने की कृपा करें।]

बदायूं नगर के बाईपास के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेश चन्द्र गुप्ता-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद बदायूं नगर के बाईपास के निर्माण के सम्बन्ध में आकर्षित कराना चाहता हूं।

विगत वर्षों में बदायूं नगर के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए बदायूं योजना का ब्लूप्रिन्ट तैयार किया गया था, परन्तु अत्यन्त खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि इस पर कोई कार्य आज तक मूर्तिरूप न ले सका। बल्कि नगर के वर्तमान मार्ग के दोनों ओर आबादी का घनत्व अत्यधिक बढ़ गया है। आये दिन शहर में अनेक दुर्घटनायें होती रहती हैं। शहर को पूरे दिन में कई बार जाम का सामना करना पड़ता है। शहर के इसी मार्ग से आगरा, मेरठ व बरेली छावनी होने के कारण सेना के जवानों की गाड़ियां भी बदायूं होकर गुजरती है। सेना की जरूरत के समय जाम की समस्या बड़ी मुसीबत बन सकती है। जनहित में बदायूं में बाई पास का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए बदायूं महायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित बाई पास के निर्माण की स्वीकृत प्रदान करके इसके निर्माण हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हापुड़ से लेकर ब्रजघाट तक नेशनल हाइवे से सटे सर्विस रोड को ध्वस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन चौहान-

[महोदय,

मेरी विधान सभा गढ़मुक्तेश्वर के अन्तर्गत हापुड़ से लेकर ब्रजघाट तक नेशनल हाइवे पर पुलों का निर्माण हुआ है। हाइवे बनने के साथ पुलों से सटी आबादी के साथ जो सर्विस रोड है वह ध्वस्त हो गई है जिससे ग्राम उपैडा, कुचेसर, चौपला सिम्भावली, ग्राम सिकैडा, ग्राम बक्सर तथा अटसैनी ग्राम व स्याना चौराहों पर आवागमन की भारी समस्या हो गई है। अतः इन सर्विस मार्गों का निर्माण जनहित में अत्यन्त आवश्यक है। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।]

प्रदेश के राष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अजय तोमर-

[राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता स्कूल खिलाड़ियों को सरकार द्वारा पुरस्कार देने में भेदभाव के सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूं कि प्रदेश के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर सीनियर, जूनियर, सब जूनियर, स्तर पर गोल्ड, सिल्वर व कांस्य मैडल प्राप्त खिलाड़ियों को राज्य खेल मंत्रालय नगद इनाम देता है, लेकिन उसमें राज्य सरकार स्कूल गेम्स में राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने पर खिलाड़ियों को कुछ नहीं दिया जाता है जबकि वही खिलाड़ी सहायत शासित संस्था फैडरेशनों से खेलने पर नगद इनाम प्राप्त करते हैं राज्य सरकार फैडरेशन से खेलने वाले खिलाड़ियों को ही नगद पुरस्कार देते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि खिलाड़ी स्कूलों से ही निकलते हैं। फैडरेशनों के पास कहीं भी जनपद व राज्य स्तर पर मैदान तक उपलब्ध नहीं हैं। अतः सरकार के पहल के आधार पर स्कूल गेम्स, विश्वविद्यालय खेल के खिलाड़ियों को भी राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने पर नगद पुरस्कार देने की घोषणा करनी चाहिये। साथ ही स्कूल व महाविद्यालयों में खेल शिक्षक की योग्यता में राष्ट्रीय स्तर का खेल प्रमाण-पत्र अनिवार्य किया जाना चाहिये जिससे राज्य में अच्छे खिलाड़ियों की उत्पत्ति हो सके तथा राज्य की सरकारी, अर्द्धसरकारी नौकरियों में खेल कोटा अनिवार्य किया जाना चाहिये।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त पर यथोचित कार्यवाही कराने की मांग करता हूं।]

जनपद लखीमपुर खीरी से तिकोनिया तक परमिट बसों को उसके आगे नेपाल बार्डर तक अवैध रूप से ले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 आर0ए0 उस्मानी-

[महोदय,

मैं सरकार का आपसे ध्यान आपके माध्यम से जनपद लखीमपुर खीरी में तिकोनिया तक चल रही बसों की ओर दिलाना चाहता हूं। इन बसों का उ0प्र0 सरकार के परिवहन विभाग द्वारा लखीमपुर से तिकोनियां तक बस चलाने का परमिट दिया गया है किन्तु बस वाले लालच बश बसों को तिकोनिया

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

से आगे कौड़ियाला घाट एवं नेपाल बार्डर तक ले जाते हैं जिससे बसें उपरोक्त मार्ग पर अवैध तरीके से चलाई जाती हैं यदि तिकोनियां से नेपाल बार्डर के बीच में कोई दुर्घटना हो जाये तो उसके जिम्मेदार कौन होगा, बसों के अवैध संचालन से जनता में भारी आक्रोश/जनाक्रोश व्याप्त है। बसों का तिकोनियां से आगे का अवैध संचालन रोका जाय एवं दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाये ताकि भविष्य में अवैध संचालन न हो जनहित में है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय को सदन के संज्ञान में लाकर बसों का अवैध संचालन रोकने एवं उक्त प्रकरण पर सरकार का ध्यान आकर्षित किये जाने की मांग करता हूं।]

प्रदेश के वित्त पोषित महाविद्यालयों में चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी के पद खाली रहने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनूप कुमार गुप्ता-

[मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, प्रदेश के वित्त पोषित महाविद्यालयों में चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी के अधिसंख्य पद काफी दिनों से खाली पड़े हैं। आर0एम0पी0 महाविद्यालय सीतापुर में नियुक्ति से सम्बन्धित पत्रावली लखनऊ के क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के यहां अनुज्ञा हेतु काफी दिनों से लम्बित पड़ी है जिसका निस्तारण जानबूझकर नहीं किया जा रहा है। यहां कहा जाता है कि शासन स्तर से इस पर रोक लगी है। शासन के अधिकारियों को बार-बार लिखने के बावजूद भी अभी तक कोई रोक नहीं हटी है। विद्यालय का कार्य प्रभावित हो रहा है। यह समस्या पूरे प्रदेश की है। प्रकरण बहुत ही गम्भीर है तत्काल रोक हटाये जाने की आवश्यकता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए शीघ्र नियुक्तियों पर लगी रोक हटाये जाने की मांग करता हूं।]

प्रदेश के मान्टेसरी विद्यालयों द्वारा छात्रों के किये जा रहे आर्थिक एवं मानसिक शोषण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

[महोदय,

पूरे प्रदेश तथा विशेषरूप से गोरखपुर में इंग्लिस मीडियम स्कूलों में फीस हर साल सुरसा की तरह मुह फैलाती चली आ रही है। न तो प्रशासन और न ही शिक्षा विभाग इस पर कोई नियंत्रण कर पा रहा है। एल0के0जी0 तथा यू0के0जी0 के बच्चों से हजारों रुपये की फीस वसूल की जाती है फीस के अतिरिक्त किताब-कापी, बस, टैम्पो, रिक्शा का पैसा अलग है। बहुत से विद्यालय तो विल्डिंग फण्ड में धन उगाही कर लेते हैं। छात्रों को इन फीसों की रसीदें भी नहीं दी जाती हैं।

अपवाद को छोड़ दिया जाये तो बहुतेरे विद्यालयों में बच्चों को खेलने, स्वच्छता, शौचालय, पीने के पानी तक की पूरी व्यवस्था नहीं होती है। प्रशासन के नाक के नीचे, बहुत खतरनाक तरीके से बच्चों को रिक्शों तथा टैम्पों पर लादकर स्कूल जाते देखा जा सकता है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शिक्षा के अधिकार के दौर से गुजर रही शैक्षणिक व्यवस्था में नौनिहालों का यह मानसिक एवं आर्थिक शोषण समझ से परे है। विद्यालय अपने शिक्षिकाओं/शिक्षकों को इतना कम वेतन देते हैं कि एक सीमा के बाद उनके समर्पण की उम्मीद किया जाना भी बेमानी होगा।

यह शासन की जिम्मेदारी है कि वह इन मान्टेसरी/इंग्लिश विद्यालयों की फीस, सुविधाओं, शिक्षकों की योग्यता एवं वेतन, खेल की सुविधाओं तथा बच्चों की सुरक्षा के मानक सुनिश्चित करे, सभी विद्यालयों का मूल्यांकन करे तथा उन्हें शासकीय निर्देशों के अनुरूप सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये बाध्य करें।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय पर नियम-301 के तहत सरकार को जवाब देने हेतु निर्देशित करें।]

जनपद बस्ती के तहसील सदर के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का डामरीकृत एवं अर्द्धनिर्मित मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुखलाल-

[महोदय, निवेदन है कि जनपद बस्ती में तहसील सदर के अन्तर्गत सांउघाट ब्लाक में स्थित ग्राम छपिया मन्झरिया से बस्ती-गोरखपुर मुख्य मार्ग से जोड़ने वाला मार्ग (लगभग 02 कि0मी0 लम्बा) अभी तक तक अर्द्धनिर्मित है। जिससे क्षेत्र के नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है मुख्यतया वर्षा के मौसम में यह मार्ग जर्जर अवस्था में आ जाता है।

मान्यवर, इस मार्ग के निर्माण के लिये शासन स्तर पर काफी प्रयास किया गया। परन्तु आज तक उक्त मार्ग अर्द्धनिर्मित पड़ा है।

अतः मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि उक्त मार्ग का लेपन स्तर तक पुनर्निर्माण करवाने की कृपा करें जिससे क्षेत्रवासियों को आवागमन में सुविधा हो सके।

अतः मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं।]

(इसी मध्य समाजवादी पार्टी के सदस्यगण श्री उदयराज, श्री मदन चौहान तथा श्री कृष्ण गोपाल पटेल आदि सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया।)

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 05 अगस्त, 2011 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 03 सूचनायें प्राप्त हुई। पहली सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की है। सुरेश कुमार जी आप प्रस्तुत कर रहे हैं ?

(श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा अपनी सूचना प्रस्तुत न किये जाने पर)

सुरेश कुमार जी सूचना प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं अतः इनकी सूचना अस्वीकार की जाती है। दूसरी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की है। खन्ना जी सूचना प्रस्तुत कर रहे हैं। (श्री सुरेश कुमार खन्ना जी द्वारा सूचना प्रस्तुत न किये जाने पर) खन्ना जी सूचना प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं इसलिये

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इनकी सूचना अस्वीकार की जाती है। तीसरी सूचना डा0 आर0ए0 उस्मानी की है। उस्मानी जी आप अपनी सूचना प्रस्तुत कर रहे हैं ? (डा0 आर0ए0 उस्मानी द्वारा सूचना प्रस्तुत न किये जाने पर) डा0 आर0ए0 उस्मानी जी सूचना प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं इसलिये इनकी सूचना अस्वीकार की जाती है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2011†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2011 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ के वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 के लेखा परिशिष्ट †

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ के वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 के लेखा परिशिष्ट को उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 की धारा-30 की उपधारा (5) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

(वेल में आये हुए तथा अपनी मेजों पर खड़े विपक्ष के सदस्य नारे लगा रहे थे तथा समाजवादी पार्टी के 2-3 सदस्य नोटों की माला लहरा रहे थे) (घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मुक्त उपगम हेतु निबन्धन व शर्तें) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2009 †

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा बनाई गई ''उत्तर प्रदेश नियामक आयोग (मुक्त उपगम हेतु निबन्धन व शर्तें) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2009 को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-182 के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-331/84-1-2011-23 बामा0-2011, दिनांक 01 अप्रैल, 2011†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-331/84-1-2011-23 बामा0-2010, दिनांक 01 अप्रैल, 2011 को भारत सरकार के विधिक

---

† छापी नहीं गयी।

† छापी नहीं गयी।

माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-1, सन् 2010) की धारा-53 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के वर्ष 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन††

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम, 1984 की धारा-8 (3) में दी गई व्यवस्थानुसार स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के वर्ष 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदनों को विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का राज्य सरकार के वित्त पर प्रतिवेदन (संख्या-1) 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिये उत्तर प्रदेश सरकार†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का राज्य सरकार के वित्त पर प्रतिवेदन (संख्या-1) 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151 (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिये राज्य आबकारी विभाग की निष्पादन लेखा परीक्षक संख्या-5 (राजस्व प्राप्तियां) उत्तर प्रदेश सरकार†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिये राज्य आबकारी विभाग की निष्पादन लेखा परीक्षक संख्या-5 (राजस्व प्राप्तियां) उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संख्या-4 वाणिज्यिक 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिये उत्तर प्रदेश सरकार †

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संख्या-4 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†† छापे नहीं गये।

† छापी नहीं गयी।

वन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-312/14-2-2011-343(एल)-2001, दिनांक 04 जून, 2011 [††]

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-312/14-2-2010-343(एल)-2001, दिनांक 04 जून, 2011 को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-78(2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के 2008-09 वार्षिक प्रतिवेदन [†]

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वार्षिक प्रतिवेदन, 2008-09 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-391/ग्यारह-9(386) 94-ऐक्ट-74-56-नियम-1957-2011-आदेश-(67), दिनांक 31 मार्च, 2011 †

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-391/ग्यारह-9(386)-94-ऐक्ट-74-56-नियम-1957-2011-आदेश-(67), दिनांक 31 मार्च, 2011 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23-क के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-389/ग्यारह-9(295) 7-उ0प्र0 अधि0-5-2008-वैट नियमावली-8-आदेश-(66) 2011, दिनांक 31 मार्च, 2011 †

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-389/ग्यारह-9(295)-7-उ0प्र0अधि0-5-2008-वैट नियमावली-08आदेश-(66)-2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23-क के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-421/ग्यारह-9(1)-08 उ0प्र0 अधि0-5-2008-आदेश-(71) 2011, दिनांक 31 मार्च, 2011 †

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-421/ग्यारह-9(1)-08- उ0प्र0 अधि0-5-2008-आदेश-(71)-2011, दिनांक

[††] छापे नहीं गये।

[†] छापी नहीं गयी।

31 मार्च, 2011 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-4 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-422/ग्यारह-9(1)-08 उ0प्र0 अधि0-30-7-आदेश-(72) 2011, दिनांक 31 मार्च, 2011 †

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-422/ग्यारह-9(1)-08- उ0प्र0 अधि0-30-7-आदेश-(72)-2011, दिनांक 31 मार्च, 2011 को उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 की धारा-4 की उपधारा (10) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

दिनांक 4 फरवरी, 2011 को विधान मण्डल के समक्ष श्री राज्यपाल द्वारा दिये गये अभिभाषण के प्रति स्वीकृत धन्यवाद प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल का आभार-पत्र

श्री अध्यक्ष-

दिनांक 04 फरवरी, 2011 को राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण के प्रति धन्यवाद प्रकट करते हुए, उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय के उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-19(8) के अन्तर्गत पढ़कर सुना रहा हूं।

''प्रिय श्री राजभर जी,

दिनांक 04 फरवरी, 2011 को राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिये गये अभिभाषण के सम्बन्ध में धन्यवाद प्रस्ताव विषयक आपके अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या : 843/अ0वि0स0/2011, दिनांक 07 मार्च, 2011 के लिये मैं अत्यन्त आभारी हूं।

इसके लिये मैं आपको तथा आपके माध्यम से विधान सभा के समस्त माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

सादर।''

उत्तर प्रदेश जनहित गारन्टी विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :--

उत्तर प्रदेश जनहित गारन्टी विधेयक, 2011 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2011 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 21 फरवरी, 2011 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :--

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2011 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 21 फरवरी, 2011 को वापस प्राप्त हो गया।

---

† छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :--

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2011 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 फरवरी, 2011 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :--

उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2011 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2011 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 फरवरी, 2011 को वापस प्राप्त हो गया।

(नारेबाजी व शोरशराबे के कारण घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :--

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2011 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2011 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 फरवरी, 2011 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :--

उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2011 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2011 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 फरवरी, 2011 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :--

उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन बोर्ड विधेयक, 2011 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2011 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 फरवरी, 2011 को वापस प्राप्त हो गया।

शिवनादर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :--

उत्तर प्रदेश शिवनादर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2011 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 21 फरवरी, 2011 को वापस प्राप्त हो गया।

एक्सिस युनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :--

एक्सिस युनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2011 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 फरवरी, 2011 को वापस प्राप्त हो गया।

गलगोटियाज विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :--

गलगोटियाज विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2011 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 21 फरवरी, 2011 को वापस प्राप्त हो गया।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि-

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2011 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 फरवरी, 2011 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2011 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 फरवरी, 2011 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था प्राधिकरण विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था प्राधिकरण विधेयक, 2011 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2011 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 फरवरी, 2011 को वापस प्राप्त हो गया।

(घोर व्यवधान)

उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2011 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 14 फरवरी, 2011 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 17 फरवरी, 2011 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 03 मार्च, 2011 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2011 का उत्तर प्रदेश का पहला अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2011 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 14 फरवरी, 2011 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 17 फरवरी, 2011 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 03 मार्च, 2011 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2011 का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश जनहित गारन्टी विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश जनहित गारन्टी विधेयक, 2011 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 17 फरवरी, 2011 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 21 फरवरी, 2011 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 03 मार्च, 2011 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2011 का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2011 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 21 फरवरी, 2011 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 23 फरवरी, 2011 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 03 मार्च, 2011 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2011 का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2011 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 14 फरवरी, 2011 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 17 फरवरी, 2011 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 03 मार्च, 2011 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2011 का उत्तर प्रदेश का पांचवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 17 फरवरी, 2011 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 21 फरवरी, 2011 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 03 मार्च, 2011 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2011 का उत्तर प्रदेश का छठा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 21 फरवरी, 2011 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 फरवरी, 2011 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 08 मार्च, 2011 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2011 का उत्तर प्रदेश का सातवां अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2011 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 21 फरवरी, 2011 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 फरवरी, 2011 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 09 मार्च, 2011 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2011 का उत्तर प्रदेश का आठवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2011 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 21 फरवरी, 2011 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 फरवरी, 2011 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 09 मार्च, 2011 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2011 का उत्तर प्रदेश का नौवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2011 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 21 फरवरी, 2011 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 फरवरी, 2011 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 10 मार्च, 2011 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2011 का उत्तर प्रदेश का दसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड विधेयक, 2011 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 21 फरवरी, 2011 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 फरवरी, 2011 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 16 मार्च, 2011 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2011 का उत्तर प्रदेश का ग्यारहवां अधिनियम बन गया।

शिवनादर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

शिवनादर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 17 फरवरी, 2011 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 21 फरवरी, 2011 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 04 अप्रैल, 2011 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2011 का उत्तर प्रदेश का बारहवां अधिनियम बन गया।

एक्सिस यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

एक्सिस यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 21 फरवरी, 2011 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 फरवरी, 2011 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 04 अप्रैल, 2011 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2011 का उत्तर प्रदेश का तेरहवां अधिनियम बन गया।

गलगोटियाज विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

गलगोटियाज विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 17 फरवरी, 2011 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 21 फरवरी, 2011 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 04 अप्रैल, 2011 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2011 का उत्तर प्रदेश का चौदहवां अधिनियम बन गया।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 21 फरवरी, 2011 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 फरवरी, 2011 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 03 मई, 2011 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2011 का उत्तर प्रदेश का पन्द्रहवां अधिनियम बन गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-21 तथा 22 में कुछ नहीं है।

(सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 04 अगस्त, 2011 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 05 अगस्त, 2011 से 12 अगस्त, 2011 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 05 अगस्त, 2011 को असरकारी दिवस पूरा दिन हो (आधा दिन दिनांक 05 अगस्त, 2011 का एवं आधा दिन दिनांक 12 अगस्त, 2011 के स्थान पर)।

2-दिनांक 08 अगस्त, 2011 को निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनाएं ली जायं।

3-दिनांक 12 अगस्त, 2011 को असरकारी दिवस न हो। (आधा दिन)

4-दिनांक 05 अगस्त, 2011 से दिनांक 12 अगस्त, 2011 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

<u>अगस्त, 2011</u>

05 शुक्रवार — 1-औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हो।

2-असरकारी दिवस (पूरा दिन) (आधा दिन + आधा दिन दिनांक 12 अगस्त, 2011 के स्थान पर)।

06 शनिवार, 07 रविवार — बैठक नहीं होगी।

08 सोमवार — 1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनाएं।

2-विधायी कार्य।

3-श्री विनोद चतुर्वेदी तथा श्री विवेक कुमार सिंह, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 5 नवम्बर, 2007 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा :-

''यह सदन केन्द्र सरकार से यह सिफारिश करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के बुन्देलखण्ड क्षेत्र (जनपद-झांसी, ललितपुर, बांदा, जालौन, हमीरपुर, महोबा एवं चित्रकूट) को उत्तर प्रदेश राज्य से अलग करके एक पृथक राज्य का गठन किया जाय।''

4-चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 6 नवम्बर, 2007 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा :-

''इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक सामान्य नीति बनायी जाय तथा उसे बिना किसी भेद-भाव के प्रदेश के सभी नागरिकों पर सामान्य रूप से कड़ाई से लागू किया जाय।''

5-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 11 मार्च, 2008 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा :-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के जिलों बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बहराइच, गोण्डा, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, बस्ती, संतकबीरनगर, गोरखपुर, महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चन्दौली, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा संतरविदासनगर को सम्मिलित करते हुये पूर्वांचल प्रदेश का गठन किया जाय।''

6-चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 11 मार्च, 2008 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा :-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के समस्त राज्य मार्गों को प्रदूषण मुक्त रखने तथा पर्यावरण को संतुलित रखने हेतु बरगद, नीम, शीशम, पीपल आदि वृक्षों को राज्य मार्गों के दोनों ओर वृक्षारोपण किया जाय।''

7-डा0 अनिल चौधरी, डा0 अजय तोमर तथा चौधरी सत्यपाल सिंह, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 21 अगस्त, 2008 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा :-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में निरन्तर घटते भू-गर्भ जल-स्तर को दृष्टिगत रखते हुये पेयजल एवं सिंचाई के लिये भू-गर्भ जल संरक्षण की एक कार्य योजना बनाई जाय।''

09 मंगलवार 1-12.20 बजे अपराह्न

वित्तीय वर्ष 2011-2012 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतिकरण।

2-विधायी कार्य।

3-श्री जोखू लाल यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 19 फरवरी, 2009 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्तावों पर अग्रतर चर्चा (आधा-आधा घण्टा) :-

(1) ''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर प्रभावी नियंत्रण लगाने हेतु रोजगार परक शिक्षा एवं कुटीर उद्योगों को प्राथमिकता दी जाय।''

(2) ''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में बढ़ते हुये भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रभावी नीति बनायी जाय।''

(3) ''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के किसानों को उनकी फसलों के लाभकारी मूल्य दिलाये जाने हेतु सरकार द्वारा कार्य-योजना बनायी जाय।''

4-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित तथा दिनांक 16 फरवरी, 2010 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा :-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि उत्तर प्रदेश से मांस के निर्यात को प्रतिबंधित करने हेतु पशुवध पर तत्काल रोक लगाई जाय।''

10 बुधवार 1-वित्तीय वर्ष 2011-2012 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

2-विधायी कार्य।

11 गुरुवार } विधायी कार्य।
12 शुक्रवार }

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा सरकार विरोधी नारेबाजी से उत्पन्न घोर व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन में प्रस्तुत किया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

डा0 आर0 ए0 उस्मानी की दिनांक 21 फरवरी, 2011 को सदन की कार्य-सूची में सूचीबद्ध याचिकाओं पर श्री अध्यक्ष द्वारा दी गयी सूचना

श्री अध्यक्ष-

मा0 डा0 आर0 ए0 उस्मानी, सदस्य, विधान सभा, जनपद लखीमपुर खीरी की 6 याचिकाएं दिनांक 21 फरवरी, 2011 की सदन की कार्य-सूची में मद संख्या-13 पर सूचीबद्ध थी, जिन्हें डा0 आर0 ए0 उस्मानी द्वारा उपस्थापित नहीं किया गया था और तत्सम्बन्धी मदें स्थगित कर दी गयी थीं।

उक्त 6 याचिकाओं में से 5 याचिकाओं के विषयों पर 5 अभ्यावेदन विधान सभा में प्राप्त हुए जिन पर शासन द्वारा अग्रेतर कार्यवाही प्रचलन में है। अतः तद्विषयक उक्त 5 याचिकायें निष्प्रभावी हो गयी हैं जिन पर अब अग्रतर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रह गयी है।

(सदन में विपक्षी सदस्यों द्वारा लगातार नारे लगाये जाने पर शोर)

सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ की प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने हेतु विधान सभा की दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ की प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने हेतु उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा-10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के 02 सदस्य का निर्वाचन करें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ की प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने हेतु उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा-10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के 02 सदस्य का निर्वाचन करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद की प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने हेतु विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद की प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने हेतु उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा-10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के 02 सदस्य का निर्वाचन करें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद की प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने हेतु उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा-10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के 02 सदस्य का निर्वाचन करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

मान्यवर, श्री कांशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा की प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने हेतु विधान सभा के 02 सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, मान्यवर, श्री कांशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा की

प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने हेतु उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा-10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के 02 सदस्य का निर्वाचन करें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, मान्यवर, श्री कांशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा की प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने हेतु उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा-10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के 02 सदस्य का निर्वाचन करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान)

उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2011†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करता हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करता हूं।

---

† दिनांक 08-08-2011 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

† दिनांक 09-08-2011 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011††

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करता हूं।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2011†††

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करता हूं।

नियम-56 के अन्तर्गत नियम-311 की परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 05 अगस्त, 2011 को नियम-311 की 9 सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 27 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयी हैं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है :-

पहली सूचना (नियम-311 में प्राप्त) (1) श्री अम्बिका चौधरी, डा0 वकार अहमद शाह, श्री उदयराज यादव, श्री आजम खां, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा, श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, डा0 पी0के0 राय, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री रियाज अहमद, श्री जावेद अंसारी,

---

†† दिनांक 10-8-2011 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

††† दिनांक 11-8-2011 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री राम विशुन आजाद, श्री आरिफ अनवर हाशिमी, श्री शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जोखू लाल यादव, डा0 आर0 ए0 उस्मानी,

(2) श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री हुकुम सिंह, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री सतीश महाना, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री उदयभान करवरिया, श्री विद्या सागर गुप्ता, श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री सलिल विश्नोई, श्री श्यामलाल, श्री सुरेश्वर सिंह, श्रीमती कृष्णाराज, (3) (नियम-311 में प्राप्त) श्री प्रमोद तिवारी, श्री प्रदीप माथुर, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री शिवबालक पासी, श्री रामसेवक, श्री संजीव दरियाबादी, श्री अजयपाल सिंह, श्री विवेक कुमार सिंह, श्री ईश्वरचन्द्र शुक्ला, श्री विनोद चतुर्वेदी, श्री संजय कपूर, श्री श्याम किशोर शुक्ला, श्री चौधरी रवीन्द्र प्रताप, श्री शिव गणेश लोधी, श्री माधो पासवान, श्री राजाराम त्यागी, श्री अशोक सिंह, श्री अजय कपूर, श्रीमती अमीता सिंह की राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना में हजारों करोड़ रुपये के घोटाले के सम्बन्ध में है, नियम-311 की इस सूचना को मैंने नियम-56 में परिवर्तित कर दिया है, इस सूचना को मैं दिनांक 08-08-2011 को फिर से सुनने का निर्णय लेता हूं, इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को दोबारा अलग से सूचना देने की आवश्यकता नहीं है।

दूसरी सूचना (नियम-311 में प्राप्त) (1) श्री कौकब हमीद, डा0 अनिल चौधरी, डा0 अजय तोमर, चौ0 सत्यपाल सिंह, चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी, श्री पूरन प्रकाश, श्रीमती मिथिलेश पाल, (2) (नियम-311 में प्राप्त) श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री हुकुम सिंह, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री सतीश महाना, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री उदयभान करवरिया, श्री विद्या सागर गुप्ता, श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री सलिल विश्नोई, श्री श्यामलाल, श्री सुरेश्वर सिंह, श्रीमती कृष्णाराज, डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्री काशीराम, श्री छत्रपाल सिंह, श्री प्रजापालन, श्री लल्लू सिंह, श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री राधेश्याम गुप्ता, श्री विजय बहादुर यादव, श्री शम्भू चौधरी, श्री सुखलाल, श्री सुरेश चन्द्र तिवारी की जमुना एक्सप्रेस विकास प्राधिकरण, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहीत कर प्राइवेट बिल्डरों एवं कम्पनियों को दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना (नियम-311 में प्राप्त) श्री लालजी यादव की सिंचाई निर्माण खण्ड सिद्धार्थनगर द्वारा बाढ़ग्रस्त जनपद में करोड़ों रुपये का दुरुपयोग किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, जब यह सुनाना ही नहीं चाहते हैं तो निरस्त कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

यह सुनाना नहीं चाहते हैं ? मा0 ओम प्रकाश सिंह जी सुना रहे हैं, इनकी सूचना भूमि अधिग्रहण के सन्दर्भ में है, यह नियम-311 में थी, लेकिन नियम-56 में परिवर्तित कर दी गई है ? इसमें जैसा तय हुआ है, तद्नुसार मैं इसे दिनांक 09-08-2011 को फिर से सुनने का निर्णय लेता हूं। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को दोबारा अलग से सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। शेष सूचनाएं नियम-56 में जो थीं, उन सबको मैं अग्राह्य करता हूं।

विशेष उल्लेख के अन्तर्गत चौथी सूचना डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय नेता विष्णुदत्त ओझा की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में है।

(माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने पर एवं उनके द्वारा अपनी बात न रखने पर)

पांचवीं सूचना डा0 आर0 ए0 उस्मानी की लखीमपुर खीरी के निघासन में सोनम हत्याकाण्ड से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

(माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने पर एवं उनके द्वारा अपनी बात न रखने पर)

छठवीं सूचना श्री मदन चौहान की गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

(माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने पर एवं उनके द्वारा अपनी बात न रखने पर)

सातवीं सूचना श्री दीपनारायण सिंह दीपक यादव की झांसी के किसानों द्वारा आत्महत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

(माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने पर एवं उनके द्वारा अपनी बात न रखने पर)

आठवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की प्रदेश में स्नातक कक्षाओं में छात्रों को प्रवेश न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

(माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने पर एवं उनके द्वारा अपनी बात न रखने पर)

नवीं सूचना श्री राघव लखन पाल शर्मा की सहारनपुर के डा0 मेघराज सिंह जरावरे के पुत्र तथा कार चालक द्वारा कुमारी अरुणा शर्मा का अपहरण किये जाने के सम्बन्ध में है।

(माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने पर एवं उनके द्वारा अपनी बात न रखने पर)

यह लोग अपनी बात नहीं सुना रहे हैं, इसलिए विशेष उल्लेख के अन्तर्गत प्राप्त सभी सूचनाओं को अग्राह्य करता हूं।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं हुई, अतः अस्वीकृत हुईं, उनके नाम निम्नलिखित हैं :-

1-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी,
2-श्री अरविन्द सिंह यादव,
3-श्री राधेश्याम जायसवाल,
4-श्री कुबेर सिंह,
5-श्री लल्लू सिंह,
6-श्री लालजी यादव,
7-श्री प्रदीप माथुर,
8-श्रीमती मिथिलेश पाल,
9-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद,
10-श्री महेन्द्र कुमार सिंह,
11-डा0 आर0 ए0 उस्मानी,
12-श्री राधेश्याम जायसवाल,

13-श्री अरविन्द सिंह यादव,
14-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी तथा
15-श्री अनूप कुमार गुप्ता।

प्रदेश के गुर्जरों के आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने हेतु राजस्थान राज्य की भांति उन्हें 5 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किये जाने विषयक श्री मदन भैया के संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-37 में माननीय सदस्य श्री मदन भैया का अनुरोध आ गया है, इसलिए मैं इस सूचना को स्थगित करता हूं।

जनपद आगरा में आलू के प्रसंस्करण हेतु आलू प्रसंस्करण पार्क विकसित किये जाने विषयक डा0 राजेन्द्र सिंह के संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

इस मद संख्या-38 पर चर्चा जारी रहेगी।

प्रदेश में बढ़ रहे कुपोषण के निराकरण हेतु एक प्रभावी नीति बनाये जाने विषयक श्री उदयभान कवरिया के संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

इस मद संख्या-39 पर चर्चा जारी रहेगी।

उत्तर प्रदेश की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश को चार भागों में यथा-इन्द्रप्रस्थ, बुन्देलखण्ड, अवध प्रान्त एवं पूर्वांचल का गठन किये जाने विषयक श्री मदन चौहान के संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

इस मद संख्या-40 पर चर्चा जारी रहेगी।

गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों और गम्भीर रोगियों का इलाज सरकारी खर्च पर कराये जाने विषयक डा0 पी0 के0 राय के संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

इस मद संख्या-41 पर चर्चा जारी रहेगी।

प्रदेश में लगातार घटते भू-गर्भ जल स्तर को दृष्टिगत रखते हुए जल (पानी) को मौलिक अधिकार में शामिल किये जाने हेतु संविधान में यथावश्यक संशोधन किये जाने विषयक श्री उदयभान करवरिया के संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

इस मद संख्या-42 पर चर्चा जारी रहेगी।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, जब यह लोग हैं ही नहीं तो चर्चा जारी रखने का क्या औचित्य है।

श्री अध्यक्ष-

चलिये ठीक है, इन पर चर्चा जारी रहेगी।

(घोर व्यवधान)

डीजल, पेट्रोल तथा रसोई गैस पर प्रदेश सरकार द्वारा लगाये गये करों को समाप्त किये जाने सम्बन्धी श्री सतीश महाना द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि डीजल, पेट्रोल तथा रसोई गैस पर प्रदेश सरकार द्वारा लगाये गये करों को समाप्त किया जाय।''

श्री अध्यक्ष-

आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं।

ठीक है, इसे प्रस्तुत मान लिया गया, चर्चा जारी रहेगी।

प्रदेश में काली नदी को उद्योगों के प्रदूषण से मुक्त किये जाने हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में काली नदी को उद्योगों के प्रदूषण से मुक्त किये जाने हेतु प्रभावी कदम उठाये जायें।''

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। इसे प्रस्तुत मान लिया गया, चर्चा जारी रहेगी।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के 'दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर' को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में डा0 राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ''इस सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के 'दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर' को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दिया जाय।''

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे प्रस्तुत मान लिया गया, चर्चा जारी रहेगी।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 5 अगस्त, 2011 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 37 सूचनाएं प्राप्त हुईं, स्वीकृत सूचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :-

पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी की प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति बाहुल्य दो हजार प्राथमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में, वक्तव्य हेतु स्वीकृत

हुई, दूसरी सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की जनपद प्रतापगढ़ की क्षेत्र पंचायत मंगरौरा में कार्यरत खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध जांच कराये जाने के सम्बन्ध में, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई, तीसरी सूचना श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला की जनपद सिद्धार्थनगर स्थित चेतिया बाजार, तिलौली बाजार एवं सकारपार में विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई, चौथी सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा करायी जाने वाली परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की आयु सीमा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई, पांचवीं सूचना श्री राम विशुन आजाद की प्रदेश के परिषदीय अध्यापकों के वेतन विसंगति को दूर कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। छठवीं सूचना चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी की पूर्वी जिलों में रेशम उत्पादन के सम्बन्ध में चलायी जा रही योजनाओं में वित्तीय अनियिमतता किये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। सातवीं सूचना श्री महेश चन्द्र गुप्ता की बदायूं स्थित कबूलपुरा छोटी जयारत-कुरूऊ मार्ग पर सोत नदी पर रपटा पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। आठवीं सूचना श्री उदयभान करवरिया की प्रतापगढ़ के थाना मांधाता अन्तर्गत शनिदेव धाम ग्राम कुशफरा में पुलिस चौकी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। नवीं सूचना श्री प्रदीप माथुर की मथुरा शहर से अलीगढ़ जाने वाले मार्ग पर जमुना नदी पर पड़ने वाले क्षतिग्रस्त पुल का सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। दसवीं सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) की वाराणसी नगर निगम द्वारा नया कर लगाये जाने से पूर्व सदन की स्वीकृति प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। ग्यारहवीं सूचना श्री ओम प्रकाश सिंह की जनपद मिर्जापुर के चुनार विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत पूर्वांचल विकास निधि एवं विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि से स्वीकृत 12 गांवों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। बारहवीं सूचना श्री अम्बिका चौधरी की बलिया स्थित कोरन्टाडीह लिफ्ट कैनाल को अविलम्ब चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। तेरहवीं सूचना श्री कौकब हमीद खां की बिजनौर नगर पालिका परिषद् स्योहरा में सफाई नायक के पदों का सृजन किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। चौदहवीं सूचना श्री मदन चौहान की गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत बने क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। पन्द्रहवीं सूचना श्री दीप नारायण सिंह उर्फ दीपक यादव की जिला कार्यक्रम अधिकारी मऊ द्वारा करोड़ों रुपये का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। सोलहवीं सूचना श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर स्थित विलासपुर-चकफेरी जर्जर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। सत्तरहवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की सीतापुर स्थित दि किसान सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद के ऊपर गन्ना किसानों के बकाये मूल्य के भुगतान के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुईं। अट्ठारहवीं सूचना श्री अनूप कुमार गुप्ता की पी0सी0डी0एफ0 पर दुग्ध उत्पादक किसानों का करोड़ों रुपये का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। उन्नीसवीं सूचना श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की जनपद बांदा स्थित लोक निर्माण विभाग द्वारा

कराये गये सड़कों का निर्माण मानक के अनुरूप न किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई :-

1-डा0 अजय तोमर, 2-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, 3-श्री लल्लू सिंह, 4-श्रीमती कृष्णाराज, 5-श्री राधेश्याम गुप्ता, 6-श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही, 7-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, 8-श्री जोखू लाल यादव, 9-श्री लालजी यादव, 10-श्री राधेश्याम जायसवाल, 11-श्री अरविन्द सिंह यादव, 12-श्री सुखलाल, 13-डा0 अनिल चौधरी, 14-डा0 पी0 के0 राय, 15-श्री मदन भैया, 16-श्री पूरन प्रकाश, 17-श्री सुरेश कुमार खन्ना, 18-डा0 आर0 ए0 उस्मानी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

अब हम उठते हैं दिनांक 08 अगस्त, 2011 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

इसके बाद सदन का उपवेशन अपराह्न 12 बजकर 55 मिनट पर सोमवार, दिनांक 8 अगस्त, 2011 को दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।

दिनांक 5 अगस्त, 2011

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'घ'

(देखिये अता0 प्रश्न संख्या-74 का उत्तर पीछे पृष्ठ 46 पर)

विधान सभा द्वितीय सत्र 2011 के प्रथम शुक्रवार अता0 प्रश्न सं0-74 का संलग्नक

विकास वितरण खण्ड, गोण्डा।

विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत ऊर्जीकृत प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची

क्र0सं0	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	भौतिक प्रगति
1	2	3	4
1	प्रा0 वि0 दिलीपपुरवा	मनकापुर	ऊर्जीकृत
2	प्रा0 वि0 भिटौरा प्रथम	मनकापुर	ऊर्जीकृत
3	प्रा0 वि0 भिटौरा द्वितीय	मनकापुर	ऊर्जीकृत
4	प्रा0 वि0 रामापुर झिलाही	मनकापुर	ऊर्जीकृत
5	प्रा0 वि0 दलपतपुर	मनकापुर	ऊर्जीकृत
6	प्रा0 वि0 धुसवां	मनकापुर	ऊर्जीकृत
7	प्रा0 वि0 गड़रही	मनकापुर	ऊर्जीकृत
8	प्रा0 वि0 मनकापुर कोर्ट	मनकापुर	ऊर्जीकृत
9	प्रा0 वि0 दतौली नवीन	मनकापुर	ऊर्जीकृत
10	प्रा0 वि0 अंधियारी	मनकापुर	ऊर्जीकृत
11	प्रा0 वि0 मिश्रौलियां गोसाई	मनकापुर	ऊर्जीकृत
12	प्रा0 वि0 मछली गांव प्रथम	मनकापुर	ऊर्जीकृत
13	प्रा0 वि0 मछली गांव द्वितीय	मनकापुर	ऊर्जीकृत
14	प्रा0 वि0 उपाध्यायपुर ईस्ट	मनकापुर	ऊर्जीकृत
15	प्रा0 वि0 कलेनिया	मनकापुर	ऊर्जीकृत
16	प्रा0 वि0 जनकपुर	मनकापुर	ऊर्जीकृत
17	प्रा0 वि0 अमघटी	मनकापुर	ऊर्जीकृत
18	प्रा0 वि0 पचपती प्रथम	मनकापुर	ऊर्जीकृत
19	प्रा0 वि0 पचपती द्वितीय	मनकापुर	ऊर्जीकृत
20	प्रा0 वि0 अमया	मनकापुर	ऊर्जीकृत
21	प्रा0 वि0 नरायनपुर ग्रन्ट	मनकापुर	ऊर्जीकृत
22	प्रा0 वि0 पेरीपोखर	मनकापुर	ऊर्जीकृत
23	प्रा0 वि0 ककरघटा	मनकापुर	ऊर्जीकृत
24	प्रा0 वि0 जगन्नाथपुर प्रथम	मनकापुर	ऊर्जीकृत
25	प्रा0 वि0 जगन्नाथपुर द्वितीय	मनकापुर	ऊर्जीकृत
26	प्रा0 वि0 एलनपुर ग्रन्ट	मनकापुर	ऊर्जीकृत

1	2	3	4
27	प्रा0 वि0 बेनीपुर	मनकापुर	ऊर्जीकृत
28	प्रा0 वि0 कुड़वासीर	मनकापुर	ऊर्जीकृत
29	प्रा0 वि0 चौबेपुर	मनकापुर	ऊर्जीकृत
30	प्रा0 वि0 सोरिहवा	मनकापुर	ऊर्जीकृत
31	प्रा0 वि0 बैरीपुर	मनकापुर	ऊर्जीकृत
32	प्रा0 वि0 सोनबरसा	मनकापुर	ऊर्जीकृत
33	प्रा0 वि0 वीरेपुर	मनकापुर	ऊर्जीकृत
34	प्रा0 वि0 इमिलिया नवीन	मनकापुर	ऊर्जीकृत
35	प्रा0 वि0 कैमी	मनकापुर	ऊर्जीकृत
36	उ0 प्रा0 वि0 अशरफपुर	मनकापुर	ऊर्जीकृत
37	प्रा0 वि0 अम्बरपुर	मनकापुर	ऊर्जीकृत
38	प्रा0 वि0 मनकापुर बोर्ड	मनकापुर	ऊर्जीकृत
39	प्रा0 वि0 मिर्जापुर रामनाथ	मनकापुर	ऊर्जीकृत
40	प्रा0 वि0 पंडितपुर	मनकापुर	ऊर्जीकृत
41	उ0 प्रा0 वि0 अंधियारी	मनकापुर	ऊर्जीकृत
42	उ0 प्रा0 वि0 अमघटी	मनकापुर	ऊर्जीकृत
43	उ0 प्रा0 वि0 उपाध्यायपुर	मनकापुर	ऊर्जीकृत
44	उ0 प्रा0 वि0 चौबेपुर	मनकापुर	ऊर्जीकृत
45	उ0 प्रा0 वि0 मछलीगांव	मनकापुर	ऊर्जीकृत
46	क0 उ0 प्रा0 वि0 पचपती	मनकापुर	ऊर्जीकृत
47	क0 उ0 प्रा0 वि0 सीहागांव	मनकापुर	ऊर्जीकृत
48	प्रा0 वि0 सीहागांव	मनकापुर	ऊर्जीकृत
49	प्रा0 वि0 बनकसिया शिवरतन सिंह	मनकापुर	ऊर्जीकृत
50	प्रा0 वि0 मोरहा	मनकापुर	ऊर्जीकृत
51	प्रा0 वि0 गैंजहा	मनकापुर	ऊर्जीकृत
52	प्रा0 वि0 तुर्कीली	मनकापुर	ऊर्जीकृत
53	प्रा0 वि0 मोतीगंज	मनकापुर	ऊर्जीकृत
54	प्रा0 वि0 कुड़ासन	मनकापुर	ऊर्जीकृत
55	प्रा0 वि0 मनकापुर	मनकापुर	ऊर्जीकृत
56	क0 उ0 प्रा0 वि0 मनकापुर	मनकापुर	ऊर्जीकृत
57	उ0 प्रा0 वि0 अम्बरपुर	मनकापुर	ऊर्जीकृत
58	उ0 प्रा0 वि0 मिश्रौलिया गोसाई	मनकापुर	ऊर्जीकृत

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता0 प्रश्न संख्या-90 का उत्तर पीछे पृष्ठ 53-54 पर)

परिशिष्ट-1

क्र0सं0	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	पदनाम	तैनाती की तिथि
1	शैलेश प्रसाद	मुख्य वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, लखीमपुर खीरी	09-02-2009
2	गणेश भट्ट	उप निदेशक, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, लखीमपुर खीरी	05-07-2011
3	रमेश चन्द्र झा	प्रभागीय वनाधिकारी, दक्षिणी खीरी वन प्रभाग	17-10-2007
4	ए0 एन0 सिंह	उप प्रभागीय वनाधिकारी, निघासन उत्तरी खीरी वन प्रभाग (प्रभागीय वनाधिकारी उत्तर खीरी वन प्रभाग का कार्य अग्रिम आदेशों तक दिनांक 06/2011 से)	04-07-2007

नत्थी 'च'

(देखिये अता0 प्रश्न संख्या-141 का उत्तर पीछे पृष्ठ 75 पर)

संलग्नक

वर्ष 2010-11 जनपद एटा के तहसील जलेसर एवं एटा (सदर) में तहसीलवार एवं स्थलवार लगाये गये पौधों का विवरण निम्नवत् है :-

तहसील-जलेसर-

क्र0सं0	स्थल का नाम	क्षेत्रफल (हे0 में)	रोपित पौधों की संख्या	जीवित पौधों की संख्या
1	नगला सुखदेव ग्राम समाज	4.00	8000	7365
2	नीमखेड़ा ग्राम समाज	5.00	10000	9155
3	जलूखेड़ा ग्राम समाज	7.00	14000	12815
4	एटा-बरहन रेल मार्ग कि0मी0 15 से 17 दोनों पटरी	10	11000	10175
5	एटा-बरहन रेल मार्ग कि0मी0 10 से 11 दोनों पटरी	1.00	1100	1015
	योग :-	27	44100	40525

तहसील-जलेसर (ब्रिक गार्ड/ट्री गार्ड में वृक्षारोपण)

क्र0सं0	स्थल का नाम	ब्रिक गार्ड/ट्री गार्ड की संख्या	रोपित पौधों की संख्या	जीवित पौधों की संख्या
1	जलेसर-अवागढ़ तिराहे से निधौलीकलां चौराहे तक	75	75	75
2	जलेसर-सिकन्दराराऊ मार्ग कि0मी0 1-2	275	275	275
3	जलेसर-सिकन्दराराऊ मार्ग कि0मी0 3-5	202	202	202
4	सादाबाद-अवागढ़ मार्ग कि0मी0 31-32	150	150	150
5	सादाबाद-अवागढ़ मार्ग कि0मी0 33-34	150	150	150
6	सादाबाद-अवागढ़ मार्ग कि0मी0 44-45	150	150	150
7	सादाबाद-अवागढ़ मार्ग कि0मी0 45-46	150	150	150
	योग :-	1152	1152	1152

तहसील-एटा (सदर)

क्र0सं0	स्थल का नाम	क्षेत्रफल (हे0 में)	रोपित पौधों की संख्या	जीवित पौधों की संख्या
1	हुसैनपुर ककराला ग्राम समाज	10.00	20000	18150
2	ओरनी ग्राम समाज	40.50	85000	73015
3	नहर एल0जी0सी0 कि0मी0 70-73	10.00	11000	10110
4	नहर पी0एल0जी0सी0 कि0मी0 70-75	5.00	5500	5005
5	नहर पी0एल0जी0सी0 कि0मी0 70-73	5.00	10000	9015
6	नहर पी0एल0जी0सी0 कि0मी0 73-76	10.00	20000	18202
7	सिहोरी-धिरामई मार्ग कि0मी0 1-7	10.00	11000	10105
8	धौलेश्वर ग्राम समाज	10.50	21000	20050
9	बावली ग्राम समाज	6.00	12000	10905
10	नहर बेवर फीडर कि0मी0 4-6 दोनों पटरी	10.00	11000	10102
11	लोथरा ग्राम समाज	35.00	70000	64120
12	वेसखेड़िया ग्राम समाज	5.00	10000	9115
13	नहर बेवर ब्रांच कि0मी0 5-8 बाई पटरी	8.00	8800	8050
14	नहर बेवर ब्रांच कि0मी0 16-20 बाई पटरी	7.00	7700	7006
15	भटमई ग्राम समाज	6.00	12000	10910
16	एटा-अलीगंज मार्ग कि0मी0 9-16	10.00	11000	10103
17	सैंथरी वन ब्लाक	4.00	8000	7302
18	शीतलपुर वन ब्लाक	1.00	2000	1850
19	नहर पी0एल0जी0सी0 कि0मी0 14-18 बाई पटरी	7.00	1400	1290
20	जी0टी0 रोड कि0मी0 190-192 दोनों पटरी	6.00	1200	1105
21	आसपुर बेवर ब्रांच	7.00	1400	1292

22	नहर बेवर ब्रांच कि0मी0 13-14	7.00	1400	1288
23	नहर एल0जी0सी0 कि0मी0 58-59	7.00	1400	1285
24	नहर बेवर ब्रांच सकीट	7.00	1400	1283
	योग :-	234	344200	310658

तहसील-एटा (सदर) (ब्रिक गार्ड/ट्री गार्ड में वृक्षारोपण)

क्र0सं0	स्थल का नाम	ब्रिकगार्ड/ट्रीगार्ड की संख्या	रोपित पौधों की संख्या	जीवित पौधों की संख्या
1	नगरिया मोड़ से निधौलीकलां रोड	200	200	200
2	सकीट-सिढ़पुरा मार्ग	300	300	300
3	मारहरा-मोहनपुर मार्ग	300	300	300
4	मरथरा-मिरहची मार्ग	200	200	200
5	एटा-मारहरा मार्ग	400	400	400
	योग :-	1400	1400	1400

नत्थी 'छ'

(देखिये अता0 प्रश्न संख्या-161 का उत्तर पीछे पृष्ठ 83 पर)

अतारांकित प्रश्न संख्या-161 की अनुपूरक सामग्री

33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बिनौली से निर्गत 11 के0वी0 पोषकों माखर, जिवाना गुलियान पर की गयी विद्युत आपूर्ति का विवरण तथा 33/11 के0वी0 तितरौदा से निर्गत 11 के0वी0 पोषक कैड़वा पर की गयी विद्युत आपूर्ति का विवरण

दिनांक 01-05-2010 से 31-05-2010 तक (आपूर्ति घण्टों में)

दिनांक	33/11 के0वी0 उपकेन्द्र बिनौली पर प्राप्त आपूर्ति	11 के0वी0 पोषक का नाम		33/11 के0वी0 उपकेन्द्र तितरौदा पर प्राप्त	11 के0वी0 पोषक का नाम
		माखर	जिवाना गुलियाना	आपूर्ति	कैड़वा
1	2	3	4	5	6
1	7.00	3.30	3.30	2.30	0.20
2	8.00	4.30	4.30	8.00	4.00
3	8.00	4.00	4.00	8.00	4.00
4	8.00	4.30	4.30	8.00	2.00
5	8.00	4.00	4.00	8.00	5.00
6	8.00	4.00	4.00	8.00	4.00
7	13.30	4.00	4.00	12.30	3.30
8	10.00	5.00	4.00	8.00	1.45
9	8.00	2.00	2.00	8.00	4.25
10	7.00	5.00	5.00	7.00	3.30
11	7.00	2.30	2.30	6.40	3.05
12	10.00	3.30	3.30	7.00	3.00
13	5.00	1.20	1.20	7.00	3.30
14	8.00	1.45	1.45	8.00	4.10
15	8.30	3.00	3.30	4.45	1.45
16	7.20	4.00	4.00	8.00	3.45
17	8.00	4.50	3.50	7.00	3.00
18	7.30	3.00	3.00	7.00	5.30
19	8.00	3.40	3.40	7.00	3.30
20	6.00	3.00	2.50	6.50	3.30

1	2	3	4	5	6
21	6.15	2.25	2.10	6.00	3.30
22	6.00	2.50	3.25	7.15	3.05
23	7.00	3.15	3.15	7.00	2.30
24	7.00	4.15	4.30	7.00	1.25
25	6.45	2.50	0.45	7.00	3.20
26	6.45	4.50	3.35	6.30	2.50
27	10.45	2.30	2.30	8.00	3.30
28	9.50	5.00	5.00	9.35	0.55
29	7.30	4.00	3.00	8.00	3.00
30	8.30	6.45	4.05	8.00	2.10
31	7.00	3.40	4.00	7.15	3.40

पी0एस0यू0पी0-एल0 102 विधान सभा (194)-23-9-2011-813 प्रतियां।